लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

3rd
LOK SABHA DEBATES

[चौदहवां सत्र]

Fourteenth Session

सत्यमेव जयते

[खंड 52 में अंक 21 से 30 तक हैं]
Vol. LII contains Nos. 21 to 30

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 28, शुक्रवार, 25 मार्च, 1966/4 चैत्र, 1888 (शक)

No. 28, *Friday, March* 25, 1966/*Chaitra* 4, 1888 (*Saka*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S.Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
772	सरकारी उपक्रमों को प्रशासनिक अधिकार	Administrative Powers to Public Undertakings . . .	5539–42
773	हिन्दुस्तान मशीन औजार कारखाने में बनी मशीनों का निर्यात	Export of H.M.T. Machines .	5542–44
774	सरकारी कार्यालयों को आयातित माल का संभरण	Supply of Imported Goods to Government Offices . .	5544–45
775	उत्तर प्रदेश में एक ऑप्टिकल फैक्टरी की स्थापना	Setting up an Optical Factory in U.P.	5545–47
776	हैदराबाद में हिन्दुस्तान मशीनी औजार एकक	H. M. T. Unit at Hyderabad .	5547–50
777	पुस्तकों का आयात	Import of Books .	5550–52
778	कोयले का मूल्य	Price of Coal	5552–53
779	पन्ना की हीरे की खान का विस्तार	Expansion of Panna Diamond Mine	5553–55
780	मुगल सराय से आगे के स्टेशनों के लिये कोयले की बुकिंग	Booking of Coal Beyond Moghal Sarai	5556–57
781	इलाहाबाद में प्रदर्शनी	Exhibition in Allahabad . .	5557–58
783	कच्चे लोहे के उद्योगसमूह के बारे में अध्ययन	Study Regarding Pig Iron Complex	5558
784	रेलवे बोर्ड के सदस्यों का सेवा काल बढ़ाया जाना	Extension of Service to Members of Railway Board . . .	5558–59
अ० सू० प्र० संख्या S.N.Q.Nos.			
12	जहाज द्वारा भेजे गये सहायता सामान का पाकिस्तान द्वारा छोड़ा जाना	Release of Aid Cargo by Pakistan	5559–60

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
782	पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात	Export of Jute Goods .	5560–61
785	रुई का आयात	Import of Cotton . . .	5561

*किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

* The sign + marked above the name of a Member indicate that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

1—44 L.S./66

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
786	पश्चिम बंगाल में दुर्लभ कच्चे माल की कमी	Shortage of scarce Raw Materials in West Bengal . . .	5561–62
787	जापान को लौह अयस्क का निर्यात	Export of Iron Ore to Japan	5562
788	दुर्गापुर में इस्पात परियोजनाएं पूरी करने में देरी	Delay in completing Steel Projects in Durgapur	5562–63
789	जापान के सहयोग से नई दिल्ली के निकट ढलाई कारखाना	Foundary near New Delhi with Japanese Colloboration . .	5563
790	संयुक्त राष्ट्र में मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन	Change in Monetary System in the United Nations . . .	5564
791	ईराक से खजूर का आयात	Import of Dates from Iraq .	5564
792	सरकारी उपक्रम	Public Sector Undertakings .	5565
793	सेलम इस्पात कारखाने के बारे में प्रतिवेदन	Report on Salem Steel Plant .	5565
794	पश्चिम बंगाल में रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति	Damage to Railway Property in West Bengal . . .	5566
795	यूगोस्लाविया के साथ व्यापार	Trade with Yugoslavia . .	5566–67
796	दार्जलिंग जिले में रेलवे कर्मचारियों को राशन में चावल देना	Rice Ration to Railway Employees in Darjeeling District . .	5567
797	पिंजोर में हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने का एकक	H. M. T. Unit at Pinjore . .	5567
798	धातु विज्ञान	Metallurgy	5568
799	लाइसेंसों का दिया जाना	Issue of Licences . . .	5568
800	उद्योगों को लाइसेंस सूची से निकालन	De-scheduling of Industries .	5569
801	मद्रास में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लौह अयस्क का गायब हो जाना	Loss of M.M.T. C's Iron ore at Madras	5569

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.			
2760	सिमुलतला (पूर्व रेलवे) के समीप तेलवा बाजार में फ्लैग स्टेशन	Flag Station at Telwa Bazar Near Simultala Eastern Railway .	5570
2761	विदेशों में गैर-सरकारी विनियोजन के लिये मार्गदर्शी नियम	Guide Lines for Private Investment Abroad . . .	5570–71
2762	विदेशी सहयोग	Foreign Collaboration . .	5571
2763	केरल में ग्रैफाइट के निक्षेप	Graphite Deposits in Kerala .	5571–72
2764	कन्याकुमारी में इल्मेनाइट के भण्डार	Illmenite Deposits in Kanya Kumari	5572
2765	सरदार शहर स्टेशन के निकट रेलवे फाटक को हटा कर दूसरे स्थान पर बनाना	Shifting of Railway Crossing Sardarshahr Station . . .	5572

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2766	साइकिलों के टायर और ट्यूबों का निर्यात	Export of Cycle Tyres and Tubes	5572–73
2767	केरल में कल्याण केन्द्र	Welfare Centres in Kerala .	5573
2768	केरल में सहायक उद्योग	Ancillary Industries in Kerala .	5573–74
2769	बर्मा को रेलवे के सवारी डिब्बों का सम्भरण	Supply of Railway Passenger Coaches to Burma . . .	5574
2770	केरल में बिजली के बल्ब बनाने का कारखाना	Electric Bulb Manufacturing Plant in Kerala	5574
2771	थाराकन समिति का प्रतिवेदन	Tharakan Committee Report .	5575
2772	सिगरेटों और बीड़ियों का उत्पादन	Production of Cigarettes and Bidis	5575
2774	नीबू घास तेल का निर्यात	Export of Lemon Grass Oil .	5575–76
2775	दक्षिण में नई रेलगाड़ियां	New Trains in the South .	5576
2776	सहायक सेविवर्गाधिकारी (पर्सोनल आफिसर)	Assistant Personnel Officers	5576
2777	रेलवे स्टेशनों पर बिजली लगाना	Electrification of Railway Stations	5577
2779	खादी ग्रामोद्योगों का विकास	Development of Khadi and Village Industries . . .	5577
2780	यलहंका स्टेशन	Yelahanka Station . . .	5577–78
2781	दुर्लभ कच्चा माल	Scarce Raw Materials .	5578
2782	रेशम उद्योग का विकास	Development of Sericulture .	5578–79
2783	अस्पृश्यता	Untouchability . . .	5579
2784	पाकिस्तान द्वारा पकड़ा गया माल	Cargo Seized by Pakistan .	5579–80
2785	बांदा रेलवे स्टेशन	Banda Railway Station . .	5580
2786	रेलवे को कोयले की आवश्यकता	Coal Demands of Railways .	5580–81
2787	सेफटी रेजर ब्लेडों का निर्यात	Export of Safety Razor Blades	5581–82
2788	उड़ीसा में छोटे ट्रैक्टरों का निर्माण	Manufacture of Small Tractors in Orissa	5582
2789	राउरकेला में निर्मित इस्पात के पाइपों का निर्यात	Export of Steel Pipes manufactured at Rourkela	5582–83
2790	इन्टरनेशनल हाइड एण्ड अलाइड ट्रेडस इम्प्रूवमेंट सोसाइटी, इंग्लैंड	International Hide and Allied Trades Improvement Society, England	5583
2791	दिल्ली के रिहायशी क्षेत्रों में वेश्यावृत्ति	Prostitution in Residential Areas of Delhi	5583–84
2792	भोपाल रेलवे स्टेशन पर बुकिंग कार्यालय	Booking Office, Bhopal Railway Station	5584
2793	पाकिस्तान से मेवों का आयात	Import of Dry Fruit from Pakistan	5584
2794	चाय का निर्यात	Export of Tea	5585
2795	आन्ध्र सीमेंट वर्क्स, विजयवाडा	Andhra Cement Works Vijayawada	5585–86

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2796	आन्ध्र सीमेंट वर्क्स	Andhra Cement Works . .	5586
2797	कलकत्ता में लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में काम करने वाले फालतू कर्मचारियों के लिये अन्य नौकरियां	Alternative jobs for Surplus Staff under the Iron and Steel Controller Calcutta	5586
2798	दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी	Arrest of Railway Workers on the South Eastern Railway .	5586–87
2799	उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग	Cottage Industries in Uttar Pradesh.	5587
2800	सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प	Social Policy Resolution . .	5587–88
2801	जापानी चल मेला (फलोटिंग फेयर)	Japanese Floating Fair	5588
2802	इस्पात का उत्पादन	Production of Steel .	5588–89
2803	भारत में तुरन्त तैयार होने वाली (इंस्टैंट) चाय का उत्पादन	Production of Instant Tea in India	5589
2804	गंधक के देश में उपलब्ध होने के संसाधन	Indigenous sources of Sulphur	5589–90
2805	रेलवे उपकरणों का आयात	Import of Railway Equipment .	5590
2806	उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले	Corruption Cases on Northern Railway	5590–91
2807	औद्योगिक उत्पादन	Industrial Production . .	5591–92
2808	जाली लाइसेंस	Forged Licences	5592
2809	बांदा से कानपुर जा रही रेलगाड़ी का लूटा जाना	Looting of Train from Banda to Kanpur.	5592
2810	अलौह धातुओं का वितरण	Distribution of Non-Ferrous Metals	5593
2811	केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली	Centralised Traffic Control System	5593–94
2812	रूस को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Textiles to U.S.S.R.	5594–95
2813	'मद्रास ब्लीडिंग' किस्म के कपड़े का निर्यात	Export of Madras Bleeding Type of Cloth	5595
2814	दिल्ली और नई दिल्ली के स्टेशनों पर स्थान	Accommodation at Delhi and New Delhi Stations . .	5595
2815	पार्सल डिस्पेच क्लर्कों को कार्य-यात्रा भत्ता (रनिंग अलाउन्स)	Running Allowance to Parcel Despatch Clerks . . .	5595–96
2816	उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में रेलगाड़ियों के साथ चलने वाले रेलवे कर्मचारियों को घड़ियों का दिया जाना	Watches to Railway Running Staff in Delhi Division, Northern Railway	5596

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2817	सामान तथा यात्रियों के परिवहन की व्यवस्था को सामान्य किया जाना	Restoration of Normal Transportation of Goods and Passengers	5596
2818	हथकरघा बुनकरों के लिये धागा	Yarn for Handloom Weavers .	5597
2819	नमक का निर्यात	Export of Salt . . .	5597–98
2820	तकुओं का नियतन	Allocation of Spindles	5598
2821	भारत में लौह अयस्क का बुरादा	Iron Ore Fines in India . .	5598–99
2822	उड़ीसा में औद्योगिक सहकारी समितियां	Industrial Cooperative Societies in Orissa	5599
2823	तीन पहिये वाली गाड़ियों का उत्पादन	Production of Three Wheeler Vehicles	5599
2824	उड़ीसा और बिहार में मैंगनीज और लोह अयस्क की खानों में उत्पादन	Production in Manganese and Iron Ore Mines in Orissa and Bihar	5599–5600
2825	सनफोराइज्ड कपड़े का आयात	Import of Sanforised Cloth .	5600
2827	नूनखार स्टेशन के निकट दुर्घटना	Accident near Nunkhar Station	5600
2828	त्रिपुरा में आदिम जाति के लोगों को कानूनी सहायता	Litigation Aid to Tribals in Tripura	5600–01
2829	पैट्रोलियम जेली के लिए लाइसेंस	Licences for Petroleum Jelly	5601
2830	रेलवे कर्मचारियों को सर्दी की वर्दियां	Winter Uniform to Railway Staff	5601
2831	असिडीही स्टेशन (पूर्व रेलवे) के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना	Derailment near Aasidih Station Eastern Railway . . .	5601–02
2832	पठानकोट के लिये वापसी टिकट	Return Tickets for Pathankot	5602
2833	सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन	Pension to Employees of Government Undertakings . .	5602
2834	राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लिये बिजली	Electricity for National Coal Development Corporation . .	5602–03
2835	नेपाल को सिगरेटों का निर्यात	Export of Cigarettes to Nepal	5603
2836	चालू कोयला खानों की संख्या	Number of Working Coal Mines	5603
2837	पूर्वोत्तर भारत में चाय बागान	Tea Gardens in North East India	5603–04
2838	दुसाध जाति	Dusadh Community . . .	5604
2839	स्वदेशी काटन एण्ड फ्लौर मिल्स, इन्दौर	Swadeshi Cotton and Flour Mills, Indore	5604
2840	न्यू भोपाल टैक्स्टाइल्स	New Bhopal Textiles .	5605

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ Pages
2841	बान्नन (धोबी) जाति का अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना	Inclusion of Vannan (Washermen) Community in the list of S.C. Communities . . .	5605
2842	दिल्ली में लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई	Supply of Raw Materials to Small Scale Industries in Delhi .	5605–06
2843	रेलवे लाइनों का प्रतिरक्षा कार्यों के लिये सीमाओं तक बढ़ाया जाना	Extension of Railway Lines upto the Borders for Defence Purposes	5606
2844	तनजानिया से लौंग का आयात	Import of Cloves from Tanzania	5606–07
2845	केश-सज्जा (हेयर प्रोसैसिंग)	Processing of Hair . . .	5607
2846	देहरादून एक्सप्रेस रेलगाड़ी में भोजन यान	Dining Car attached to Dehra Dun Express	5607–08
2847	प्रशुल्क आयोग	Tariff Commission . . .	5608
2848	मध्य प्रदेश में कागज बनाने का कारखाना	Paper Factory in Madhya Pradesh	5608
2849	पश्चिमी रेलवे में भ्रष्टाचार निरोध अधिकारी	Anti-Corruption officers on Western Railway . . .	5608–09
2850	जमालपुर रेलवे वर्कशाप में प्रशिक्षणार्थी	Trainees at Jamalpur Railway Workshop	5609
2851	केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान	Houses for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in Kerala .	5609–10
2852	केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी समितियां	Co-operative Societies for S.C. and S.T. in Kerala . .	5610
2853	केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को औद्योगिक ऋण	Industrial Loans to S.C.s and S.T.s in Kerala . . .	5610–11
2854	इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता	India Electric Works Ltd., Calcutta	5611
2855	वैगन में माल की लदाई	Loading of Goods in a Wagon	5611
2856	रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफार्म	Platforms at Railway Stations .	5611–12
2857	टिकट निरीक्षक	Ticket Examiners . . .	5612
2858	आयात निर्यात व्यापार नियंत्रण नियम	Import-Export Trade Control Rules	5612–13
2859	पूर्वोत्तर रेलवे में स्टेनोग्राफरों का चयन	Selection of Stenographers on the North Eastern Railway . .	5613
2860	बाल्टी निर्माण उद्योग	Bucket Manufacturing Industry	5613

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
2861	दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर छुट्टी रिज़र्व कर्मचारी	Leave Reserve Staff at Delhi Main and New Delhi Stations	5613–14
2862	क्षतिपूर्ति दावा विभाग के क्लर्क	Clerical Staff in the compensation Claims Deptt. . .	5614
2863	भारतीय रेलवे के लेखा विभाग प्रथम श्रेणी के क्लर्क	Clerks Grade I of the Accounts Department of Indian Railways	5614–15
2864	उत्तर रेलवे लेखा विभाग के प्रथम श्रेणी के क्लर्क	Clerks Grade I in Northern Railway Accounts Department .	5615
2865	दिल्ली में नियुक्त उत्तर रेलवे के सहायक लेखा अधिकारी	Stay of Assistant Accounts Officers of the Northern Railway at Delhi	5616
2866	उत्तर रेलवे के लोहियांखास फीरोजपुर सैक्शन पर अतिरिक्त रेलगाड़ी का चलाया जाना	Introduction of an Extra Train on Lohian Khas Ferozepur Section of the Northern Railway	5616
2867	उत्तर रेलवे सेन्ट्रल अस्पताल	Northern Railway Central Hospital	5617
2868	ईरान के साथ औद्योगिक सहयोग	Industrial Collaboration with Iran	5671–18
2869	पोलैंड से व्यापारिक शिष्टमंडल	Trade Delegation from Poland .	5618
2871	महाराष्ट्र में खादी का उत्पादन	Production of Khadi in Maharashtra	5618
2872	महाराष्ट्र को जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का दिया जाना	Supply of G.C. Sheets to Maharashtra	5618–19
2873	महाराष्ट्र के लिये स्टेनलैस स्टील	Stainless Steel for Maharashtra	5619
2874	महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसान	Scheduled Castes and Scheduled Tribes Agriculturists in Maharashtra	5619
2875	नई रेल गाड़ियां	New Trains .	5619–20
2876	कोयले से लदे बॉक्स वैगनों का तोला जाना	Weighment of Box-wagons loaded with coal . . .	5620
2877	महाराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने	Cement Factories in Maharashtra	5620
2879	मैसूर राज्य में उद्योगों का विकास	Development of Industries in Mysore State . . .	5620–21
2880	मैसूर में रेशम उद्योग का विकास	Development of Sericulture in Mysore	5621
2881	दूसरा केबल कारखाना	Second Cable Factory	5621–22
2882	पश्चिम जर्मनी के साथ व्यापार	Trade with West Germany .	5622
2883	सरकारी क्षेत्र के कारखानों में एकत्रित लोहे और इस्पात का निर्यात	Export of Iron and Steel lying at Public Sector Plants	5622–23
2884	निकल ऐनोड का आयात	Import of Nickel Anode	5623

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलान—	Calling Atention to Matter of Urgent Public Importance .	
आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में नवीनतम स्थिति	Latestsituation in the Mizo Hills, District of Assam . . .	5623–27
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में	Re. Question of Privilege	5627
सभापटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table .	5627–28
राज्य सभा से सन्देश	Message from Rajya Sabha.	5629
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to Bill .	5629
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
बयानवेवां प्रतिवेदन	Ninety-Second Report	5629
सभा का कार्य	Business of the House	5629–30
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants—	
वाणिज्य मंत्रालय	Ministry of Commerce—	
श्री शिव नारायण	Shri Sheo Narain .	5631
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf	5631–32
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi.	5632–33
श्री प्र० चं० बरुआ	Shri P. C. Borooah .	5633–34
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	5634
श्री मनुभाई शाह	Shri Manubhai Shah	5635–40
लेखानुदानों की मांगें (केरल), 1966-67—	Demands for Grants on Account (Kerala), 1966-67—	
श्री वारियर	Shri Warior . .	5641
केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1966—पुरःस्थापित तथा पारित	Kerala Appropriation (Vote on Account) Bill, 1966—Introduced and Passed . . .	5643–44
अनुदानों की मांगें, 1966-67	Demands for Grants, 1966-67	
सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय—	Ministry of Information and Broadcasting—	
श्री मी० रू० मसानी	Shri M. R. Masani .	5645–46
श्री म० ल० द्विवेदी	Shri M. L. Dwivedi . .	5646–47
श्री हेम बरुआ	Shri Hem Barua . . .	5649–50
श्री दि० सिं० चौधरी	Shri D. S. Chaudhuri . .	5650
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bill and Resolutions—	
बयासीवां प्रतिवेदन	Eighty second Report	5650

विषय	Subject	पृष्ठ Pages
देश में खाद्यान्नों के निर्बाध रूप से लाने-ले जाने के बारें में संकल्प—	Resolution re. Free Movement of Foodgrains in the country	
श्री विश्वनाथ राय	Shri Bishwanath Roy . .	5651
श्री इन्द्रजीत मल्होत्रा	Shri Inder J. Malhotra . .	5651–52
श्री बड़े	Shri Bade	5652
श्री राने	Shri Rane	5652–53
श्री क० ना० तिवारी	Shri K. N. Tiwary .	5653
श्री रंगा	Shri Ranga	5653–54
श्री मुथिया	Shri Muthiah . . .	5654
श्री श्रीनारायण दास	Shri Shree Narayan Das .	5654
श्री यमुना प्रसाद मंडल	Shri Yamuna Prasad Mandal	5654–55
श्री ओंकार लाल बेरवा	Shri Onkar Lal Berwa . .	5655
श्री मं० रं० कृष्ण	Shri M. R. Krishna . .	5655
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey . .	5655–56
श्री गोविन्द मेनन	Shri Govinda Menon . .	5656–57
श्री तन सिंह	Shri Tan Singh . . .	5657

लोक-सभा
LOK-SABHA

शुक्रवार, 25 मार्च, 1966/4 चैत्र, 1888 (शक)
Friday, March 25, 1966/Chaitra 4, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. SPEAKR *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

सरकारी उपक्रमों को प्रशासनिक अधिकार

\+
***772. श्री बागड़ी :** **श्री विश्राम प्रसाद :**
डा० राम मनोहर लोहिया : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों द्वारा अपना कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक तथा निर्बाध ढंग से चलाये जाने के लिए उन्हें अधिक प्रशासनिक तथा तकनीकी शक्तियां देने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो देश के सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन पर सम्पूर्ण नियंत्रण रखने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : सरकारी उपक्रमों को व्यवस्था सम्बंधी और तकनीकी पर्याप्त अधिकार देने की सरकार की नीति सदैव ही रही है जिससे कि वे व्यापारिक और स्वतंत्र रूप से अधिक कारगर ढंग से कार्य कर सकें। सरकारी उपक्रमों को और अधिक अधिकार देने या उनकी कार्यप्रणाली पर नियंत्रण की जांच करने का इस समय कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

Shri Bagri : Is there wide disparity in the expenditure incurred in the public and private sector undertakings? Do the Government intend to curtail that expenditure and if so, what methods are being adopted for the purpose ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : हम खर्च कम करने के लिये सभी आवश्यक उपाय कर रहे हैं। मूल्यांकन समितियां नियुक्त की जाती हैं और संसद् ने भी सरकारी उद्योगों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की है।

Shri Bagri : There are procedural bottlenecks in official transactions. What steps the Government are taking to minimise delays resulting from procedural bottlenecks ?

श्री संजीवय्या : प्रतिबन्धों की बात करना सही नहीं है। जहां तक नियुक्तियों का संबंध है, सरकारी उपक्रमों के प्रमुखों को यह अधिकार दिया हुआ है कि 250 रुपये तक के पदों पर वे स्वयं नियुक्तियां कर सकते हैं और व्यय के मामले में मंजूर की हुई योजनाओं पर वे 10 लाख रुपये तक अधिक व्यय कर सकते हैं और हिन्दुस्तान स्टील तो एक करोड़ रुपये तक अधिक व्यय कर सकता है।

Shri Vishram Prasad : Public sector undertakings get many things on controlled rates from foreign countries. Still they run at a loss. What is its reason? What steps the Government propose to take to see that they are run at a profit ?

Mr. Speaker : It is a general question. The main question relates to administrative and technical powers. The question of loss is a different question.

Shri Yashpal Singh : Are the Government aware that retired I.C.S. and I.A.S. officers are appointed on these undertakings. They are bureaucratic minded and do not have the spirit to serve. Do the Government propose to frame any rule under which retired I.C.S. and I.A.S. officers may be prevented from entering into service of these undertakings and instead persons, who really want to serve the people may find a place there ?

श्री संजीवय्या : हम सेवानिवृत्त आई० सी० एस० तथा आई० ए० एस० अधिकारियों का बिल्कुल तिरस्कार नहीं कर सकते हैं। अच्छे तथा कर्तव्य-परायण और देश के विकास में रुचि रखने वाले अधिकारियों की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये।

श्री रंगा : मैं नहीं जानता कि यह मंत्रालय प्रबन्ध निदेशक नियुक्त करता है अथवा नहीं। क्या सरकार का ध्यान सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की उन सिफारिशों की ओर दिलाया गया है जिनमें प्रबन्ध निदेशकों के बार बार बदले जाने की निन्दा की गई है और यह सुझाव दिया गया है कि उन्हें कम से कम पांच वर्षों तक बनाए रखा जाना चाहिये बशर्ते कि वह बिल्कुल कार्यक्षम न हों ?

श्री संजीवय्या : यह सही है कि सरकार ही महा प्रबन्धक तथा चेयरमैन नियुक्त करती है। मैं यह भी मानता हूं कि बार बार परिवर्तन करने से बाधा उपस्थित होगी और उससे उपक्रमों को हानि होगी। कभी कभी परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, परन्तु सामान्य तौर पर ऐसा नहीं होना चाहिये।

श्री वारियर : इन उपक्रमों का व्यय मंजूर करने में वित्त मंत्रालय बाधा उत्पन्न करता रहता है या विलम्ब कर देता है। क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए सरकार इन उपक्रमों को वित्त के मामले में अधिक शक्तियां देने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री संजीवय्या : जी, हां। उन्हें अधिक शक्तियां दे दी गई है और दी जा रही हैं।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि 1964-65 में इन सरकारी उपक्रमों का शुद्ध लाभ उससे पहले के वर्षों की तुलना में बहुत कम है ? प्रोफेसर गालब्रेथ ने भी कहा है भारत के सरकारी उपक्रमों को लाभ को दृष्टि में रखकर अपना कार्य करना चाहिये। क्या लाभ प्राप्त करने में असफलता का कारण यह है कि सरकार इन उपक्रमों को तकनीकी तथा प्रशासनिक शक्तियां देने में असमर्थ रही है ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : ऐसा लगता है कि माननीय सदस्य नेपा मिल सम्बन्धी प्रतिवदन की ओर निर्देश कर रहे है जो कल सभा पटल पर रखी गई थी। नेपा मिल के लाभ में कुछ गिरावट आई है ; वे हानि के आंकड़े नहीं थे अपितु 1964-65 में हुए लाभ के आंकड़े थे। मैंने आज सुबह पूछताछ

की थी। लाभ में कमी का कारण यह था कि मशीनों की सफाई आदि करना बहुत जरूरी हो गया था और इसलिये कुछ समय के लिय इसे बन्द करना पड़ा।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या सरकार ने महसूस किया है कि जब तक सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों तथा अधिकारियों को कोई प्रलोभन नहीं दिया जायेगा तब तक कोई लाभ नहीं कमाया जा सकेगा और धीमी प्रगति जारी रहेगी? यदि इसका उत्तर हां में हो, तो उन्हें कोई प्रोत्साहन देने के लिये सरकार क्या विशेष कार्यवाही करने जा रही है?

श्री संजीवय्या : मैं तो इस बात में विश्वास रखता हूं कि कर्मचारियों को प्रलोभन दिया जाना चाहिये और वास्तव में भोपाल हैवी इलेक्ट्रिकल्स में काफी विभागों में प्रोत्साहन प्रणाली लागू की गई है और उससे उत्पादन में वृद्धि हुई है और कर्मचारियों की आमदनी भी बढ़ी है। इसे धीरे धीरे लागू किया जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : प्रशासनिक शक्तियां देने की नीति निर्धारित करने में माननीय मंत्री का कितना हाथ है, क्योंकि मेरी जानकारी के अनुसार ये सरकारी उपक्रम जिनकी संख्या 60 या इससे अधिक है छै से अधिक मंत्रालयों के अधीन हैं और प्रत्येक मंत्री की अपनी अपनी नीति है? जब श्री सुब्रह्मण्यम इस मंत्रालय के प्रभारी मंत्री थे, उन्होंने काफी शक्तियां दे दी थी परन्तु अब उन्हें वापस लिया जा रहा है। इसलिये, क्या समन्वय स्थापित करने के लिये कोई संगठन आदि है और यदि हां, तो माननीय मंत्री कैसे कोई योगदान देते हैं और क्या मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं?

श्री संजीवय्या : सरकारी उपक्रम ब्यूरो नाम की एक ब्यूरो विभिन्न मंत्रालयों संबंधी कार्य का समन्वय करता है। अभी मुझे इस कार्य को देखने के लिये कहा गया है और मुझ आशा है कि हम इस कार्य का समन्वय और विभिन्न सरकारी उपक्रमों को शक्तियां देने के बारे में कुछ समानता स्थापित कर सकेंगे।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : ऐसी चीजें हमें परेशानी में डाल देती हैं। अब तक सरकारी उपक्रम ब्यूरो वित्त मंत्रालय का ही एक भाग था। उद्योग मंत्री का इससे कोई सम्बन्ध नहीं था। हमें पता चला है कि अब यह प्रधान मंत्री के अन्तर्गत मंत्रिमण्डल सचिवालय के अधीन चला गया है। इसका अर्थ है कि उद्योग मंत्री का इससे कभी भी वास्ता नहीं रहा है। मेरा पहला प्रश्न यह है क्या प्रधान मंत्री ने उनको मंत्रिमण्डल सचिवालय के अन्तर्गत इस ब्यरो की देखभाल करने के लिये नियुक्त किया है और इस कार्य के बारे में अब तक क्या समन्वय स्थापित किया गया है? क्या वे इस बारे में कुछ करने जा रहे हैं?

श्री संजीवय्या : यह सही है कि शुरू में यह ब्यूरो वित्त मंत्रालय के समन्वय विभाग के अन्तर्गत था। अब यह मंत्रिमण्डल सचिवालय के अन्तर्गत है। विशेष कर लोक सभा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिये प्रधान मंत्री ने जबानी मुझ से यह कार्य देखने के लिये कहा था और कानूनी तौर पर शीघ्र ही कार्यवाही किये जाने की संभावना है।

श्री हरिश्चंद्र माथुर : अब तक क्या कार्यवाही की गई है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने इसका उत्तर दे दिया है। मेरी राय में और कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है।

श्री हरिश्चंद्र माथुर : क्या मैं यह समझूं कि यह प्रश्न किये जाने तथा प्रधान मंत्री द्वारा इस कार्य की निगरानी करने के लिये कहे जाने से पहले कुछ भी नहीं किया गया है?

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि लिखित आदेश शीघ्र ही दे दिया जायेगा।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मुझे इससे कोई वास्ता नहीं है कि लिखित आदेश दे दिये गये हैं अथवा नहीं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस विषय पर कोई विशेष ध्यान दिया गया है अथवा नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : अब कार्यवाही की जायेगी।

श्री दी० चं० शर्मा : इन उपक्रमों पर उद्योग मंत्रालय क्या नियंत्रण रखता है और इस नियंत्रण के साथ साथ शक्तियों का प्रत्यायोजन कैसे किया जा रहा है ?

श्री संजीवय्या : मैं स्थिति स्पष्ट कर दूं। सरकारी उपक्रम ब्यूरो मुझे कानूनी तौर पर नहीं सौंपी गई है। मुझे जबानी विशेष कर इस प्रश्न के पश्चात् इस कार्य की निगरानी करने के लिये कहा गया है। जब तक यह ब्यूरो उद्योग मंत्रालय को नहीं सौंपा जाता, तब तक उद्योग मंत्री कोई कार्यवाही नहीं कर सकते।

हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने में बनी मशीनों का निर्यात

+

*773. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री बासप्पा :
श्री जं० ब० सिंह बिष्ट :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रा० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने में बनी मशीनों का निर्यात किन-किन देशों को किया जाता है;

(ख) क्या इनका निर्यात अमरीका, इंग्लैंड, पश्चिम जर्मनी तथा जापान को भी किया जाता है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयास किया गया था;

(घ) क्या इस सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक ने कुछ देशों की यात्रा की; और

(ङ) उनकी यात्रा पर कितना (विदेशी मुद्रा सहित) खर्च आया और उनकी यात्रा के फलस्वरूप क्या परिणाम निकले ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विबुधेन्द्र मिश्र) : (क) और (ख) : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों का निर्यात अब तक पश्चिमी जर्मनी, स्विट्जरलैंड, सोवियत रूस, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड, नाइजेरिया, न्यूजीलैंड तथा नेपाल को किया गया है।

(ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स मशीनी औजारों का अन्य देशों को भी निर्यात करने की सम्भावनाओं की खोज कर रही है जिनमें अमरीका, ब्रिटेन और जापान भी शामिल हैं।

(घ) जी हां।

(ङ) 20,632 रु० जिनमें 9,400 रु० की विदेशी मुद्रा के पुर्जे शामिल हैं। इन दौरों का उद्देश्य खोज करना था। विदेशों में विक्रय करने वाले संगठनों से सम्पर्क स्थापित किया गया है तथा आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में एजेंटों की नियुक्ति कर दी गई है।

श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने कहा है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों का कई देशों को निर्यात किया जाता है। ये मशीनें उन देशों में कहां तक लोकप्रिय सिद्ध हुई हैं और वे कीमत तथा किस्म के मामले में अन्य मशीनों की तुलना में कैसी हैं ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनें 1962–63 से निर्यात की जा रही है। अब तक यह निर्यात बहुत ही कम रहा है। इस वर्ष लगभग 26 लाख के लिये ही हमें क्रयादेश प्राप्त हुए हैं। जहां तक कीमतों का सम्बन्ध है बाजार में मांग उत्पन्न करने तथा अन्य मशीनों की कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिये हमें कीमतों में काफी और कभी कभी 50 प्रतिशत तक कमी करनी पड़ती है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या उन देशों में एजेंट नियुक्त करने के लिये प्रबन्ध निदेशक का उन देशों में जाना बहुत ही आवश्यक था ? क्या यह काम उन देशों में हमारे दूतावासों अथवा व्यापार आयुक्तों द्वारा नहीं किया जा सकता था ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : ये जटिल तथा आधुनिक मशीनें हैं। प्रबन्ध निदेशक एक विशेषज्ञ हैं और उसे व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिये जाना ही पड़ता है।

श्री स० चं० सामन्त : क्या निर्यात किये जाने वाले सामान की किस्म के बारे में इस बीच कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो क्या सामान का निर्यात किये जाने से पहले उसका निरीक्षण किया जायेगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : कोई शिकायत नहीं आई है।

श्री भागवत झा आजाद : इन देशों को प्रति वर्ष कितने मूल्य की मशीनें भेजी जाती हैं और क्या इनका निर्माण करके हम इन्हें निर्यात करते हैं अथवा हमें कुछ किस्म की मशीनों के क्रयादेश मिलते हैं और हम उन्हीं का निर्यात करते हैं ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : हम क्रयादेशों के आधार पर उनका निर्माण नहीं करते। जो मशीनें हमारे यहां बनाई जा रही हैं, हम उनके लिये विदेशों में मांग उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। जहां तक निर्यात राशि का संबंध है, 32.58 लाख रुपये के क्रयादेश की पूर्ति की जानी है और 1965–66 में 4.70 लाख रुपये की मशीनें निर्यात की गई थीं।

Shri M. L. Dwivedi : May I know the prices at which the H. M. T. watches are exported to foreign countries and how do these compare with the prices of the watches manufactured in Tokyo ?

श्री संजीवय्या : देश में 'सिटीजन' की कीमत 94 रुपये, जनता की 89 रुपये और 'सुजाता' की 99 रुपये है और इनको 37 रुपये की दर से निर्यात किया जाता है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैंने पूछा है कि अन्य देशों में वे किस कीमत पर बेची जाती हैं।

श्री संजीवय्या : 37 रुपये।

श्री रंगा : राज्य मंत्री ने कहा है कि 50 प्रतिशत कमी हुई है .....

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : मैंने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों के बारे में कहा था और यह घड़ियों के बारे में है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या यह सच है कि देश में मशीनी पुर्जों की खपत कम हो जाने से तैयार माल काफी बड़ी मात्रा में जमा हो गया है और यदि हां, तो कितनी मात्रा में और सरकार ने इस उद्देश्य से क्या कार्यवाही की है कि हिन्दुस्तान मशीनटूल्स में उत्पादन इस तरह से हो जिससे कि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो सके ?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : कुछ दिन पहले प्रबन्ध निदेशक ने मुझे बताया था कि मशीनों का जमाव हो गया है। उन्होंने मुझे यह भी बताया कि कम्पनियों के पास अब तक लगभग 2 करोड़ रुपये की मशीनें

पड़ी हुई हैं क्योंकि बाजार में उनकी भरमार है। प्रबन्ध निदेशक ने यह भी कहा था कि उन्हें आशा है कि कई कारणों जैसे कच्चे माल की कमी तथा उन पुर्जों के अभाव से जिन पर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है ऐसी स्थिति भविष्य में उत्पन्न नहीं होगी।

श्री बासप्पा : क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की घड़ियों जैसी घड़ियां जापान में भी बनाई जाती हैं और वे 40–50 रुपये पर बेची जाती हैं? यदि हां, तो वे विदेशी मुद्रा कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

श्री संजीवय्या : इन घड़ियों का निर्माण करने के लिये हमें विदेशी मुद्रा नहीं मिल रही है। इसीलिये, इन घड़ियों का निर्यात करने तथा विदेशी मुद्रा प्राप्त करने का प्रश्न उठा है। एक घड़ी के निर्यात से हमें जो विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है उससे लगभग 3 या 4 घड़ियों के पुर्जे खरीदे जा सकते हैं।

श्री जं० ब० सिं० बिष्ट : इन निर्यातों से कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त होने की आशा है?

श्री संजीवय्या : हिन्दुस्तान मशीन टूल्स की मशीनों के निर्यात से हमारा विचार लगभग पांच करोड़ रुपये प्राप्त करने का है। हम चाहते हैं कि चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक यह निर्यात 11 करोड़ रुपये प्रति वर्ष हो जाये।

श्री रा० बरुआ : क्या विदेशी मुद्रा की कटौती से इस उद्योग की उत्पादन क्षमता पर प्रभाव पड़ा है?

श्री विबुधन्द्र मिश्र : जी हां; इस पर प्रभाव पड़ा है (**अन्तर्बाधा**)।

Supply of Imported Goods to Government Offices

\+

*774. **Shri M. L. Dwivedi :** **Shri Subodh Hansda :**
Shri P. C. Borooah : **Shri S. C. Samanta :**
Shri Bhagwat Jha Azad :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) the extent of cut effected in the supply of imported goods to the various Government Offices and Departments on account of Emergency; and

(b) the names of the imported articles which are available from indigenous sources and are being imported in spite of their availability in the country?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibhudedra Misra) : (a) and (b). The required information is being collected and will be placed on the table of the House.

Shri M. L. Dwivedi : I want to know the value of imported goods used to be supplied before the emergency and what is the present position?

श्री विबुधेन्द्र मिश्र : इस प्रश्न का उत्तर मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग द्वारा दिया जाना चाहिए था। चूंकि इसका उत्तर देने के लिये हमें कहा गया अत: भरसक प्रयत्न करने पर भी हम यही कह सकते हैं कि जानकारी इकट्ठी की जा रही है।

Shri M. L. Dwivedi : Has the Ministry, in consultation with the Minister of the department concerned, ascertained the quantity of goods to be imported for Government officers as a result of the cut effected?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : विभिन्न विभागों से जानकारी एकत्रित की जा रही है। बिना जानकारी एकत्रित किये कुछ नहीं कह जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : इस में कितना समय लगेगा ? क्या मैं इसके लिये कोई दूसरा दिन नियत कर दूं ?

श्री संजीवय्या : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : क्या यह अगले सप्ताह ठीक रहेगा ?

श्री संजीवय्या : अगले सप्ताह तक बहुत कम समय है।

अध्यक्ष महोदय : क्या दो सप्ताह का समय ठीक रहेगा।

श्री संजीवय्या : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इस समय इसे स्थगित करके दो सप्ताह बाद की प्रश्नों की सूची में रखूंगा।

श्री ही० ना० मुकर्जी : आपातकालीन स्थिति बहुत पहले लागू की गई थी तथा बचत की दृष्टि से खच में कटौती की गई थी। किन्तु इतने समय के बाद भी सरकार यह कहती है कि वह जानकारी नहीं दे सकती कि इस से कितनी बचत हुई।

अध्यक्ष महोदय : साम्यवादी दल के नेता को यह बात समझनी चाहिए कि यदि मुझे बताया जाता है कि सरकार के पास जानकारी नहीं है तो मैं केवल यह कह सकता हूं कि जानकारी एकत्रित की जाये। मैं इस प्रश्न को फिर से प्रश्नो की सूची में रखूंगा। मैने इसका वचन दिया है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : किन्तु सभा को इस प्रकार की कार्यवाही पर असंतोष प्रकट करना चाहिए।

Setting up an Optical Factory in U.P.

+

***775. Shri Bhagwat Jha Azad :**
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shrimati Savitri Nigam :
Shri P. C. Brooah :
Shri Bibhuti Mishra :

Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether it has been decided to set up an optical factory in U.P. with the collaboration of East Germany; and

(b) if so, when the decision is likely to be implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Industry (Shri Bibhudendra Misra) : (a) No Sir.

(b) Does not arise.

श्री भागवत झा आजाद : क्या देश की आवश्यकताओं का कोई अनुमान लगाया गया है ? क्या हम अपनी मांग देशी संसाधनों से पूरी कर रहे हैं अथवा आयात से पूरा कर रहे हैं ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : पहली बात यह है कि हम आयात कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि हमने इस संबंध में निर्णय नहीं किया है। उत्तर प्रदेश सरकार को आशय पत्र दिया गया है और वह सहयोग की शर्तों के बारे में बातचीत कर रही है।

2—44 L. S. /66

श्री भागवत झा आजाद : क्या इस "नहीं" का अर्थ कोई प्रस्ताव नहीं है या कोई प्रस्ताव है ? यदि कोई प्रस्ताव है, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : उत्तर प्रदेश सरकार को 12 अक्तूबर, 1965 को आशय पत्र दिया गया था। वह जापान के सहयोग कर्ता फर्म, मेसर्स कार्बन चेस्ट के साथ बातचीत कर रही है।

Shri M. L. Dwivedi : In view of the fact that the U. P. Government are having talks with their collaborators, for setting up this factory, may I know the amount of foreign exchange has been sanctioned by the Government of India and the machinery proposed to be imported from that country ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : जब तक सहयोगकर्ता के साथ उत्तर प्रदेश सरकार की चल रही बात पूरी नहीं हो जाती, हमारे लिये कोई जानकारी देना संभव नहीं हैं।

श्री म० ला० द्विवेदी : इसके लिये अब कितनी धन राशि नियत की गई है और बातचीत के बाद कितनी नियत की जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : सहयोग सम्बन्धी करार होने के बाद ही हमें इस बात का पता लग सकगा कि हमें कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी और तभी हम नियत करेंगे।

श्री स० चं० सामन्त : क्या देश में वर्तमान ऑप्टिकल संस्थाओं की आवश्यकता से अधिक क्षमता है और यदि हां, तो क्या उसका पूरा उपयोग किया जायेगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : लखनऊ में एक सूक्ष्म यंत्र कारखाना और कलकत्ता में एक राष्ट्रीय उपकरण कारखाना है। जहां तक इस उपकरण कारखाने का सम्बन्ध है, ऐसा कोई कारखाना नहीं है।

श्री सुबोध हंसदा : क्या नये कारखाने में उसी ढंग से उत्पादन होगा जिस ढंग से दुर्गापुर में आप्टिकल ग्लासों का उत्पादन होता है।

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : उसमें भारत में बनाई जाने वाली मशीनों की तुलना में अधिक आधुनिक मशीने बनेगी।

श्रीमती सावित्री निगम : क्या हमारी आवश्यकता और देश में होने वाले उत्पादन के बीच के अन्तर के बारे में कोई सर्वेक्षण किया गया है तथा हम कब तक आत्मनिर्भर बन जायेंगे ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : हम प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख रुपये से 75 लाख रुपये तक के ऑप्टिकल सामान का आयात करते हैं। में समझता हूं कि यही अन्तर है। सरकार इस अन्तर को यथाशीघ्र समाप्त करने पर जोर दे रही है।

श्री प्र० चं० बरुआ : ऑप्टिकल सामान की हमारी वार्षिक आवश्यकता कितनी है। हमारे देश में कितना उत्पादन होता है और इस नये कारखाने के स्थापित हो जाने पर कितनी आवश्यकता पूरी हो जायेगी ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : ऑप्टिकल सामान की हमारी आवश्यकता का 1 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है जिस में से हम लगभग 60 लाख रुपये से 75 लाख रुपये तक का ऑप्टिकल सामान का आयात करते हैं। अत: हमारा आन्तरिक उत्पादन लगभग 25 लाख रुपये का होगा।

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that East Germany is the most developed country in this industry and she is ready to supply optical goods to India and the

goods to be manufactured in this factory will be superior and cheaper than the imported goods ?

श्री संजीवय्या : जब हम किसी फर्म विशेष के साथ बातचीत कर रहे हैं तो हम जर्मनी की किसी फर्म के साथ बातचीत करना उचित नहीं समझते ।

Shri Yashpal Singh : Has Government's attention been drawn to the fact that if even half the amount out of the money being spent on these factories, had been spent to boycott cigarettes and Dalda ghee, there would not have been any need of optical factors ?

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि देहरादून में प्रतिरक्षा मंत्रालय के अधीन एक ऑप्टिकल कारखाना है और क्या इस वर्तमान कारखाने से सहयोग स्थापित करने के लिये यह कारखाना भी देहरादून में स्थापित किया जायेगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : यह भी सरकारी कारखाना होगा जिसका नाम लखनऊ सूक्ष्म उपकरण कारखाना होगा ।

श्री बासप्पा : क्या सहयोग तकनीकी जानकारी के बारे में होगा और वास्तव में सहयोग का क्षेत्र क्या होगा ?

श्री संजीवय्या : यह तकनीकी जानकारी तथा कच्चे माल के आयात के लिए होगा ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या यह सच नहीं है कि पंजाब सरकार पंजाब राज्य में ऑप्टिकल कारखाना खोलना चाहती है, किन्तु सरकार ने उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी है ? पंजाब सरकार की प्रार्थना अस्वीकार किये जाने तथा इस कारखाने को अन्य स्थान पर स्थापित किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री संजीवय्या : मुझ इसकी जानकारी नहीं है । मुझे इसके लिये पृथक सूचना मिलनी चाहिए ।

प्रश्न संख्या 797 के बारे में

Re : Q No. 797

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न । श्री प्र० चं० बरुआ ।

श्री स० चं० सामन्त : प्रश्न संख्या 797 को इस प्रश्न के साथ लिया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यह पृथक बात है । यह इस के साथ नहीं लिया जा सकता ।

हैदराबाद में हिन्दुस्तान मशीनी औजार एकक

+

*776. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सं० चं० सामन्त ।
श्री मधु लिमये :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री बसुमतारी :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीनी औजार का पांचवा एकक हैदाराबाद में चालू कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसे तैयार करने में कितना खर्च आया है; और

(ग) उसके उत्पादन और उसकी अधिष्ठापित क्षमता सम्बन्धी विशेष बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजना की अनुमानित पूंजिगत लागत 775 लाख रुपये है। वास्तविक लागत परियोजना पूरी हो जाने पर ही पता लगेगी।

(ग) इस कारखाने में प्रति वर्ष 5 करोड़ रु० के मूल्य की इकहरे तथा विशेष कार्यों वाली 1000 मशीनों का निर्माण किया जा रहा है जिनमें ट्रांसफर लाइनें, गियर कटिंग तथा गियर हार्बिंग मशीनें शामिल हैं। ट्रांसफर लाइनें मोटर गाड़ी उद्योग के लिए उपयुक्त होंगी।

श्री प्र० चं० बरुआ : इस कारखाने में कितने मूल्य की मशीनें लगाई जायेंगी। इन में से कितनी मशीनें देश में निर्मित होंगी तथा कितनी मशीनों का आयात किया जायेगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : 2 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ?

श्री प्र० चं० बरूआ : मंत्री महोदय ने मेरे पहले प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इस कारखाने में बड़ी मात्रा में तैयार माल जमा है, जिससे मशीनी औजारों की देश में खपत कम हो गई है। देश में खपत बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ताकि इस कारखाने में माल जमा न होने पाये ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : यह थोड़े समय का मामला है। मैं समझता हूं कि तीन चार महीने में स्थिति सुधर जायेगी और इन मशीनों की मांग बढ़ जायेगी।

Shri M. L. Dwivedi : What are the criteria to select the places like Hyderabad, Pinjono or some other place for setting up H. M. T. Units ? Is it a fact that there is a proposal to set up one such unit in Jhansi ?

श्री संजीवय्या : हम तकनीकी कर्मचारियों की राय से स्थान का चुनाव करते हैं। वास्तव में उन्होंने एक कारखाना उत्तर प्रदेश में और दूसरा मध्य प्रदेश में स्थापित करने की शिफारिश की है।

श्री भागवत झा आजाद : निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 5 करोड़ रुपये के मूल्य के सामान का उत्पादन होने में कितना समय लगेगा ? यह कारखाना स्थापित हो जाने के पहले वर्ष में होगा या दूसरे वर्ष में ? पूरा उत्पादन कब से होने लगेगा ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : कारखाने का निर्माण निर्धारित समय के अनुसार हो रहा है। 1966–67 में अनुमानतः 1 करोड़ 75 लाख रुपये के सामान का उत्पादन होगा और आशा है कि 1969–70 तक पूरा उत्पादन होने लगेगा।

श्री सुब्रोध हंसदा : क्या इस कारखाने में देश में उत्पादित कच्चे माल का ही प्रयोग किया जायेगा अथवा उसका आयत किया जायेगा ? यदि आयात किया जायेगा तो किस किस कच्चे माल का आयात किया जायेगा ?

श्री संजीवय्या : मैं इस प्रश्न का उत्तर दे चुका हूं। हमें काफी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। इसलिये हम मशीनों का निर्यात करके विदेशी मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं।

श्री सं० चं० सामन्त : हम देश के विभिन्न भागों में विभिन्न कारखाने स्थापित कर रहे हैं। कारखाना स्थापित किये जाने से पहले क्या क्या शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं ?

श्री संजीवय्या : मैं इसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। तकनीकी अधिकारियों ने देश के कई भागों का दौरा किया था .....

Shri Vishwa Nath Pandey : Is any assistance of foreign technical experts being taken in special matters regarding its production and installed capacity ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : निर्माण कार्य में, जो इस समय चल रहा है, कोई विदेशी तकनीशियन काम नहीं कर रहा है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister has stated that a site in Uttar Pradesh has been selected for this unit ; May I know the name of the place where this unit will be set up ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : स्थान को चुना नहीं गया है ?

Shri Sarjoo Pandey : In a reply to Shri Dwivedi's question the hon. Minister has just stated that this unit will be set up in Uttar Pradesh.

Mr. Speaker : It will be set up in Uttar Pradesh but no place has so far been selected for the purpose. Therefore, the hon. Member may try for it.

श्री म० रं० कृष्ण : क्या हैदराबाद का कारखाना पूरी तरह स्वतंत्र होगा या बंगलौर स्थित मशीनी औजार कारखाने पर आश्रित होगा और क्या यह कारखाना पूरी मशीनें बनायेगा या बंगलौर में बनाई जाने वाली मशीनों के लिये पुर्जे बनायेगा ?

श्री संजीवय्या : यह कारखाना पूर्ण होगा। यह दूसरे कारखाने के लिये पुर्जे नहीं बनायेगा। यह मशीनें और पुर्जे दोनों बनायेगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : इस कारखाने में कितने कर्मचारी रखे गये हैं और उसमें से कितने कर्मचारियों को मकान दिये गये हैं।

श्री संजीवय्या : इस समय 1100-1200 कर्मचारी रखे गये हैं। अभी उनके रहने के लिये मकान नहीं बनाये गये हैं। इसके लिये हमने 50 लाख रुपये की व्यवस्था की है। अभी उन्होंने निर्माण आरंभ नहीं किया। 50 लाख रुपये आवास बस्ती के लिये रख गये हैं।

श्रीमती विमला देशमख : इस मशीनी औजार कारखाने में किस प्रकार के औजार बनाने का प्रस्ताव है ?

श्री विभुधेन्द्र मिश्र : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मंत्री महोदय ने पहले इस सभा में बताया था कि प्रत्येक राज्य में मशीनी औजार कारखाने की एक एक शाखा होगी। यदि ऐसी बात है तो अल्पविकसित क्षेत्रों की उपेक्षा करके पहले से ही विकसित क्षत्रों में शाखायें क्यों खोली जा रही है ? क्या सरकार की यही नीति है ? क्या मंत्री महोदय पहले दिये गये वचन को पूरा करेंगे ?

श्री संजीवय्या : हम एक मशीनी औजार कारखाना उत्तर प्रदेश में और एक मध्य प्रदेश में स्थापित करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हम एक कारखाना अजमेर (राजस्थान) में और दूसरा भावनगर में स्थापित कर रहे हैं।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं राजस्थान के बारे में नहीं पूछ रहा हूं। क्या वह अपने इस वचन को पूरा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में एक शाखा खोली जायेगी। सरकार की क्या नीति है ?

श्री संजीवय्या : हमारा यही प्रयास रहेगा कि सारे देश में इसकी शाखायें हों। शायद प्रत्येक राज्य में एक या दो शाखाएं होंगी।

पुस्तकों का आयात

+

*777. **श्री कर्णी सिंहजी :**
श्री हेम बरुआ :
श्री किशन पटनायक :
श्री बागड़ी :
श्री यशपाल सिंह :
श्री हेडा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री रा० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी मुद्रा की कमी के कारण विदेशों से पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के आयात पर लगाए गये कड़े प्रतिबन्ध कितनी अवधि तक जारी रहेंगे; और

(ख) क्या यह प्रतिबन्ध तकनीकी पुस्तकों, जिनकी भारत की विभिन्न संस्थाओं को बहुत अधिक आवश्यकता होती है, के आयात पर भी लागू होता है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख) : कटौती हटाकर आयात अब पूर्ववत कर दिया गया है।

श्री कर्णी सिंहजी : क्या लाइसेन्स देकर देश में जिन पुस्तकों की मांग है सस्ते मूल्य पर उनकी छपाई को प्रोत्साहन देने का सरकार का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मनुभाई शाह : यह प्रस्ताव शिक्षा मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री कर्णी सिंहजी : क्या तकनीकी तथा अन्य अधिक मांग वाली पुस्तकों का सरकारी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में उसी प्रकार अनुवाद कराने का सरकार का कोई प्रस्ताव है जिस प्रकार श्री शंकर ने सफलता पूर्वक बच्चों की पुस्तकों का अनुवाद किया है ?

श्री मनुभाई शाह : विभिन्न राज्यों में अनुवाद किया जा रहा है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय में भी यह कार्य किया जा रहा है किन्तु इसका मल प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री हेम बरुआ : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पुस्तकों के आयात के लिये नियत की जाने वाली विदेशी मुद्रा से काफी विदेशी मुद्रा घासलेटी साहित्य मंगाने पर खर्च की जाती है, क्या सरकार ने पुस्तकों के आयात के लिये विदेशी मुद्रा नियत

करते समय तक़नीकी पुस्तकों के तथा घासलेटी साहित्य के लिये विदेशी मुद्रा का अलग अलग प्रतिशत निर्धारित किया है ?

श्री मनुभाई शाह : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा सीधे विश्वविद्यालयों को दिये जाने वाले कूपनों की नई प्रणाली के अनुसार विश्व विद्यालयों के लिये 50 प्रतिशत तकनीकी पुस्तकों का आयात किया जायेगा। शेष में से केवल 10 प्रतिशत उपन्यास कहानी आदि की पुस्तकों के आयात की अनुमति दी जायेगी। इस बात का अन्तर करना संभव नहीं है कि क्या क्या घासलेटी साहित्य है और क्या क्या नहीं है।

Shri Kishen Pattnayak : The hon. Minister has just now stated that we do not distinguish between good books and bad books, I would like to draw his attention to the fact that lakhs of copies of 'Man only', 'Carnival: 'Meadows Paper Wax' and such other publications, which contain nude pictures of women, are being imported into India. These books are sold on footpaths, keeping in view the fact, will the Government totally ban the import of such books so that good books may be imported ?

श्री हेम बरूआ : निकृष्ट साहित्य से मेरा तात्पर्य यही था।

अध्यक्ष महोदय : यह एक ऐसा सुझाव है जिस पर सरकार विचार कर सकती है।

Shri Yashpal Singh : May I know whether the Government have any such account by which it may be known as to how many books are being imported for engineering and medical studies and how many for pastime only ?

Shri Manubhai Shah : No book is imported for pastime. One and a half crores of books are imported for technical studies and out of the rest one and a half crores 40% are regarding general literature including magazines and newspapers and 10% are fictions. If the hon. Member prepares a list of good and bad books, we wish to see that.

Shri Kishen Pattnayak : I have already submitted half the list.

Shri Manubhai Shah : Kindly send the list.

श्री हेम बरूआ : मैं उन्हें पुस्तकों की एक सूची देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : उस सूची को बाद में माननीय मंत्री के पास भेजा जा सकता है।

श्री श्यामलाल सर्राफ : क्या सरकार को विदित है कि विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ाये जाने वाले पाठ्यक्रमों को छोड़कर अर्ध इंजिनियरी तथा उन पाठ्यक्रमों के लिये भी जो विश्वविद्यालय स्तरों पर नहीं पढ़ाये जात देश में पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं और यदि हां, तो क्या उस ओर भी कुछ ध्यान दिया गया है ताकि हमारे नीचे स्तर के प्रविधिज्ञों को भी पाठ्य पुस्तकें प्राप्त हो सकें ?

श्री मनुभाई शाह : जहां तक प्रविधिक पुस्तकों तथा संहिताबद्ध साहित्य के आयात का संबंध है, विश्वविद्यालयों अथवा शिक्षा संस्थाओं को उन पुस्तकों के आयात की सुविधा दी जायेगी, जिसका वे आयात करना चाहें।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : विश्वाविद्यालय की पुस्तकों के अतिरिक्त क्या सरकार ने स्कूल के बच्चों के लिये उन एटलासों की उपलब्धि की स्थिति को सुधारने के लिये भी, जो भारत में उपलब्ध नहीं है, कोई कार्य बनाया है ?

श्री मनुभाई शाह : जी हां, यह अच्छा सुझाव है ।

Shri Onkar Lal Berwa : May I know whether it is a fact that in the conference held in Delhi the Booksellers' Association has requested the Government that books should not be imported from other countries and they are in a position to publish those books in India at same prices.

Shri Manubhai Shah : I have stated that it is a good suggestion that an effort should be made to print those books whose copyrights are not resevred and whose more than five hundred copies are required. As I have stated, it is under consideration.

\+ **Price of Coal**

*778. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**

Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Mines** and **Metals** be pleased to state :

(a) Whether the coal industry has raised the prices of Coal and Coke in order to give bonus to the labourers ;

(b) the reasons for transferring this burden on the small consumers instead of realising this money from big mill owners who are major consumers of Coal ; and

(c) The reaction of the Government to the increase in prices ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सै० अ० मेहदी) : कोयला और कोक की कीमतें केन्द्रीय सरकार खान नियंत्रण आदेश 1945 की धारा 4 के अनुसार नियंत्रित होती हैं । उद्योग को पेमेंट आफ बोनस एक्ट, 1965 के उपबन्धों के अनुसार बोनस अदा करने का दायित्व निभाना पड़ता है । उद्योग को बोनस दे सकने के योग्य बनाने के लिये 24 दिसम्बर, 1965 को कोयले की कीमत 40 पैसे प्रति मीटरी टन बढ़ा दी गई । यह बढ़ती केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई है, उद्योग द्वारा नहीं की गई है ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : May I know whether a large quantity of Coal is lying with the Coal mines and the Coal mines are unable to sell that and if so, whether the Government propose to send that Coal to villages so that it may be utilised for burning purposes ?

Shri S. A. Mehdi : The suggestion made by the hon. Member is under considerations. A meeting has been held with the Food Minister in this regard.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Last time the hon. Minister had stated that the price of Coal had been increased so that bonus might be paid to the labourers. May I know whether Government will now ascertain the payment or non-payment of bonus to the labourers and whether they will ensure that sufficient bonus is paid to them quickly without any further delay, because the price of coal has been increased.

Shri S. A. Mehdi : No, that is not so. The rate of bonus has been increased under an act and that provision has necessitated increase in prices.

Shri Yashpal Singh : The principle that bonus is paid after increase in prices is not correct. In turn the sugar mill owners and the cloth milowners tl

also demand that prices may be raised first and then they will pay bonus. In fact bonus should be paid out of the profit which they are earning.

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे): आज कल कोयले के मूल्य नियंत्रित हैं तथा इस उद्योग की वर्तमान स्थिति ऐसी है कि खान मालिकों को बहुत गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसी कारण से यह समझा गया था कि जब तक मूल्यों में कुछ वृद्धि न की जाये, तब तक बोनस का भुगतान करना उन के लिये संभव नहीं है।

Shri Rameshwaranand : As the bonus will be paid by increasing the price of Coal, this will result in inflation of prices. It will thus create a vicious circle. May I know how the Government will check it ?

श्री सु० कु० डे : मंहगाई का प्रभाव अप्रत्यक्ष रुप से सभी क्षेत्रों पर पड़ता है। अतः हम विभिन्न क्षेत्रों के बीच भेद भाव नहीं कर सकते।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मंत्री महोदय ने बताया कि मूल्य में यह वृद्धि 24 दिसम्बर, 1965 को मंजूर की गई थी। क्या उन्हें विदित है कि हालांकि यह वृद्धि जिस का उद्देश्य बोनस दिया जाना कहा जाता है, तीन मास पूर्व की गई थी तो भी बोनस की अदायगी आज तक नहीं की गई है ? इस का क्या कारण है कि वे मूल्य तो बढ़ा रहे हैं परन्तु इस बात की जांच नहीं की जा रही कि जिस प्रयोजन के लिये मल्य बढाये गये थे, उसकी पूर्ति की जा रही है अथवा नहीं ?

श्री सु० कु० डे : माननीय सदस्य इस बात की सरहाना करेंगे कि यह वृद्धि पहली तिथि से नहीं की गई है।

अध्यक्ष महोदय : शिकायत यह है कि बोनस का वास्तविक भुगतान नहीं किया गया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : तीन मास का समय व्यतीत हो चुका है।

श्री सु० कु० डे : बोनस का भूगतान किया जा रहा है। श्रम मंत्री ने इस प्रश्न पर खान मालिकों से विचार विमर्श किया है।

श्री अ० प्र० शर्मा : माननीय मंत्री ने कहा है कि खानों की स्थिति ऐसी है कि श्रमिकों को बोनस देने के लिये कोयले के मूल्य में वृद्धि करना आवश्यक था। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार के पास यह जांच करने के लिये कि कोयला खानों को कम लाभ हो रहा है अथवा बहुत अधिक लाभ हो रहा है अथवा उन्हें हानि हो रही है, क्या व्यवस्था है? क्या उन के सन्तुलन पत्रों की जांच की जाती है?

श्री सु० कु० डे : वित्त मंत्रालय की ओर से लागत-लेखक प्रतिनिधि कोयला खान मालिकों के लागत मूल्य की परीक्षा कर रहे हैं। उन का प्रतिवेदन शीघ्रही प्राप्त होने की आशा है।

श्री अ० प्र० शर्मा : उन्हो ने कहा है कि जांच की जा रही है। इस से पूर्व उन्हों ने कहा था कि खान मालिकों की स्थिति ऐसी है कि वे बोनस का भूगतान नहीं कर सकते। इस लिये मैं जानना चाहता हूं कि जांच समाप्त होने से पहले सरकार ने यह अनुमान कैसे लगा लिया कि वे बोनस का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है ?

श्री सु० कु० डे : खानों की स्थिति तथा कोयले की उत्पादन लागत के बारे में कोयला नियंत्रक लगातार अध्ययन करता रहता है।

\+ **पन्ना हीरे की खान का विस्तार**

***179. श्री क० ना० तिवारी :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पन्ना की हीरे की खान का, जहां औद्योगिक हीरे सब से अधिक मात्रा में पाये जाते है, ब्रिटन की एक फर्म के सहयोग से विस्तार करने का विचार है ;

(ख) क्या उक्त फर्म ने परियोजना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपनी स्वीकृति दे दी है ; और

(घ) क्या यह सच है कि हंगेरी हीरों के शोधन के लिये संयंत्र की व्यवस्था करने के लिये तैयार हो गया है ?

खान तथा धातु मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सै० अ० मेहदी) : (क) से (ग) : पन्ना हीरा खान के दो पूर्वेक्षण हैं रामखड़िया तथा भझगवान । रामखेड़ियां क्षेत्र में और किए गए पूर्वेक्षण के आधार पर परामर्शदाता मैसर्स जोन टेलर एन्ड संस यू० के० ने एक पुनरीक्षित परियोजना रिपोर्ट तयार की है । यह रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है ।

पहले उन्होंने भझगवान खान के विकास की सिफारिश की थी । इस योजना को सरकार का अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा वह पूरी की जा रही है ।

(घ) हां, महोदय । एक हंगेरियन ट्रेडिंग कम्पनी से भझगवान से हीरा निकालने के लिए एक विधायन प्लांट प्राप्त होने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है । यह प्रस्ताव विचाराधीन है ।

Shri K. N. Tiwary : May I know the main features of the proposal submitted by them, which is under consideration ?

Shri S. A. Mehdi : The present proposal submitted by them is that the scheme for recovery of 90,000 Carats of diamonds, which was intended for third plan may now be included in the Fourth Plan.

Shri K. N. Tiwary : How many diamonds were being recovered from these mines so far ? What increase has been made in the recovery of diamonds after the implementation of this scheme and what is the total value thereof ?

Shri S. A. Mehdi : The number of diamonds recovererd had not been large. Last year 1397 diamonds weighing 813.51 carats were recovered and in 1964 nearly 3386 diamonds weighing 12299.49 carats were recovered. I want to inform the House that work is in progress and we hope to recover more diamonds next year.

Shri K. N. Tiwary : How many diamonds are likely to be recovered after this scrutiny ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : यह कैसे कहा जा सकता है ? अनुमान यह है कि रामखरीया खान से 11,250 कैरट हीरों का उत्पादन प्रति वर्ष होगा और भजगवां खान से 22,500 कैरट हीरों का उत्पादन प्रतिवर्ष होगा ।

श्री के० दे० मालवीय : क्या यह सच नहीं है कि भजगवां खानों के विकास कार्यक्रम की क्रियान्विति में और रामखरिया खानों के पूर्वेक्षण कार्यक्रम में बहुत विलम्ब किया गया है तथा यदि पूर्वेक्षण कुछ वर्ष पहले पूरा कर लिया होता, तो इन्हें पहले आरम्भ किया जा सकता था ?

श्री सु० कु० डे : हमारे परामर्शदाता मैसर्स जोन टेलर एण्ड संस ने जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, सुझाव दिया था कि खानों के विकास से पहले आगे खोज की जाय ।

श्री के० द० मालवीय : क्या यह सच नहीं है कि यह दूसरा एवं तीसरा अवसर है जब कि मैसर्स जोन टेलर एण्ड संस ने अपनी असफलता का स्वीकार किया है और फिर पूर्वेक्षण कराने का सुझाव दिया है ?

श्री सु० कु० डे : मुझे इसकी जानकारी नहीं है ।

Shri R. S. Tiwary : I want to know the expenditure incurred so far since their nationalisation on Ramkheria and Majrganwan mines and the number of diamonds recovered ? These mines are being run at a loss of lakhs of rupees and this plea is put forward that this expenditure is essential for future income, while to private compaines are earning profit.

श्री सु० कु० डे : खानों के अध्ययन, छिद्रण तथा विकास संबंधी प्रारम्भिक कार्यों पर अब तक कुल 145 लाख रुपये व्यय किये जा चुके है। और प्राथमिक तौर पर ही कुछ हीरे निकाले गये है । पूरा उत्पादन अभी आरम्भ होना बाकी है ।

श्री बड़े : क्या यह सच है कि ब्रिटिश फर्म के सहयोग के कारण मध्य प्रदेश के पुराने खोदने वालों तथा पन्ना हीरा खानों से संबन्धित पुराने व्यक्तियों ने यह भय व्यक्त किया है कि उन्हें बहुत हानि उठानी पड़ेगी ?

श्री सु० कु० डे : किसी से कोई सहयोग स्थापित नहीं किया गया है । हम उन से केवल परामर्शदात्री सेवायें प्राप्त कर रहे हैं । फिलहाल हमें किसी व्यक्ति की किसी गंभीर शिकायत की जानकारी नहीं है ।

श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी : खानों में पूरा उत्पादन कब तक आरम्भ हो जायेगा ?

श्री सु० कु० डे : वर्तमान अनुमान के अनुसार 1967 के अन्त तक ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या अन्य राज्यों में भी हीरों के लिये पूर्वेक्षण किया जा रहा है, और क्या हीरों के लिये कोई विदेशी बाजार तलाश कर लिया गया हैं, क्यों कि भारतीयों को अब हीरों में कोई रुचि नहीं है ?

श्री सु० कु० डे : मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि भारत के लोगों में अब हीरें के प्रति रूचि नहीं रही है, उन्हें तो हर प्रकार के जवाहरात से प्रेम है ।

श्री लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मैं जानना चाहता हूं कि पन्ना खानों का अन्तिम पूर्वेक्षण कब किया गया था और उस के क्या परिणाम निकले और क्या सरकार इन तथ्यों के प्रति जागरुक है कि वैज्ञानिक ढंग से कार्य न करने के कारण एवं साधनों का उचित प्रकार से उपयोग न करने के कारण देश को बहुत हानि उठानी पड़ी, क्योंकि इन खानों का बिल्कुल भी वैज्ञानिक ढंग से उपयोग नहीं उठाया गया ?

श्री सु० कु० डे : भूतकाल में क्या किया गया इस के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता । मैं तो केवल इतना कह सकता हूं कि भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग देश का सामान्य सर्वेक्षण करता रहता है और अब गत कुछ वर्षों से जैसा कि बताया गया है गहन खोज की जा रही है ।

श्रीमती यशोदा रेड्डी : मैं जानना चाहती हूं कि क्या सरकार ने सारे देश का समूचे रूप से सर्वेक्षण किया है और पन्ना तथा अन्य ज्ञात हीरे के क्षत्रों को छोड़ कर क्या देश के किसी अन्य भाग का भी पूर्वेक्षण किया जायेगा ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कुछ करेंगी ?

श्री सु० कु० डे : सब प्रकार के खनिज पदार्थो की उपलब्धी के बारे में सर्वेक्षण किया जा रहा है । इस समय मैं यह नहीं कह सकता कि देश के किसी अन्य भाग में भी हीरे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं ।

Booking of Coal Beyond Moghalsarai

+

*780. **Shri D. N. Tiwary :**
Shri Indrajit Gupta :
Shri Bhagwat Jha Azad :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri S. C. Samanta :
Shri Subodh Hansda :
Shri P. C. Borooah :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that booking of coal was closed to the stations beyond Moghalsarai in December, 1965 ;

(b) if so, the reasons therefor ; and

(c) the period for which the booking remained closed ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No, Sir.

(b) & (c). Do not arise.

Shri D. N. Tiwary : May I know whether the export of Coal during the month of December from Moghalsarai Station was more or less in comparison to that of previous years ?

Dr. Ram Subhag Singh : In fact during the year 1964 the export has been more during almost all months except three months. During the month of December, 1964 whereas 1157 wagons were moved to wards this side of Moghalsarai, the number of wagons moved during 1965 was 1370. This clearly shows that the number of wagons moved during 1965 was more than the number of wagons moved during 1964.

Shri D. N. Tiwary : I want to know the number of wagons moved towards this side from Moghalsarai during 1963-64 and 1964-65.

Dr. Ram Subhag Singh : I have stated that during three months of 1964.

Shri D. N. Tiwary : I wanted to know about the entire year.

Dr. Ram Subhag Singh : The figures regarding the entire year will be placed on the Table of the House.

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैंने एक बिल्कुल अलग प्रश्न पूछने का नोटिस दिया था जिस का सम्बन्ध लोकों शैड़ों के लिये रेलवे द्वारा कोयला खरीदने से था। परन्तु मेरा नाम इस प्रश्न के साथ जोड़ दिया गया है । मैं इस का अर्थ नहीं समझ सका । मैं कोई प्रश्न नहीं पूछना चाहता ।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस बारे में जांच करुंगा ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it is not a fact that any restriction was imposed during December 1965 on the movement of Coal passing through Mughalsarai ?

Dr. Ram Subhag Singh : Any restriction includes that whenever there is congestion at a particular station loading for that station is closed and I agree that it might have been there. But this question relates to the closing of booking.

I have stated that booking was not closed. Whenever there is congestion at certain stations, loading is started after some days of congestion and unloading is undertaken.

श्री स० चं० सामन्त : मुगल सराय से परे कोयले की सप्लाई बनाये रखने के लिये, रेलवे का मुगल सराय के बाद 'डम्प' बनाने का प्रस्ताव था। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या ये 'डम्प' बना दिये गये हैं और क्या इस बारे में कार्यवाही ठीक से चल रही है ?

डा० राम सुभग सिंह : वास्तव में यह एक ऐसा मामला है जिससे राज्य सरकारों का अधिक सम्बन्ध है। वे जो भी प्रक्रिया अपनायेंगे, रेलवे उसको सहर्ष मानेगा और कुछ राज्य सरकारों ने 'डम्प' प्रक्रिया अपनायी है लेकिन कुछ ने यह व्यवस्था छोड़ दी है।

इलाहाबाद में प्रदर्शनी

*781. **श्री विभुति मिश्र :** क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद में 'भारत 1965' (इंडिया 1965) प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कौनसी वस्तुएं प्रदर्शित की गई थीं ; और

(ग) उसके बारे में जनता की क्या प्रतिक्रिया थी ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) इस प्रदर्शनी में इंजीनियरी, निर्मित और उपभोक्ता वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था।

(ग) जनता ने कुछ प्रदर्शित वस्तुओं की सराहना की है।

Shri Bibhuti Mishra : Which of the items of khadi were exhibited in this exhibition and whether charkhas, looms etc. which were used at the time when Gandhiji was alive were exhibited and whether the improvement made thereafter was also shown ?

Shri Manubhai Shah : The main object of the exhibition was not only the exhibition of Khadi. Anyhow the stall of Khadi was appreciable. At the exhibition held in Jaipur khadi goods were exhibited in quite a large number.

Shri Bibhuti Mishra : Is it a fact that the tractor which is being manufactured in Russia will be of very low cost ? Have the Government also manufactured any such tractor and whether such tractor was put in this exhibition ?

Shri Manubhai Shah : You have gone too far, comparing Russian tractor with the exhibition at Allahabad.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : एक या दो स्थानों पर कभी कभी प्रदर्शनियों का आयोजन करने के अतिरिक्त क्या सरकार की ऐसी प्रदर्शनियां आयोजित करने की कोई बड़ी योजना है जिससे देश में बनायी जाने वाली नई वस्तुओं को प्रोत्साहन मिले और यदि हां, तो उसका क्या ब्यौरा है ?

श्री मनुभाई शाह : देश में लगभग हर दिन प्रदर्शनियां होती रहती हैं। वास्तव में हम केन्द्रीय सरकार के स्तर पर कोई स्थानीय प्रदर्शनी का आयोजन नहीं करते। यह सब काम स्थानीय उपक्रमों का है।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : देश में बनाई जाने वाली नयी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिये।

श्री मनुभाई शाह : जी, हां। हम ऐसा ही करते हैं।

Shri Bhagwat Jha Azad : I want to know the special occasion for holding such an exhibition and what points were stressed and why only certain items were appreciated by the public ?

Shri Manubhai Shah : Due to Kumbh fair it was decided by peoples residing there and the All India Producers Association that such an exhibition should be held. We simply gave them some help.

Shri Sheo Narain : Were the machineries exhibited in the exhibition meant for sale also ?

Shri Manubhai Shah : It was said that all the articles were meant for sale. But the Central Government was not responsible for this exhibition.

कच्चे लोहे के उद्योगसमूह के बारे में अध्ययन

+

***783. डा० चन्द्रभान सिंह :**
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री लखमू भवानी :
श्री वाड़िया :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री 10 दिसम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 798 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या भारत सरकार ने कच्चे लोहे के उद्योगसमूह की स्थापना के बारे में मैसर्स कुलजियन कारपोरेशन (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किये गये व्यवहार्यता अध्ययन पर इस बीच अन्तिम रूप से निणय कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ?

लोहा और इस्पात मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

डा० चन्द्रभान सिंह : क्या इस कारपोरेशन ने मध्य प्रदेश में किसी स्थान विशेष की सिफारिश की थी ?

श्री प्र० चं० सेठी : उन्होंने मध्य प्रदेश में कटनी के बारे में सिफारिश की थी ।

डा० चन्द्रभान सिंह : इस सिफारिश पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसकी जांच की जा रही है । जब सरकार धमन यही कम्पलैक्स स्थापित करने के बारे में निर्णय कर लेगी तब इस बारे में निर्णय किया जायगा ।

रेलवे बोर्ड के सदस्यों का सेवा काल बढ़ाया जाना

***784. श्री अ० प्र० शर्मा :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में रेलवे बोर्ड के कुछ अतिरिक्त सदस्यों तथा सदस्यों का सेवा काल बढ़ाया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : इस वर्ष अभी तक केवल अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड का कार्यकाल 22-1-66 से एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है । सेवाकाल

सार्वजनिक हित में बढ़ाया जाता है और उपयक्त समय पर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हर मामले के गुण दोष के आधार पर निर्णय किया जाता है।

श्री अ० प्र० शर्मा : मौजूदा नियमों के अनुसार तकनीकी विभागों में व्यक्तियों का सेवा काल बढ़ाया जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि तकनीकी अफसरों, विशेषत: सदस्य (मिकेनिकल इंजिनियरिंग) का सेवा-काल क्यों नहीं बढ़ाया गया ?

डा० राम सुभग सिंह : जैसा मैं मूल उत्तर में बता चुका हूं, हर मामले की गुण दोष के आधार पर जांच की जाती है और इसकी भी इसी प्रकार जांच की गयी थी।

Release of Aid Cargo by Pakistan

+

S. N. Q. 12. Shri Gulshan :
Shri P. Venkatasubbaiah :
Shri Buta Singh :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Government of Pakistan have agreed to release to India the aid cargo confiscated by them during the recent hostilities; and

(b) if so, when it is expected to be released ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) अभी सहायता सामान को छोड़ने से सम्बद्ध प्रणाली के ब्योरे की जांच भारत और पाकिस्तान की सरकारों द्वारा की जा रही है।

Shri Gulshan : May I know whether Pakistan has said anything about the railway wagons that reached Lahore and which were confiscated?

Mr. Speaker : He may confine himself to question only.

श्री रंगा : इस सामान का क्या मूल्य है और क्या हमारे पास भी उनका कुछ सामान है जो हम उन्हें बदले में देंगे ?

श्री मनुभाई शाह : हमारे पास 111 प्रेषण हैं जिनका मूल्य 2.78 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार अन्य प्रेषणों का मूल्य 1.30 करोड़ रुपये है।

श्री हेम बरुआ : क्या यह सच नहीं है कि सरकार ने अमरीका सरकार के आदेश पर अमरीकी सहायता सामान पाकिस्तान को देने के बारे में एकपक्षीय निर्णय कर लिया था और यदि हां, तो क्या हमारी सरकार ने पाकिस्तानी साधनों अथवा अमरीकी साधनों से यह पता लगा लिया है कि क्या अमरीका सरकार ने पाकिस्तान से भी हमारा सामान छोड़ने को कहा था ?

श्री मनुभाई शाह : मैं ने अपने उत्तर में यही बताया है। यह किसी सरकार के आदेश पर नहीं किया गया। दोनों देश सहायता सामान को छोड़ने को राजी हो गये। किस प्रकार से इस निर्णय को क्रियान्वित किया जाये, यह प्रक्रिया अभी विचाराधीन है।

श्री हेम बरुआ : एक समाचारपत्र में मोटे मोटे अक्षरों में स्पष्ट रूप से यह समाचार दिया गया था कि भारत सरकार ने एकपक्षीय तौर पर अमरीकी सामान छोडने का निर्णय कर लिया है क्यों कि अमरीका सरकार ने भारत सरकार से इस बारे में प्राथना की थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि एकपक्षीय तौर पर ऐसा निणय क्यों किया गया ?

श्री मनुभाई शाह : मैं नवीनतम स्थिति बतला रहा हूं। सहायता देने वाले हर देश की सरकार ने दोनों देशों से कहा और दोनों देशों ने ऐसा कह कर सम्मान प्राप्त करना चाहा कि 'हम स्वयं ही ऐसा कर रहे हैं'। इस बारे में दोनों ने समान कार्यवाही की है। प्रक्रिया के रूप में अन्तिम निर्णय किये जाने के बाद दोनों देश माल को छोडेंगे।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : दोनों देशों के बीच हुए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं और दोनों देशों के बीच अब किन मामलों पर विचार हो रहा है और क्या समझौता कराने के लिये किसी मित्र देश ने कोई हस्तक्षेप किया है ?

श्री मनुभाई शाह : मुख्यतः इस बात पर विचार किया जा रहा है कि यह सामान सीधे दोनों देशों को सौंप दिया जाये या यह दानी देश को वापस भेज दिया जाय और यह दान प्राप्त करने वाले देश फिर उस दानी देश से यह सामान प्राप्त करें। हम सीधा तरीका अपनाना चाहते हैं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : मित्र देशों के हस्तक्षेप के बारे में क्या बात है ?

श्री मनुभाई शाह : कितने ही लोगों ने सहायता करने का प्रयत्न किया है ?

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I want to know whether it has been agreed to pay compensation for the cargo destroyed after it was confiscated.

Shri Manubhai Shah : It can be known after the receipt of cargo.

Mr. Speaker : Has there been any talks in this respect ?

Shri Manubhai Shah : No, Sir. No such talks were held.

Shri Yashpal Singh : May I know whether Pakistan have inscribed on our ship 'Sarawsati' the name 'Rajiya' and in what condition it is at present ? That ship is coming back or not.

Shri Manubhai Shah : We are talking of aid cargo.

Shri Bade : In reply to a question it was replied that there were no talks regarding damages. But it has appeared in press that Pakistan has asked for damages and we have agreed to pay the damages. Is it a fact ?

श्री मनुभाई शाह : भारत पाकिस्तान का प्रश्न बडा विशिष्ट प्रश्न है और इसी प्रकार उनका उत्तर दिया जाना है। यह प्रश्न सहायता स्वरूप प्राप्त सामान के बारे में है और इसी बारे में मैंने उत्तर दिया है। दोनों दश यह सामान छोडने को राजी हो गये हैं और इस बारे में प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

(WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS)

पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात

*782. **श्री रामचन्द्र उलाका** :

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न देशों को पटसन से बनी हमारी वस्तुओं का निर्यात कम हो गया है;

(ख) विभिन्न देशों को पटसन से बनी वस्तुओं का कितना निर्यात होता है ; और

(ग) पटसन से बनी हमारी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : पटसन से बनी वस्तुओं का 1965 में 184 करोड़ रु० मूल्य का निर्यात हुआ जिस के अनुसार 1964 की तुलना में 23 करोड़ रु० की वृद्धि हुई ।

(ग) सदन की मेज पर एक विवरण रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०-5902/66**]

रूई का आयात

*785. **श्री कपूर सिंह :**
श्री प्र० के० देव :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशी रूई के आयात का केन्द्रीयकरण करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीयकृत अभिकरण का विवरण क्या है; और

(ग) इस संबंध में व्यापारियों तथा पुराने आयातकर्ताओं की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

पश्चिमी बंगाल में दुर्लभ कच्चे माल की कमी

*786. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **खान** तथा **धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि पश्चिमी बंगाल में सैंकड़ों बड़े, मध्यम और लघु उद्योगों के तांबे, पीतल, सीसा, टीन और जस्ता आदि अलौह धातुओं के कोटा और भंडार समाप्त हो गये हैं तथा इसके कारण उन्हें गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या दुर्लभ औद्योगिक माल (नियंत्रण) आदेश 1965 के उपबन्धों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) रुपयों में भुगतान स्वीकार करने वाले देशों से आयात करके तथा आयात की जाने वाली वस्तुओं का देश में उत्पादन करके वर्तमान कमी को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां, महोदय ।

(ख) विषय विचाराधीन है ।

(ग) पूर्वी यूरोप के देशों के साथ 1966 में हुई व्यापार योजना में अलौह धातुओं का आयात शामिल है। अलौह धातुओं के स्थान पर यथासम्भव एल्यूमिनियम का प्रयोग, जो देश में प्राप्त हैं, करने के लिये कदम उठाये जा रहे है।

जापान को लौह अयस्क का निर्यात

*787. **श्री महेश्वर नायक :**

श्री प्र० चं० बरुआ :

श्री रा० गी० दुबे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार और आये हुए जापानी आर्थिक शिष्टमंडल के बीच यह निर्णय हुआ है कि लौह अयस्क का वार्षिक निर्यात 1 करोड़ 20 लाख टन से बढ़ा कर 2 करोड़ टन किया जाये ;

(ख) क्या इस निर्णय में लौह अयस्क खानों के एकीकृत विकास और खानों को बंदरगाहों से मिलाने की भी व्यवस्था है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है।

विवरण

दीर्घकालीन आधार पर जापान को भारतीय लौह अयस्क के निर्यात में और अधिक वृद्धि करने के उपायों के सम्बन्ध में दौरे पर आए हुए जापानी आर्थिक मिशन के सदस्यों से 11 मार्च 1966 को बातचीत हुई है। कुछ वर्षों में ही जापान के लौह अयस्क के आयात में 600 लाख मी० टन की वृद्धि की सम्भावना देखकर हमने जापान को होने वाले अपने लौह अयस्क के निर्यात की मात्रा में यदि सम्भव हो तो लगभग 200 लाख मी० टन की वृद्धि करने की इच्छा व्यक्त की। विशाखापटनम् बंदरगाह से किरीबुरू तथा बैलादिला के 60 लाख मी० टन अयस्क के निर्यात के उस प्रबन्ध के अतिरिक्त जो पहिले से ही क्रियान्वित हो रहा है जापानी मिशन का ध्यान विशेषत: इन बातों की ओर भी दिलाया गया : 1967 से दतारी खान से आने वाले 20 लाख मी० टन का लदान पैरादीप बंदरगाह से होने की सम्भावना, मोरमगावो बंदरगाह की सुविधाओं के आधुनिकीकरण की योजनाओं को अन्तिम रूप दिया जाना जिससे 80 लाख मी० टन क्षमता का विकास होगा और जिसमें 120 लाख मी० टन तक के विस्तार की गुंजाइश होगी, मंगलौर के नवीन बन्दरगाह के निकट मैसूर राज्य के कुद्रेमुख में मैग्नेटाइट के बड़े भण्डार के अन्वेषण में प्रगति, और बैलादिला अयस्क के अतिरिक्त निर्यात के लिये काकीनाडा या उसके निकट एक दूसरा बंदरगाह खोलने की सम्भावना। जापानी मिशन इन सम्भावनाओं का अध्ययन करने के लिये सहमत हो गया जिससे भारत, जापान की लौह अयस्क की मांग के पर्याप्त अनुपात को सतत आधार पर पूर्ण करते रहने में समर्थ हो सकेगा।

दुर्गापुर में इस्पात परियोजनायें पूरी करने में देरी

*788. **श्री मुहमद इलियास :**

डा० रानेन सेन :

श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुर्गापुर में धातुमिश्रित इस्पात परियोजना और दुर्गापुर इस्पात कारखाने की विस्तार योजना पूरी करने में देरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण है और भविष्य में ऐसे देरी न हो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि दुर्गापुर में लोह मिश्रित धातु कारखाना स्थापित करने के बारे में प्रस्ताव था और यदि हां, तो उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, हां। कुछ हद तक।

(ख) मिश्र-इस्पात कारखानें में देरी के लिए किसी व्यक्ति विशेष को उत्तरदायी ठहराना मश्किल है क्योंकि इसमें कई पार्टियां शामिल है जैसे उपकरण सप्लाई करनेवाले, परामर्शदाता, प्रबन्धक वर्ग, ढांचे बनाने वाले, तथा स्थल-ठेकेदार। इसके अलावा 1964 में असाधारण अधिक वर्षा होने के कारण भी कार्यस्थल पर काम की गति मन्द रहीं। दुर्गापुर इस्पात कारखाने के विस्तार के सम्बन्ध में, बड़ी घण्टी की दुर्घटना होने के कारण धमन भट्टी नं० 4 के चालू होने में देरी हो गई। कोक भट्टियां चालू करने में भी कुछ देरी हो गई। इस देरी का उपयोग धमन भट्टी नं० 1 को पुनश्चित करने में किया जाएगा। दुर्गापुर इस्पात कारखाने और मिश्र इस्पात कारखाने से सम्बन्धित सभी व्यक्तियों से कहा गया है कि वे भविष्य में इस प्रकार की देरी को रोकने के लिए इस अनुभव से लाभ उठायें। काम की प्रगति पर भी सतत नजर रखी जाती है। जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या समय पर प्रत्युपाय नहीं किये जा सकते।

(ग) जीं, हां। फेरो-क्रोम की आवश्यकता पर पुनर्विचार करने से यह ज्ञात हुआ है कि यदि पहले लाइसेंस की जा चुकी सभी योजनाएं कार्यान्वित हो जायें तो ये योजनाएं 1970–71 में इस वस्तु की प्रत्याशित मांग पूरी कर सकेंगी। अतः यह निश्चय किया गया कि यदि पहले लाइसेंस की गई योजनाओं में से कोई योजना अच्छी प्रगति नहीं करती तो सरकारी क्षेत्र में कारखाना स्थापित करने के प्रश्न पर पुनः विचार किया जायेगा। यह पुनर्विचार इस वर्ष के मध्य तक करने का प्रस्ताव है।

जापान के सहयोग से नई दिल्ली के निकट ढलाई कारखाना

*789. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के निकट एक ढलाई कारखाना स्थापित करने के सम्बन्ध में मेसर्स कोबे स्टील कम्पनी (जापान) ने भारत के मेसर्स य० पी० स्टील लिमिटड के साथ एक करार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां। इस संयंत्र को उत्तर प्रदेश के मुजफरनगर में स्थापित करने का विचार है।

(ख) करार में संयंत्र खड़ा करने और उसे चलाने के लिये तकनीकी सहायता की व्यवस्था करने और आवश्यक तकनीकी जानकारी प्रदान करने तथा भारतीय तकनीशियनों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है। इन सब सेवाओं के लिये भारतीय कम्पनी विदेशी कम्पनी को उपयुक्त शुल्क देगी। भारतीय कम्पनी में विदेशी कम्पनी द्वारा इक्विटी पुंजी में कुछ हिस्सा बटाने का भी विचार किया जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र में मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन

*790. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) क्या 21 विकासशील देशों ने जिनमें भारत भी सम्मिलित है राष्ट्रों के विश्व मुद्रा व्यवस्था में परिवर्तन सम्बन्धी निणय करने के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र में चुनौती दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सुझावों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन की व्यापार से सम्बद्ध अदृश्य वस्तु एवं वित्त समिति को, जनवरी-फरवरी 1966 में न्यूयार्क में हुए इसके विशेष अधिवेशन में, भारत सहित इक्कीस विकासशील देशों ने, अंतर्राष्ट्रीय नकदी सम्बन्धी एक संयुक्त ज्ञापन दिया था जिसमें इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के सम्बन्ध में यथा-सम्भव व्यापक क्षत्र द्वारा, न कि देशों के सीमित वर्ग द्वारा, निर्णय देने की आवश्यकता पर बल दिया दिया था क्योंकि एसे निर्णय समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर प्रभाव डालते हैं ।

(ख) उपर्युक्त सिद्धान्त और विकासशील तथा सुविकसित दोनों प्रकार के देशों के लिये हितकर अंतर्राष्ट्रीय नकदी की समस्या के हल ढूंढ़ने की आवश्यकता पर बल देने के साथ साथ, ज्ञापन में, संयुक्त राष्ट्र व्यापार तथा विकास सम्मेलन के महासचिव द्वारा नियुक्त किये गये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा समस्या विशेषज्ञ वर्ग के प्रतिवदन में दिये गये परिणामों तथा सिफारिशों का समर्थन भी किया गया है । साथ ही उसी दिशा में कुछ अन्य सुझाव भी दिये गये हैं ।

ईराक से खजूर का आयात

*791. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :
डा० राम मनोहर लोहिया :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी 1966 में राज्य व्यापार निगम ने ईराक से खजूर आयात किये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या ये खजूर मानवीय उपयोग के उपयुक्त नहीं पाये गये ; और

(ग) यदि हां, तो इसके लिये ईराकी खजूर कम्पनी (निर्यातकर्ता) अथवा राज्य व्यापार निगम (आयातकर्ता) में से कौन उत्तरदायी था ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : जनवरी/फरवरी 1966 के महीनों में राज्य-व्यापार निगम द्वारा आयात की गई खजूरों की 35,300 टोकरियों में से लगभग 580 टोकरियां, पत्तन तथा नगर स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा बहुत कड़े निरीक्षण करने के बाद, मानवीय उपयोग के उपयुक्त नहीं पाई गई । खजूरों जैसी नष्ट होने वाली वस्तुओं में परिवहन-देख-भाल तथा भण्डारण में कुछ भाग का खराब हो जाना सामान्य तथा अवश्यम्भावी है । इसे यदि इस सन्दर्भ में देखा जाय तो यह थोड़ा सा ही प्रतिशत है और किसी एक पर उत्तरदायित्व निश्चित करना कुछ कठिन है ।

सरकारी उपक्रम

*792. **श्री हिम्मतसिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक ऐसे प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि सरकारी उपक्रमों का लक्ष्य विनियोजित पंजी पर 12 प्रतिशत लाभ अर्जित करना होना चाहिय;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रस्ताव वेंकटरामन समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है ; और

(घ) इस प्रस्ताव से सरकार को कहां तक लाभ होगा ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) सरकार के विचाराधीन एसा कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है जिसके द्वारा सरकारी उपक्रमों को लगाई गई पूंजी पर 12 प्रतिशत लाभ कमाने का उद्देश्य रखा गया हो;

(ख) से (घ) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

सेलम इस्पात कारखाने के बारे में प्रतिवेदन

*793. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री स० कंडापन :

क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेलम इस्पात कारखाने के बारे में सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में जापानी दल ने कितनी प्रगति की है;

(ख) प्रतिवेदन में क्या-क्या सिफारिशें की गई है;

(ग) क्या धातुमिश्रित इस्पात और विशेष इस्पात के लिये सेलम इस्पात कारखाने की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है; और

(घ) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कारखाना तैयार हो जायेगा ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) नवली-सेलम इस्पात प्रायोजना के बारे में जापानी सर्वेक्षण दल का प्रतिवेदन कुछ ही दिनों में प्राप्त हो जाने की संभावना है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इस पर सरकार विचार कर रही है ।

पश्चिम बंगाल में रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति

*794. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री सुबोध हंसदा :
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के हाल के खाद्य आन्दोलन के दौरान कृष्णनगर सिटी स्टेशन के अगले स्टेशन बादकुल्ला के निकट सियालदह-रानाघाट सेक्शन पर कलकत्ता जा रही बिजली की गाड़ी के दो डिब्बों को भीड़ द्वारा आग लगाये जाने के कारण उसका एक डिब्बा जल गया और दूसरा पूरी तरह से नष्ट हो गया;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार कितने मूल्य की सम्पत्ति नष्ट हुई; और

(ग) आन्दोलन के दौरान रेलवे सम्पत्ति को कुल कितना नुकसान हुआ ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) लगभग 1,60,000 रुपये ।

(ग) पश्चिम बंगाल में चलने वाली रेलों को कुल लगभग 54.29 लाख रुपये की हानि होने का अनुमान है ।

युगोस्लाविया के साथ व्यापार

*795. श्री यशपाल सिंह :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार तथा यूगोस्लाविया के शिष्टमंडल के बीच दिल्ली में हुई वार्ता के फल-स्वरूप भारत तथा यूगोस्लाविया के बीच कोई आर्थिक तथा व्यापार करार किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) एक विवरण सदन की मज पर रखा जाता है ।

विवरण

भारत तथा युगोस्लाविया के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने विषयक वार्ता संबंधी एक संलेख पर युगोस्लाविया के विदेश व्यापार मंत्री महामहिम श्री जूवेरोविक तथा वाणिज्य मंत्री ने 18-3-1966 को हस्ताक्षर किये । भारत तथा युगोस्लाविया के बीच 1967 में किये जाने वाले वस्तु विनिमय के स्वरूप के बारे में भी निर्णय किये गये । आशा है कि 1967 में दोनों ओर से होने वाले व्यापार का स्तर लगभग 46 करोड़ रु० होगा जबकि 1966 में वह 38 करोड़ रु० रहा था ।

यह मान लिया गया कि इन्जीनियरी संघटकों तथा अन्तिम उत्पादों और विशेषत: उसी लाइसेंन्स के अधीन प० यूरोपीय देशों से दोनों देशों की निर्मित वस्तुओं का विनिमय करने के लिये अच्छी क्षमता विद्यमान है और उसे उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित किया जा सकता है।

दोनों देशों ने दोनों देशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करना और इस प्रकार उत्पादित वस्तुओं का तीसरे देशों को संयुक्त रूप से विपणन करना स्वीकार कर लिया है। तीसरे देशों, जो भारत अथवा यूगोस्लाविया से सहायता देने के इच्छुक हों, को विकास में सहायता करने के लिये वहां युक्त भागीदारी से उद्यम स्थापित करने की भी करार में कल्पना की गयी है।

दार्जिलिंग जिले में रेलवे कर्मचारियों को राशन में चावल देना

*796. **श्री प्रिय गुप्त :**
श्री हरि विष्णु कामत :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दार्जिलिंग जिले में रेलवे कर्मचारियों को राशन में चावल देने के लिये कोई व्यवस्था नहीं की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) दार्जिलिंग ज़िले में रेल कर्मचारियों के लिए अनाज की सप्लाई और उसके वितरण की ज़िम्मेदारी राज्य सरकार की है।

(ख) दार्जिलिंग क्षेत्र में चावल न मिलने के सम्बन्ध में पूर्वोत्तर सीमा रेल-प्रशासन को किसी रेल कर्मचारी से कोई शिकायत नहीं मिली है।

पिंजोर में हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाने का एकक

*797. **श्री सुबोध हंसदा :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से पिंजोर में हिन्दुस्तान मशीनी औजार लिमिटेड का दूसरा एकक स्थापित करने की मंजूरी दी गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो क्या इसका प्रभाव हिन्दुस्तान मशीनी औजार की उस योजना पर नहीं पड़ेगा जो उसने चौथी पंचवर्षीय योजना के लिए छठा एकक तथा अन्य एककों की स्थापना के सम्बन्ध में बनाई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां। लेकिन संशोधित अनुमान अभी विचाराधीन है।

(ख) उपर्युक्त आधार पर पिंजौर संयंत्र (छठां एकक) की दूसरी अवस्था के चलने में कुछ विलम्ब हो सकता है। चौथी पंचवर्षीय योजना काल में जिन शेष एककों को लगाने की योजना है उनके कार्यक्रमों पर हिन्दुस्तान मशीनी औजार के प्रबन्धकों द्वारा विचार किया जा रहा है।

धातु विज्ञान

*798. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री क० ना० तिवारी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला के निदेशक डा० बी० आर० निझावन द्वारा धातु विज्ञान सम्बन्धी कार्यकारी दल को प्रस्तुत किये गये अन्वेषणपत्र की ओर दिलाया गया है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि भारत खनिज तथा अयस्क का उत्पादन बढ़ाकर 100 करोड रुपय की विदेशी मुद्रा बचा सकता है;

(ख) क्या सरकार उनके इस सुझाव का समर्थन करती है कि कच्चे खनिज पदार्थों तथा अयस्कों का परिष्करण करने के लिये कुछ धातु कारखाने आरम्भ किये जाने चाहिये;

(ग) भूतत्वीय भू-भौतिकीय और भू-रासायनिक तकनीकों का बड़े पैमाने पर उपयोग करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) क्या भू-भौतिकीय उपकरणों का डिजाइन बनाने और उनका निर्माण करने तथा तरीकों (फील्ड मैथड्स) का विकास करने के लिये अनुसन्धान कार्य आरम्भ कर दिया गया है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : डा० बी० आर० निझावन द्वारा प्रस्तुत किए गये अन्वेषण पत्र में दिये गये सुझावों का सरकार को ज्ञान है तथा सरकार सामान्य रूप से उनसे सहमत है ।

(ग) भारतीय भौमिकी विभाग तथा भारतीय खान ब्यूरो केन्द्रीय सरकार की दो अभिधायें जो कि अन्वेषण तथा सिद्ध करने का काम करती है, उन्हें उत्तरोतर पंचवर्षीय योजनाओं में सशक्त बनाया गया है ताकि वे बड़े पैमाने पर भौमिकी, भूभौतिकी तथा भूरसायनिक कार्य सारे देश में कर सकें। एक सरकार को अन्वेषण तथा सिद्ध करने के कार्य को बढ़ाने की आवश्यकता का ज्ञान है और इस प्रयोजन के लिये चौथी पंचवर्षीय योजना में भारतीय भौमिकी विभाग को और बढ़ाने का विचार है।

(घ) भारतीय भौमिकी विभाग और राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद में भूभौतिकी उपकरण का आकल्प बनाने तथा उसे तैयार करने और क्षेत्रीय तरीकों (फील्ड मैथड्स) के विकास करने के लिये अनुसंधान कार्य किया जा रहा है।

Issue of Licences

*799. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : **Shri Basumatari** :
Shri Vishwa Nath Pandey : **Shri J. B. S. Bist** :
Shri D. C. Sharma : **Shri Sidheshwar Prasad** :
Shrimati Savitri Nigam : **Shrimati Ramdulari Sinha** :
Shri P. R. Chakraverti : **Shri Yashpal Singh** :
Shri Bibhuti Mishra : **Shri P. C. Borooah** :

Will the Minister of **Industry** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 958 on the 19th November, 1965 and state :

(a) whether the proposals to bring about some changes in the policy regarding the issue of licences to the Industries have since been considered by Government ; and

(b) if so, the decision taken by Government in regard thereto ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) and (b). The proposals are still under the consideration of the Government.

उद्योगों को लाइसेंस सूची से निकालना

*800. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार आठ उद्योगों को लाइसेंस सूची से निकालने के बारे में एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो वे कौन से उद्योग हैं तथा इसके क्या कारण है; और

(ग) इस बारे में अन्तिम निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (ग) : औद्योगिक लाइसेंस देने में उदारता संबंधी कुछ प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है। ज्योंही अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया जायेगा, प्रस्तावित उदारता संबंधी ब्योरे की घोषणा कर दी जायेगी ।

मद्रास में खनिज तथा धातु व्यापार निगम के लोह अयस्क का गायब हो जाना

*801. **श्री प्र० च० बरुआ:** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु निगम द्वारा निर्यात किया जाने वाला लगभग 1,16,724 टन लोहा अयस्क मद्रास में गायब पाया गया;

(ख) यदि हां तो किन परिस्थितियों में यह अयस्क गायब हो गया और इस हानि के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी थे; और

(ग) इसके लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख) : खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा 31 मार्च, 1964 को की गयी वार्षिक जांच से मद्रास हारबर में रखे हुये लोह अयस्क के स्टाक में 116,724 मी० टन की कमी का पता चला जो अप्रैल 1962 से जून 1964 तक के 27 महीनों में रखे गये कुल परिमाण का 5.5 प्रतिशत थी । लोह अयस्क जैसी बजनी वस्तुओं के उठाने-धरने में कमी हो जाना अवश्यंभावी है क्योंकि तोलने की सुविधाओं के अभाव में डिब्बो में माल, भार/आयतन के अनुपात के आधार पर, जिसे हम अनुमान ही कह सकते हैं भरा जाता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न लदान केन्द्रों द्वारा सम्भरण किये गये अयस्क के धनत्व में अंतर तथा भार/आयतन के अनुपात में अशुद्धियां और पुस्तकों में दिये गये आंकड़ों तथा वास्तविक स्टाक में दूषित लदान व्यवस्था के कारण अंतर और परिणामतः लदान का काम होना भी इस कमी के लिय उत्तरदायी हैं। इन तथ्यों के कारण एक वर्ष में माल उठाने धरने की मात्रा का 2 प्रतिशत तक कम हो जाना सामान्य क्षय माना जाता है।

(ग) निगम द्वारा सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध भार/आयतन के अनुपात में समय समय पर परिशोधन न करने के लिये/सक्षम अधिकारियों की सलाह से, अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरु की गयी है।

सिमुलतलां (पूर्व रेलवे) के समीप तेलवा बाजार में फ्लैग स्टेशन

2760. **श्री मधु लिमये** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को तेलवा बाजार को, जो पूर्व रेलवे में सिमूलतला के पूव में पांच किलो-मीटर की दूरी पर हैं, प्रयोगात्मक आधार पर फ्लैग स्टेशन बनाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिले हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि तेलवा बाजार एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र है और उसकी जनसंख्या सिमुलतलां की जनसंख्या से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार 319 अप और 320 डाउन मुगलसराय-हावड़ा सवारी गाड़ियों के लिये तेलवा बाजार को प्रयोगात्मक आधार पर फ्लैग स्टेशन बनायेगी ?

रेलवे मंत्रालया में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सिमुलतला से लगभग 2.6 कि० मी० की दूरी पर स्थित तेलवा बाजार में झंडी स्टेशन खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया गया है, लेकिन वित्तीय दृष्टि से झंडी स्टेशन खोलने का औचित्य न होने और परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा सका।

विदेशों में गैर-सरकारी विनियोजन के लिये मार्गदर्शी नियम

2761. **श्री कोल्ला वेंकैया :**

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विदेशों में गैर सरकारी विनियोजन के लिये कोई मार्गदर्शी नियम जारी किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन मार्गदर्शी नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) इन्हें जारी करने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशों में संयुक्त औद्योगिक उद्यमों में भाग लेने के लिये भारतीय विनियोजकों की स्वीकृति देने में निम्न मार्गदर्शी नियमों का अनुसरण किया जा रहा है :—

(1) सरकार ऐसी योजनाओं का अनुमोदन भी करती है जबकि नये उद्यमों के लिये आवश्यक भारतीय मशीनों उपकरणों, औजारों, ढांचों आदि के मूल्य तक ही भारतीय विनियोजन साधारणतया सीमित होता है।

(2) विदेशों में विनियोजन के लिये प्रासंगिक खर्चे के अलावा, बहुत अधिक नगर धन रायश प्रेषित करने की अनुमति नहीं दी जाती।

(3) जहां भारतीय पक्ष अपनी साम्य-भागीदारी से अधिक मूल्य की मशीनों आदि के संभरण करने की स्थिति में होता है, वहां सरकार इस प्रकार की योजना का स्वागत करती है, क्योंकि अतिरेक मशीनों आदि को बेचकर विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सकती है।

(4) भारत सरकार स्थानीय पार्टियों द्वारा विदेशों में भाग लिये जाने का समर्थन करती है। इसी प्रकार वह स्थानीय विकास बैंकों, वित्तीय संस्थानों और स्थानीय सरकारों का भी समर्थन करती है।

(5) उन देशों के नागरिकों को गहन प्रशिक्षण देने की सुविधाओं को विनियोजन करार में शामिल करने के लिये भी सरकार भारतीय पार्टियों का समर्थन करती है।

(ग) विकासोन्मुख देशों को उनके विकास कार्यक्रमों में सहयोग बढाने की सरकारी नीति के अनुसरण में, विदेशों में संयुक्त उद्यमों में भारतीय उद्योगपतियों द्वारा विनियोजन को सुसाध्य बनाने के लिये उपर्यक्त मार्गदर्शी नियम बनाये गये हैं।

विदेशी सहयोग

2762. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के विदेशों के साथ विभिन्न सहयोग करारों के बारे में रामस्वामी मुदलीयार समिती का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो यह कब तक प्राप्त हो जायेगा; और

(ग) इस समिति के निर्देश पद क्या थे ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी नहीं।

(ख) अगले दो या तीन महीनों में प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने की संभावना है।

(ग) समिति के निर्देश पद यें है :

(1) अमरीका तथा विदेशी साझों के बीच वर्तमान विदेशी सहयोग करारों का उन करारों के अन्तर्गत स्थापित औद्योगिक एककों द्वारा बनाये गये पदार्थों के निर्यात पर प्रतिबंधात्मक प्रभाव का अध्ययन करना ;

(2) यह सुझाव देना कि किन करारों में और किस प्रकार परीवर्तन किया जा सकता है, जिससे कि उन वस्तुओं एका निर्यात किया जा सके ; और

(3) निर्यात के दृष्टिकोण से भविष्य में सहयोग करार तैयार करने में आवश्यक होने वाले नीति संबंधा किन्हीं परिवर्तनों की सिफारिश करना।

केरल में ग्रैफाइट के निक्षेप

2763. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य के भूतत्वीय विभाग ने एरणाकुलम जिले के थोडूपुजहा ताल्लुक में ग्रैफाइट के निक्षेपों का पता लगाया है ;

(ख) त्रिवेन्द्रम जिले के नेदुमगाद ताल्लुक में ग्रैफाइट के निक्षेपों के स्थाने का पता लगाने के लिये क्या कोई कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या यह सच है कि केरल के कुट्टिचल और वेलमगाद क्षेत्रों में ग्रैफाइट के कुछ निक्षेप पाये गये हैं ;

(घ) क्या वेलमगाद के निक्षेप उच्च कोटि के हैं ; और

(ङ) क्या सरकार इन निक्षेपों को निकालने का काम आरम्भ करने के लिये विचार कर रही है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां महोदय ।

(ख) राज्य के भौमिकी विभाग ने इस क्षेत्र में कुछ अनुसंधान किये हैं।

(ग) और (घ) : हां महोदय ।

(ङ) केरल की राज्य सरकार से पता चला है कि वे भारतीय भौमिकी विभाग को विस्तृत व्यधन अनुसंधान करने के लिये प्रार्थना कर रहे हैं। इन निक्षेपों के विदोहन के प्रश्न पर अनुसंधान समाप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

कन्याकुमारी में इल्मेनाइट के भण्डार

2764. श्री अ० क० गोपालन : क्या खान तथा धातु मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कन्याकुमारी में इल्मेनाइट के विशाल भण्डार पाये जाते हैं;

(ख) क्या यह टिटेनिअम और कच्चे लोहे के स्थान पर प्रयोग में लाया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इसका प्रयोग करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) हां महोदय ; मद्रास राज्य के कन्याकुमारी जिले में मानवलकुरिची की रेत में इलमानाइट तथा दुसरे खनिज हैं।

(ख) हां, महोदय ।

(ग) मद्रास राज्य से पता चला है कि एक गैर-सरकारी उपक्रम को एक अभिप्राय पत्र जारी किया गया है ताकि व मानवलकुरिची की इलमेनाइट रेत का प्रयोग करके टिटनियम पदार्थ तथा पिग का निर्माण कर सकें।

सरदार शहर स्टेशन के निकट रेलवे फाटक को हटाकर दूसरे स्थान पर बनाना

2765. श्री कर्णी सिंहजी : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चुरु जिले (राजस्थान) के कलक्टर ने प्रार्थना की है कि सरदार शहर रेलवे स्टेशन से लगभग एक मील की दूरी पर स्थित "घ" श्रेणी के रेलवे फाटक का दर्जा ऊंचा किया जाये और उसे वहां से हटाकर किसी अन्य स्थान पर बनाया जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) कि० मी० 41/1/2 पर स्थित समपार को हटाने के सम्बन्ध में आवश्यक योजना रेल प्रशासन द्वारा राज्य सरकार की स्वीकृति के लिये भेज दी गयी है । जैसे ही राज्य सरकार द्वारा यह योजना स्वीकृत हो जायगी और वर्तमान नियमों के अधीन इसका खर्च उठाने के सम्बन्ध में उनकी मंजूरी मिल जायेगी, रेल प्रशासन द्वारा इस पर काम शुरू कर दिया जायेगा।

साइकिलों के टायर और ट्यूबों का निर्यात

2766. श्री धर्मलिंगम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्पादकों-निर्यातकर्ताओं को दिये जाने वाले साइकिलों के टायर तथा ट्यूबों के पुनर्भरण के सम्बन्ध में एक योजना तयार की गई है ;

(ख) क्या यह योजना केवल डनलप कम्पनी के बारे में ही तयार की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) मेसर्स डनलप रबड़ कम्पनी द्वारा निर्मित टायर तथा ट्यूबों तक ही इस योजना को सीमित रखने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) डनलप के ब्राँड़ के टायर और ट्यूब से भिन्न ब्राँड के टायर तथा ट्यूब निर्बाधरूप में उपलब्ध हैं और निर्यातक उनके द्वारा निर्यात की जाने वाली साइकिलों में उन्हें लगाने के लिये स्वतंत्र हैं। अतः इस योजना को अन्य किस्मों पर लागू करने की आवश्यकता नहीं अनुभव की गयी ।

(2) साइकिलों के विदेशी आयातक अधिकांशतः भारत से निर्यात की जाने वाली साइकिलों में शायद डनलप टायर एवं ट्यूबों की लोकप्रियता के कारण उन्हें लगाने पर जोर देते हैं, अतः निर्माता निर्यातकों ने केवल डनलप टायर एवं ट्यूबों के ही पुनर्भरण की मांग की भी।

(3) अपनी औद्योगिक क्षमता बढ़ाने के लिये दिये गये औद्योगिक लाइसेंन्स के अधीन डनलप रबड़ कम्पनी के लिये निर्यात करना अनिवार्य है। यह विचार किया गया था कि निर्यात की अनिवार्यता को पूर्ण करने के लिये केवल टायर एवं ट्यूबों का निर्यात करने की अपेक्षा डनलप टायर तथा ट्यूब लगी हुई साइकिलों के निर्यात से अधिक विदेशी मुद्रा का उपार्जन होगा। वस्तुतः इन प्रबन्धों के कारण साइकिलों के निर्यात में अच्छी वृद्धी हुई है।

केरल में कल्याण केन्द्र

2767. **श्री प० कुन्हन** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के हरिजन विभाग में अधीन कितने आधुनिक कल्याण केन्द्र कार्य कर रहे हैं;

(ख) कितने प्रशिक्षणार्थियों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया है; और

(ग) उनमें से कितने व्यक्तियों को सरकारी अथवा अर्ध-सरकार फर्मों में रोजगार मिल गया है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना केरल सरकार से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में सहायक उद्योग

2768. **श्री प० कुन्हन** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन में तेल शोधन कारखाने के सम्बन्ध में केरल में सहायक उद्योग स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव क्या है ;

(ग) क्या इस संबंध में उच्च स्तरीय तकनीकी समिति ने कोई विचार व्यक्त किये है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां।

(ख) रिफाइनरी के एक हिस्से के रूप में एसफाल्ट के ड्रम बनाने का एक संयंत्र लगाया जा रहा है। रिफाइनरी के ईंधन का इस्तेमाल करने के लिये 50 मेगावाट का एक तापीय

बिजली घर भी लगाया जा रहा है। रिफाइनरी से मिलने वाले स्टाक पर आधारित उसके आस-पास अन्य उद्योग स्थापित करने की संभावना का भी अध्ययन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) : प्रश्न से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह किस उच्च स्तर की समिति के संबंध में पूछा गया है, अतः इसका उत्तर दे सकना सम्भव नहीं है।

बर्मा को रेलवे के सवारी डिब्बों का सम्भरण

2769. श्री राम हरख यादव : **श्री हिम्मतसिंहका :**

श्री मुरली मनोहर : **श्री रामेश्वर टांटिया :**

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने बर्मा को पूर्णतया सुसज्जित 33 रेलवे सवारी डिब्बे देने के बारे में एक करार किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सौदे का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) डिब्बों के बर्मा कब तक पहुंचने की आशा है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनु भाई शाह) : (क) बर्मा रेलवे बोर्ड संघ को 33 मीटर लाइन सवारी डिब्बों द्वार-प्रकोष्ट सहित, के सम्भरण के लिये मेसर्स कमर्शियल एण्ड इंडिस्ट्रियल एक्सपोर्टस, कलकत्ता ने निविदा प्राप्त की है।

(ख) संविदा की कुल लागत 4,58,207 पौंड (स्टर्लिंग) है।

(ग) सम्भरण मई, 67 में शुरू होगा तथा तीन महीने में समाप्त होगा।

केरल में बिजली के बल्ब बनाने का कारखाना

2770. श्री वासुदेवन नायर :

श्री वाखिर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल राज्य में बिजली के बल्ब बनाने का एक कारखाना स्थापित करने के लिये जापानी फर्म थोशिबा के साथ एक करार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस करार का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री सजीवैया) : (क) और (ख) : अन्तिम समझौता अभी किया जाना है। इनके लिये स्वीकृति दे दी गई है :

(1) वित्तीय सहयोग : विदेशी कम्पनी 49 प्रतिशत तक पूंजी लगा सकती है।

(2) पारिश्रमिक : 49 प्रतिशत की सीमा के अन्दर लगभग 1,42,850 रु० के मूल्य के मुक्त शेयरों के लिये अनुमति दे दी गई है। रायल्टी का भुगतान निम्न प्रकार से होगा :

निर्माण की जाने वाली वस्तु	रायल्टी (जिसपर टैक्स लगेंगे)
(क) फ्लोरोसैंट लैम्प तथा उसके हिस्से	3 प्रतिशत प्रतिवर्ष
उपर्युक्त वस्तुओं के निर्यात पर	5 प्रतिशत प्रतिवर्ष
(ख) जी० एल० एस० लैम्प तथा उनके हिस्से	3 प्रतिशत प्रति वर्ष
उपर्युक्त वस्तुओं के निर्यात पर	4 प्रतिशत प्रतिवर्ष

थाराकन समिति का प्रतिवेदन

771. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अलप्पी जिले के तटवर्ती क्षेत्र में विभिन्न उद्योगों को स्थापित करने की समस्या के बारे में थाराकन समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जायेगी ।

सिगरेटों और बीडियों का उत्पादन

2772. **श्री च० का० भट्टाचार्य** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 में भारत में कुल कितनी सिगरेटों बनाई गई ;

(ख) कुल कितनी सिगरेटों का आयात किया गया ;

(ग) वर्ष 1964-65 में कुल कितनी बीड़ियां बनाई गई ; और

(घ) सिगरेटों के उत्पादन और आयात में वर्ष 1963-64 की तुलना में कितनी वृद्धि अथवा कमी हुई ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) देश में वर्ष 1964-65 मे 4,80,090 लाख सिगरेट बनाई गई थीं ।

(ख) वर्ष 1964-65 में 96,000 रु० के मूल्य की सिगरेटों का आयात किया गया था ।

(ग) देश में वर्ष 1964-65 में लगभग 2,02,4000 लाख बीड़ियां बनाई गई थीं ।

(घ) 1963-64 में देश में हुए सिगरेटों के उत्पादन की अपेक्षा वर्ष 1964-65 में सिगरेटों के उत्पादन में 72,060 लाख सिगरेटों की वृद्धि हुई । 1963-64 में आयात की गई सिगरेटों के मूल्य की तुलना में 1964-65 में 23,000 रु० के मूल्य की अधिक सिगरेटों का आयात किया गया । जहां तक बीड़ियों का संबंध है 1963-64 की अपेक्षा वर्ष 1964-65 में उनके उत्पादन में 2,64,000 लाख की वृद्धि हुई । बीड़ियों का बिल्कुल भी आयात नहीं हुआ है ।

नीबू घास तेल का निर्यात

2774. **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री वारियर :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1964-65 और 1965-66 में नीबू घास तेल का कितना निर्यात किया गया ; और

(ख) राज्य व्यापार निगम द्वारा कितना तेल खरीदा गया और कितना निर्यात किया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : नीबू घास तेल का समस्त निर्यात राज्य-व्यापार निगम द्वारा किया जाता है। निगम ने जिस परिमाण में तेल का निर्यात किया और उसकी खरीद की, वह इस प्रकार है :—

	निर्यात किया गया	खरीदा गया
	(मी० टन)	(मी० टन)
1964-65	1020.68	732.63
1965-66 (15-3-65 तक) . . .	524.58	0.86

दक्षिण में नई रेलगाड़ियां

2775. श्री राम हरख यादव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में 1 अप्रैल, 1966 से चार नई रेल गाड़ियां चलाने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो नई रेल गाड़ियों का और उनके आने जाने के समय का ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : 1-4-1966 से लागू होने वाली समय सारणी में जो नयी गाड़ियां चलायी जायेंगी, उनमें से 11 जोड़ी गाड़ियों दक्षिण भारत के स्टेशनों तक चलेंगी। इनमें जो गाड़ियां अधिक महत्वपूर्ण हैं उनका ब्यौरा और समय इस प्रकार है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० 5903/66]**

सहायक सेविवर्गाधिकारी (पर्सोनल आफिसर)

2776. श्री थेनगोंडर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे विभागों में सहायक सेविवर्गाधिकारी (द्वितीय श्रेणी) के पद पर अब सभी शाखाओं के कर्मचारी जिनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जिनके लिए अपनी शाखाओं में पदोन्नति के अवसर विद्यमान है, नियुक्त किये जा सकते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रक्रिया से सेविवर्ग शाखा के ऐसे कर्मचारियों तथा कल्याण कार्य निरीक्षकों (वेल्फेयर इंस्पैक्टर्स) के पदोन्नति के अवसर कम नहीं हो जायेंगे जिनके लिये पदोन्नति के अन्य अवसर बिल्कुल नहीं हैं ; और

(ग) उक्त प्रक्रिया से किन किन श्रेणियों के कितने कितने कर्मचारियों को नुक्सान हुआ है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी नहीं। कुछ रेलों पर सहायक कार्मिक अधिकारियों के चुनाव के लिए कार्मिक शाखा के कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में भी पहले से विचार होता रहा है, लेकिन चूंकि भिन्न-भिन्न रेलों पर भिन्न-भिन्न प्रक्रिया अपनायी जाती थी, इसलिए रेलवे बोर्ड ने आदेश जारी किये कि सहायक कार्मिक अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए कर्मचारियों की पात्रता का एक-सा मानक अपनाया जाय।

(ग) विभिन्न वर्गों के जो कर्मचारी सहायक कार्मिक अधिकारी के पद पर चुनाव के लिए पहले पात्र नहीं थे, लेकिन जिन्हें अब पात्र बना दिया गया है, उनकी संख्या के बारे में रेल-प्रशासनों से सूचना मंगायी जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

Electrification of Railway Stations

2777. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether it is a fact that Railway stations in Yeotmal District of Maharashtra (the District headquarters) and Dharwha (a Tehsil town) have not been electrified while Yeotmal and Dharwha cities were electrified long ago ;

(b) if so, the reasons for not electrifying these Railway stations so far; and

(c) whether Government propose to electrify these Railway stations and if so, when?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes.

(b) & (c). Yeotmal and Dharwha Railway stations are on Yeotmal-Achalpur section which is owned by the C.P. Railway Company and is worked by Central Railway. Under the terms of the agreement it is the liability of the C. P. Railway Company to provide funds for undertaking any work involving expenditure of a capital nature exceeding Rs. 1000/-. The Railway administration is examining the question of electrification of Yeotmal and Dharwha stations with the concurrence of the C. P. Railway Company.

Development of Khadi and Village Industries

2779. Shri D. S. Patil :
Shri Kamble :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the funds provided in the Third Five Year Plan for the development of cottage industries and khadi and village industries separately ;

(b) the amount out of it spent so far; and

(c) the reasons for which the funds allocated for cottage industries have not been utilised fully ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) to (c). A statement is attached. **[Placed in Library. See No. L. T. 5904/66].**

यलहंका स्टेशन

2780. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर-गौरिबिदनूर रेलवे लाइन पर बंगलौर जिले में यलहंका रेलवे स्टेशन के दोनों ओर के रेलवे फाटक अधिकतर बन्द रहते हैं ;

(ख) क्या फाटकों के हमेशा बन्द रहने के कारण किसानों को बड़ी कठिनाई हो रही हैं ; और

(ग) क्या सरकार चौकीदारों को नियुक्त कर रेलवे फाटकों को नियमित रूप से खोलने और बन्द करने की व्यवस्था कर के किसानों को राहत देने का विचार कर रही है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : यलहंका स्टेशन के दोनों ओर दो समपार हैं । इन समपारों के फाटक यथासम्भव खुले रखे जाते हैं और केवल गाड़ियों के गुज़रने के लिए ही बन्द किये जाते हैं । स्टेशन पर भारी यातायात होने की वजह से इन समपारों के फाटक को दिन में किसी समय अधिक देर तक बन्द रखना पड़ता है ।

(ग) रेल प्रशासन ने इस बात को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाये हैं कि गाड़ियों के सुरक्षित रूप से गुजरने के लिए जितना समय जरूरी हो, उतने समय को छोड़कर, फाटकों को यथा-सम्भव कम से कम समय के लिए बन्द किया जाये। केवल इन समपारों के लिए फाटक वालों की व्यवस्था करने के सवाल की भी जांच की जा रही है।

दुर्लभ कच्चा माल

2781. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री क० ना० तिवारी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह कहां तक सच है कि प्रतिरक्षा मंत्रालय का दुर्लभ कच्चा माल दल असैनिक आवश्यकताओं के लिये कुछ अलोह धातु देने के लिये सहमत हो गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : रक्षा मंत्रालय में दुर्लभ कच्चे माल का कोई भी ग्रुप नहीं है। आर्थिक सचिवों (दुर्लभ कच्चा माल संबंधी ग्रुप) की एक उप समिति विभिन्न संगठनों को जिनमें रक्षा उन्मुख उद्योग शामिल हैं (अनुसूचित एककों और लघु औद्योगिक एककों) की प्राथमिकता के आधार पर दुर्लभ कच्चा माल देने के प्रश्न पर विचार करती है। नागरिक आवश्यकताएं पूरी करने के लिए इस दुर्लभ कच्चे माल का कुछ स्टाक निम्न प्रकार से दिया है।

14-9-1965 को दुर्लभ औद्योगिक वस्तु (नियंत्रण) आदेश, 1965 को अमल में लाये जाने पर जिन पार्टियों के पास तांबे, सीसे, टीन तथा जस्ते का स्टाक था उन्हें उसका 31-10-1965 तक 14-9-65 से पहले उनकी तीन महीनों की खपत के आधार पर उपयोग कर लेने की अनुमति दे दी गई थी।

नवम्बर, 1965 से जिन पार्टियों के पास अलोह धातुओं का स्टाक था उन्हें अक्तूबर, 1964 से मार्च, 1965 की अवधि का हकदारी के 50 प्रतिशत के आधार पर उसे 6 महीने में इस्तेमाल कर डालने की अनुमति दे दी गई है। लेकिन बर्तन बनाने के लिए तांबे और जस्ते की चादरें और गोले बनाने के लिये इसका नियतन बन्द कर दिया गया है। लघु उद्योग क्षेत्र में उन स्थापित एककों को भी जिनके पास स्टाक नहीं है, इन वस्तुओं को इसी प्रकार प्राप्त करने और उसकी खपत करने की अनुमति दे दी गई है जिससे वे अपने कारखाना व्यापार को चलाते रह सकें।

इनके अलावा अनुसूचित तथा लघु उद्योग क्षेत्र में रक्षा विभाग, पूर्ति और निपटान महानिदेशालय, रेलवे, डाक तथा तार विभागों और सरकारी उपक्रमों से मिलने वाले आर्डरों को पूरा करने के लिए दुर्लभ सामान का अतिरिक्त नियतन भी किया जाता है। हाल ही में रक्षा विभाग ने रेलवे के विद्युतकरण अधिकारियों को युद्ध का सामान बनाने वाले कारखानों के हिस्से से 500 मी० टन० तांबा ऋण के रूप में देना मंजूर कर लिया है।

रेशम उद्योग का विकास

2782. श्री लिंग रेड्डी : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में रेशम उत्पादन कार्यक्रमों की कार्यान्विति के लिए कितनी धनराशि रखी गई थीं;

(ख) भारत में रेशम का उत्पादन करने वाले राज्यों की राज्यवार कितनी धनराशि नियत की गई और इन राज्यों ने अब तक कितनी धनराशि खर्च की है ;

(ग) खर्च कम किये जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) चौथी पंचवर्षीय योजना में रेशम उद्योग के विकास के लिए कितनी धनराशि रखी गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 7.03 करोड़ रु० ।

(ख) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5905/66]**

(ग) खर्च कम किये जाने के निम्न कारण हैं :—

(1) राज्य सार्वजनिक निर्माण विभागों द्वारा निर्माण संबंधी कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विलम्ब;

(2) तीसरी योजना के दूसरे वर्ष में आपत्काल की घोषणा और फलतः रेशम-उत्पादन संबंधी विकासपुरक कार्यक्रमों में राज्य सरकारों द्वारा की गयी भारी कमी ; और

(3) विकासपूरक कार्यों से सम्बद्ध अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिये राज्य रेशम-उत्पादन विभागों के क्रियान्वयनकर्ता संगठन का अपर्याप्त होना ।

(घ) चौथी योजना के लिये आवंटन को अभी तक अन्तिमरूप नहीं दिया गया है ।

अस्पृश्यता

2783. **श्री मधु लिमये :**
श्री किशन पटनायक :

क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अस्पृश्यता निवारण सम्बन्धी आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन कब तक दिये जाने की आशा है ;

(ख) क्या सरकार ने आयोग को इस बारे में कोई तथ्य अथवा आंकड़े दिये है कि अस्पृश्यता प्रथा को जारी रखने के उपराध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये तथा कितने मामलों में सजायें दिलायी गई ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) यह समिति अपना प्रतिवेदन यथा सम्भव शीघ्र पेश करेगी । तो भी, उससे अनुरोध किया गया है कि वह 30 जून, 1966 तक कम से कम अन्तरिम प्रतिवेदन दे दे ।

(ख) और (ग) : जी, नहीं ।

Cargo Seized by Pakistan

2784. **Shri Bibhuti Mishra :**
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the number of ships from which Pakistan has confiscated the Indian cargo at Karachi port from August, 1965 to 13th February, 1966;

(b) the names of the countries to which those ships belonged; and

(c) the action taken by the Government in the matter ?

The Minister of Com merce (Shri Manubhai Shah) : (a) & (b). According to the information given to us by consignees of Indian cargoes impounded by Pakistan at Karachi, the total number of ships involved is 24. Details of these are as follows :

British	3
U.S.A.	7
Italian	2
W. German	2
Dutch	1
Norwegian	2
Greek	1
Polish	2
E. German	1
Yugoslav	1
Indian	1
Pakistan	1
	24

(c) The question of release of the cargoes impounded by Pakistan is being pursued with that Government.

Banda Railway Station

2785. Shrimati Savitri Nigam :
Shri M. L. Dwivedi :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the people of Banda have been complaining from time to time that the public is experiencing great difficulty for want of an Enquiry Office and a telephone at the Railway station ; and

(b) if so, the efforts being made by Government to remove their complaints ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Yes, a few complaints have been received.

(b) There is no adequate justification for providing a separate Enquiry Office at Banda. One public telephone has been provided in the Goods Shed with an extension to the Assistant Station Master's Office. Telephone enquiries from the public are attended to at these two points. A direct P & T telephone is also proposed to be provided in the Assistant Station Master's Office.

रेलवे की कोयले की आवश्यकता

2786. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ कोयला खानों को हाल में भारतीय रेलवे की कोयले की आवश्यकताओं को पूरा करने में एकाधिकार दे दिया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पहिले कोयला खानों के वास्तविक उत्पादन के आधार पर कोयले को अनुपात के अनुसार खरीदने की प्रणाली थी ; और

(ग) यदि हां, तो वह प्रणाली अब क्यों समाप्त कर दी गई है तथा केवल कुछ कोयला खानों को ही, जिनका एकाधिकार है, थोक खरीद के आदेश क्यों दिये गये है।

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) जी हां। जब इंजनों के लिए कोयला खरीदने का काम कोयला नियंत्रक के अधीन था, तब इस तरह की एक प्रणाली प्रचलित थी जिसके अन्तर्गत एक न्यूनतम निर्धारित मासिक उत्पादन वाली प्रत्येक कोयला-खान रेलों को कोयला सप्लाई करती थी।

(ग) कोयले की यथानुपात खरीद प्रणाली के अन्तर्गत कोयला सप्लाई करने वाली कोयला-खानों की संख्या बहुत अधिक थी जिससे निरीक्षण के काम में बड़ी कठिनाई होती थी। इसकी वजह से रेलों को घटिया किस्म का कोयला मिलता था जिसके परिणामस्वरूप परिचालन पर बुरा प्रभाव पड़ने के साथ-साथ कोयले की खपत और उसकी लागत बढ़ गयी। एक के बाद दूसरी रेलवे ईंधन समितियां इस बात की आवश्यकता पर बल देती रही है कि रेलों को कोयला सप्लाई करने वाली कोयला-खानों की संख्या घटायी जाये ताकि कार्यक्षम दहन तथा ईंधन के इस्तेमाल में किफायत सुनिश्चित करने के लिए समुचित और पर्याप्त निरीक्षण द्वारा कोयले की किस्म पर कारगर निगरानी रखी जा सके। रेलों में कोयले की खपत के सम्बन्ध में 1958 में जो विशेषज्ञ समिति बनायी गयी थी, उसने अधिक से अधिक 250 कोयला-खानों को अनुकूलतम संख्या माना है। इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के उद्देश्य से यथानुपात खरीद प्रणाली को छोड़ दिया गया है।

इस समय इंजनों के लिए लगभग 250 कोयला-खानों से कोयला प्राप्त किया जाता है। कोयले की यह सप्लाई एक ठेके अन्तर्गत की जाती है जिसके अनुसार यदि कोई कोयला-खान बराबर घटिया किस्म का कोयला लादे, तो उसके विरुद्ध प्रतिरोधक कार्रवाही की जाती है जिसमें इंजन कोयला-कार्यक्रम में से उस कोयला-खान का नाम निकाल देने की कार्रवाई भी शामिल है। इस प्रकार, किसी कोयला खान या कुछ कोयला खानों द्वारा इंजन-कोयले की सप्लाई पर एकाधिकार का सवाल नहीं उठता।

सेफ्टी रेजर ब्लेडों का निर्यात

2787. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय सेफ्टी रेज़र ब्लेडों के लिए विदेशों में मंडियों का पता लगाने के सम्बन्ध में कोई प्रयास किया है ;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में भारतीय विदेशी व्यापार संस्था ने कोई सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो सेफ्टी रेज़र ब्लेडों के निर्यात के लिए कौन कौन सी मंडियां उपलब्ध हैं ; और

(घ) क्या इस से पूर्व इन देशों को कोई निर्यात किया जा चुका है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) इंजनियरी माल के निर्यात संवर्धन के लिये सरकार द्वारा स्थापित की गयी तथा सहायता प्राप्त इंजीनियरिंग निर्यात सम्वर्द्धन परिषद ने गत कुछ वर्षों में क्षिण पूर्वी एशियाई, अफ्रीकी तथा यूरोपीय देशों को कई अध्ययन दल और व्यापार प्रतिनिधिमण्डल

भेजे थे जिन्होंने, अन्य विषयों के साथ, रेजर ब्लेडों के निर्यात की सम्भावनाओं का भी अध्ययन किया था। राज्य व्यापार निगम ने भी पूर्वी यूरोपीय देशों को भारतीय ब्लेडों के निर्यात सम्वर्द्धन में महत्वपूर्ण भाग लिया है।

(ख) विदेशी व्यापार के भारतीय संस्थान ने सेफ्टी रेजर ब्लेडों की निर्यात सम्वर्द्धन की सम्भावनाओं के लिये हाल ही में किये गये अध्ययन में, अन्य विषयों के साथ, यह सुझाव दिया कि यद्यपि राज्य व्यापार निगम पूर्वी युरोपीय तथा रुपये भुगतान के अन्य देशों को दीर्घावधिक निर्यात सम्वर्द्धन के सभी अवसर ढूंढ़ सकता है परन्तु इंजीनियरिंग निर्यात सम्वर्द्धन परिषद अन्य बाजारों, विशेषत: मध्य पूर्व, अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के बाजारों में अवसर ढूंढ़ सकती है। इस संदर्भ में, संस्थान ने अदन, सऊदी अरब, दक्षिण वियतनाम तथा मलयेशिया जैसे क्षेत्रों में बाजार सर्वेक्षण प्रारम्भ करने का सुझाव दिया है।

(ग) तथा (घ) : उन देशों को मिलाकर जिनके सम्बन्ध में विदेशी व्यापार के भारतीय संस्थान ने अतिरिक्त बाजार सर्वेक्षणों का सुझाव दिया है 40 से भी अधिक देशों को भारतीय रेजर ब्लेडों का निर्यात पहिले ही किया जा रहा है, यद्यपि निर्यात प्रमुखत: रूस को ही हुआ है। एक विवरण संलग्न है जिसमें गत तीन वर्षों में हुआ रेजर ब्लेडों को निर्यात दिखाया गया है। **[पुसतकालय में रखा। गया देखिये एल० टी० 5906/66]**

Manufacture of Small Tractors in Orissa

2788. Shri D. N. Tiwary : Will the Minister of **Industry** be pleased to state :

(a) whether Government have approved the scheme of Orissa Industrial Development Corporation for manufacturing small tractors of 7-8 H.P.;

(b) if so, when the factory is likely to be completed and to start production; and

(c) the places for which letters of intent have been issued besides Orissa ?

The Minister of Industry (Shri D. Sanjivayya) : (a) The Orissa Industrial Development Corporation, Bhubaneswar has been issued a 'Letter of Intent' for the manufacture of 12,000 Nos. Power Tillers of 7-8 H. P., per annum.

(b) It is not possible to indicate at this stage the probable date by which they are likely to commence production.

(c) Letters of Intent/Purpose for the manufacture of Power Tillers have been issued to the following other parties :—

(i) M/s. V.S. T. Motors Limited, Bangalore.

(ii) M/s. J. K. Cotton Spinning & Weaving Mills Limited, Kanpur.

(iii) M/s. Hyderabad Alwyn Metal Works Limited, Sanatnagar, Hyderabad.

(iv) The Director of Industries, Punjab.

(v) The U. P. Industrial Development Corporation, Kanpur.

राउरकेला में निर्मित इस्पात के पाइपों का निर्यात

2789. श्री भागवत झा आजाद : **श्री सुबोध हंसदा :**

श्री म० ला० द्विवेदी : **श्री प्र० चं० बरुआ :**

श्री स० चं० सामन्त : **श्रीमती सावित्री निगम :**

क्या लोहा और इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला में बने इस्पात के पाइपों के निर्यात करने के लिये किसी देश से अन्तिम रूप से बातचीत हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

इन्टरनेशनल हाइड एण्ड एलाइड ट्रेडस इम्प्रूवमेन्ट सोसाइटी, इंग्लैंड

2790. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री प्र० चं० बरुआ

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) क्या भारत इन्टरनेशनल हाइड एण्ड एलाइड ट्रेड्स इम्प्रुवमेंट सोसाइटी, इंग्लैण्ड का एक सदस्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने इस सोसाइटी के गत सम्मेलन में भाग लिया था ; और

(ग) सम्मेलन में किये गये किन-किन निर्णयों को क्रियान्वित किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) केन्द्रीय चमड़ा गवेषणा, संस्थान मद्रास तथा कलकत्ता चमड़ा तथा खाल जहाजी-व्यापारी संघ कलकत्ता इन्टरनेशनल हाइड एण्ड एलाइड ट्रेड्स इम्प्रुवमेंट सोसाइटी, इंग्लैंड के सदस्य हैं ।

(ख) जी, नहीं और ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Prostitution in Residential Areas of Delhi

2791. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :**
Shri Shinkre :
Shri Yashpal Singh :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to State :

(a) whether it is a fact that in spite of Government's ban on prostitution in the Capital, some prostitutes are carrying on their trade in certain residential areas ;

(b) if so, the total number of such prostitutes ; and

(c) the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Social Welfare (Smt. M. Chandrasekhar) : (a) to (c). The Suppression of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956, which is in force in Delhi contains specific provisions against keeping a brothel, allowing premises to be used as brothels, living on earning of prostitution; procuring inducing or conducting a woman or girl for the sake of prostitution, detaining a woman or girl in premises where prostitution is held near public places as well as soliciting in any such circumstances but it does not make prostitution *per se* an offence except when the same is practised near any public place.

No survey/census has been carried out regarding prostitution in residential areas of the Capital.

The violations of the Act are dealt with in accordance with the Law. Law enforcing machinery in this behalf is being strengthened.

Booking Office, Bhopal Railway Station

2792. Shri Hukam Chand Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Shinkre :

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Railway officials in booking office at Bhopal Railway station refused to accept coins bearing Nehru's image during the period from the date of circulation of this coin till 31st December, 1965 ;

(b) if so, whether it is due to the ignorance about the issue of Nehru coins ;

(c) whether more complaints of this kind have been received from other places; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) & (b). No. There was just one instance of an Assistant Booking Clerk at Bhopal refusing to accept a coin bearing Jawaharlal Nehru's image. He was not aware whether it was legal tender. On the matter being brought to the notice of the Head Booking Clerk, the coin was accepted.

(c) No.

(d) Does not arise.

Import of Dry Fruit from Pakistan

2793. Shri Hukam Chaaind Kachhavaiya :
Shri Yashpal Singh :
Shri Shinkre :

Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether Government propose to give some other facilities to persons who had been given licences, but who could not import dry fruit from Pakistan because of the conflict with that country ; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) & (b). As a result of the ban imposed on trade with Pakistan with effect from 10th September, 1965, some of the importers could not utilise their licences for fresh fruits (and not dry fruits) from Pakistan. Likewise, licences for fresh fruits from Pakistan could not be issued to some of the importers prior to the imposition of the aforesaid ban. In order to compensate them, such importers have been issued licences for import of dates from Iraq.

चाय का निर्यात

2794. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस वर्ष कितनी चाय के निर्यात होने की सम्भावना है ; और

(ख) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहमद शफी कुरेशी) : (क) 1965 में 114.98 करोड़, रुपये मूल्य की 1,994.60 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात होने का अनुमान है ।

(ख) पैय के रूप में चाय के उपभोग को बढ़ावा देने के लिये सामूहिक अभियान और विदेशों में भारतीय चाय के चित्र को विशाल रूप देने के लिये अकेले भारतीय प्रयास दोनों प्रकार की विदेशों में चाय बोर्ड की सम्वर्द्धनात्मक कार्यवाहियों को जारी रखा जा रहा है तथा उन्हें सधन किया जा रहा है ।

ब्रिटेन में चाय के उपभोग, जिसमें स्थिर रहने की प्रवृत्ति दिखाई दी है, को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने लंका की सरकार और ब्रिटिश चाय व्यापार के सहयोग से, एक 'अधिक चाय पिओ' नामक अभियान चालू किया है जिस पर प्रति वर्ष 6,00,000 पौण्ड व्यय होता है । अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, फ्रान्स और आस्ट्रेलिया में, उत्पादक देशों तथा स्थानीत व्यापारियों से मिल कर सम्बद्ध देशों की चाय परिषदों के माध्यम से सामुहिक सम्वर्द्धन कार्य प्रारम्भ किये गये हैं ।

भारतीय चाय के चित्र को विशाल रूप प्रदान करने के लिये किये गये भारतीय उपायों में, प्रदर्शनियों में भाग लेकर बड़े पैमाने पर मांग प्रदान करना, चाय गाड़ियों के दौरे, माल प्रदर्शन, व्यापार जनसम्पर्क तथा विज्ञापन देना सम्मिलित हैं ।

चाय निर्यातकों को बढावा को देने के रूप में खुली विकनेवाली चाय पर 2 प्रतिशत तथा चाय के पैकिटों पर 5 प्रतिशत को दर से कर उधार प्रमाणपत्रों को अनुमति दी जाती है । हरी चाय के निर्यात पर और भी अधिक दर से कर उधार की अनुमति दी जाती है ।

निर्यात में पर्याप्त वृद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने के दीर्घकालिक उपाय के रूप में उत्पादन आधार को बढ़ाने को आवश्यकता मानते हुए, सरकार चाय बागान उद्योग को नये पौधे तथा नए बगीचे लगाने और चाय के कारखानों को मशीनों के नवीकरण के लिये विकासभत्ता देने जैसी विभिन्न रियायतें देती है ।

आन्ध्र सीमेंट वर्क्स, विजयवाडा

2795. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सि० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडिवा :
श्री पाराशर :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजयवाडा के मेसर्स आन्ध्र सीमेंट वर्क्स ने जगय्यापेट खनिज भंडार से चूने के पत्थर का प्रयोग किया ;

(ख) क्या यह चूने का पत्थर सीमेंट के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त साबित नहीं हुआ ; और

(ग) क्या इस कारण उन्हें पिड्गुरल्ला के निकट लीज़ लेनी पड़ी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवया) : (क) से (ग) : फर्म ने बताया है कि जगय्यापेट खनिज भंडार का चूने का पत्थर अधिक अच्छी किस्म का होता है, जो 85 प्रतिशत से भी अधिक शुद्ध होता है और वह सीमेंट बनाने के उपयुक्त है। जान पड़ता है कि इस फर्म ने पहले जगय्यापेट क्षेत्र में काफी परिमाण में चूने का पत्थर निकाला किन्तु बाद को नादीकुडी—पिड्गुरल्ला क्षेत्र में काम शुरू कर दिया। फर्म ने बताया है कि वह अब इन दोनों ही क्षेत्रों से चूने का पत्थर निकाल रही है।

आन्ध्र सीमेंट वर्क्स

2796. **श्री शिवदत्त उपाध्याय :**
श्री राम साहय पाण्डेय :
श्री उइके :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री रा० स० तिवारी :
श्री चांडक :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडिवा :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जगय्यापेट निक्षेप से निकलने वाले चूने के पत्थर को इस्पात कारखाने के लिये उपयोगिता निर्धारित करने के बारे में हाल ही में कोई जांच की गई है ; और

(ख) क्या बी० ए० एस० आई० सी० ने ऐसी कोई जांच करके विशाखापटनम के प्रस्तावित कारखाने में इसका प्रयोग करने की सिफारिश की है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) ऐसी सूचना मिली है कि आन्ध्र प्रदेश की सरकार ने जगय्यापेट के निकट चूनापत्थर की प्राप्यता के बारे में प्रारम्भिक अनुसंधान किया है।

(ख) ब्रिटिश अमरीकन कन्सार्शियम ने कहा है कि विस्तृत अनुसंधान के पश्चात् यह क्षेत्र इस्पात कारखाने के समुपयोजन के लिए उपयुक्त सिद्ध हो सकता है।

कलकत्ता में लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में काम करने वाले फालतू कर्मचारियों के लिये अन्य नौकरियां

2797. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकता में लोहा और इस्पात नियंत्रक के कार्यालय में काम करने वाले सभी फालतू कर्मचारियों को अन्य समान नौकरियां दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कर्मचारियों को नौकरियां दे दी गई है ; और

(ग) क्या उनके वेतन तथा अन्य सेवा की शर्तों को सुरक्षित रखा गया है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) से (ग) : लोहा और इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता, के कार्यालय में अब तक 92 कर्मचारी फालतू घोषित किए गए हैं। ये सब के सब केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में समान पदों पर रख लिये गये हैं। वरीयता को छोड़कर, अन्तिम वेतन और सेवा की अन्य शर्तों को सरंक्षण दिया गया है।

दक्षिण पूर्व रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी

2798. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत गिरफ्तार किये गये दक्षिण-पूर्व रेलवे के कार्यालय के कुछ कर्मचारियों को अब रिहा कर दिया गया है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उनके विरुद्ध विशिष्ट आरोप क्या हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) भारत रक्षा कानून के अधीन जो 2 कार्यालय कर्मचारी गिरफ्तार किये गये थे उन्हें छोड़ दिया गया है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) एक मामले में, गिरफ्तारी भारत रक्षा कानून की धारा 41(5) और पश्चिम बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा 11 के अधीन हुई थी। दूसरा कर्मचारी भारत रक्षा कानून की धारा 30 के अधीन गिरफ्तार किया गया था।

उत्तर प्रदेश में कुटीर उद्योग

2799. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के लोगों के हित के लिए 1965–66 में उनके मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कोई कुटीर उद्योग स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त अवधि में अब तक कुल कितनी राशि दी गई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) 58,500 रु० (22–2–66 तक), जिनका विवरण नीचे दिया गया है :–

योजना/उद्योग	दी गयी राशि	
	अनुदान	ऋण
अम्बर चर्खे	6,000	..
बुनकरों का पुनसंस्थापन	5,000	..
परम्परागत चर्खे	5,500	..
रेशा	..	11,500
चमड़ा	13,000	17,000

सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प

2800. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प के बारे में 30 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1549 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को सामाजिक नीति सम्बन्धी संकल्प के बारे में योजना आयोग से प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इस प्रतिवेदन के संसद् में कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती एम० चन्द्रशेखर) : (क) सामाजिक नीति संबंधी ब्यान के प्रश्न पर योजना आयोग अध्ययन कर रहा है। चतुर्थ आयोजना की रूप रेखा में, जो

तैयार की जा रही है तथा यथा समय संसद् के सामने पेश की जायेगी, इस प्रश्न पर विचार किया जाना अभिप्रेत है ।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठते ।

जापानी चल मेला (फ्लोटिंग फेयर)

2801. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में भारत में अनेक स्थानों पर जापानी चल मेला (फ्लोटिंग फेयर) का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो यह किन स्थानों पर हुआ था ;

(ग) इन स्थानों पर किन वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया था ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) मद्रास, कोचीन, बम्बई तथा कलकत्ता ।

(ग) जापानी चल मेला की वस्तुएं निम्नलिखित मुख्य शाखाओं में प्रदर्शित करने की व्यवस्था की गई थी :—

(क) आर्थिक सहयोग—खुशहाली के लिए इकट्ठे होकर काम करना;

(ख) तथा (ग) : औद्योगिक संयंत्र ;

(घ) लोहा तथा इस्पात ;

(ङ) धातु एवं धातु-उत्पाद, समुद्री जहाज़, बेयरिंग, सिलाई की मशीनें ;

(च) सूक्ष्म मशीनें ;

(छ) बाइसिकलें, स्वचालित गाड़ियों के हिस्से तथा पुर्ज़े ;

(ज) मोटर गाड़ियां ;

(झ–ठ) इलक्ट्रिक तथा इलैक्ट्रानिक उपकरण ;

(ड–ढ) वस्त्र, रासायनिक पदार्थ, फुटकर, वैयक्तिक गहने आदि ;

(ण–थ) औद्योगिक मशीनें, लघु संयंत्र;

(द) औद्योगिक मशीनें ;

(घ) जापान द्वारा उद्योग एवं वाणिज्य में प्राप्त उच्चस्तर की प्रशंसा करते हुए, पारस्परिक शुभकामना तथा दोनों देशों के बीच व्यापार विकास के हित की दृष्टि से सरकार ऐसे प्रदर्शनों का स्वागत करती है ।

इस्पात का उत्पादन

2802. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय** :

श्री रामचन्द्र उलाका :

श्री घुलेश्वर मीना :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1965 में सभी इस्पात कारखानों में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो हर किस्म के तयार माल के सम्बन्ध में प्रत्येक कारखाने में उत्पादन का ब्योरा क्या है ; और

(ग) क्या यह उत्पादन लक्ष्य के अनुरूप है ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख): एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5907/66]**

(ग) जी, हां ; साधारणतया ।

भारत में तुरन्त तैयार होने वाली (इंस्टेंट) चाय का उत्पादन

2803. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में तुरन्त तयार होने वाली चाय का उत्पादन करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) इसका वाणिज्यिक उत्पादन कब तक आरम्भ हो जाने की संभावना है ; और

(ग) कौनसी कम्पनियां इस प्रकारकी चाय का उत्पादन आरम्भ करने वाली हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : तुरन्त तयार होने वाली चाय के उत्पादन के लिये केरल में एक कारखाने की स्थापना की गई है, जिसमें परीक्षण के रूप में उत्पादन पहले से ही शुरू हो चुका है। कारखाने में शीघ्र ही वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने की सम्भावना है।

(ग) केरल स्थित मुन्नर में तुरंत तैयार होने वाली चाय का कारखाना मेसर्स टाटा फिन्लले लि०, बम्बई द्वारा स्थापित किया गया है। एक अन्य कम्पनी अर्थात् मेसर्स फूड स्पेशेलिटीज़ लि० नई दिल्ली द्वारा भी मद्रास राज्य में चोलाडी के स्थान पर एक कारखाने के स्थापित किये जाने की सम्भावना है।

गंधक के देश में उपलब्ध संसाधन

2804. **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री विभूति मिश्र :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या **खान और धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंधक के देश में उपलब्ध संसाधनों का लाभ उठाने के लिए क्या उपाय निकाले गये हैं ; और

(ख) उसके अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) और (ख) : भारतीय भौमिकी विभाग ने अंडमान द्वीप समह तथा जम्मू और कश्मीर में गंधक द्रव्य का अन्वेषण और मैसूर, राजस्थान तथा मद्रास और बिहार में पाइराइट तथा पाइरहोटाइट (गंधक के अयस्क) के अनुसंधान किये। तथापि वाणिज्य महत्व के कुछ गंधक के निक्षेप प्राप्त नहीं हैं। वर्तमान समय में पाइराईटस एन्ड कैमीकल डिवैलपमैंट कं० लि०, बिहार जिले के शाहबाद के अमझोरे पाइराईट निक्षेपों से गंधक द्रव्य फिन्लैन्ड विधि से निकालने के विषय में जांच कर रही है। मैसर्स ओटोकम्पू आइ ने इस के विधायन की तकनीकी तथा मितव्ययी शक्यता के विषय में अमझोरे पाइराईटस के साथ फिन्लैन्ड में पाइलट प्लांट जांच करके बताया है।

मेसर्स ओटोकम्पू के पास तकनीकी व्यक्तियों का एक छोटा समूह जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने तथा गन्धक प्रद्रावक लगाने के विषय में सहयोग की शर्तों के विषय में उनसे विचार विमर्श करेगा, भेजने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

रेलवे उपकरणों का आयात

2805. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष कितने रेलवे उपकरणों का आयात किया गया; और

(ख) देश में रेलवे उपकरण बनाने के सम्बन्ध में रेलवे कब आत्मनिर्भर हो जायेगी ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : पिछले पांच वर्षों में आयात किये गये रेल उपस्करों का मूल्य इस प्रकार है :—

	करोड़ रुपये
1960–61	19.79
1961–62	17.04
1962–63	38.09*
1963–64	35.00*
1964–65	35.18*

*1961–62 की तुलना मे इन वर्षों में आयात में वृद्धि का कारण यह है कि डीज़ल और बिजली के रेल इंजनों का अधिक यातायात किया गया और कुल खरीद में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। 1961–62 में 208.14 करोड़ रुपये की तुलना में 1964–65 में कुल खरीद बढ़कर 320.23 करोड रुपये हो गयी।

1964–65 में रेलों द्वारा खरीदे गये कुल सामान का लगभग 90 प्रतिशत देश में तैयार किया गया था। भाप रेल इंजनों, मालडिब्बों, सवारीडिब्बों, यांत्रिक सिगनल और गाड़ी में रोशनी के उपस्करों और रेल पथ के सामान आदि के निर्माण में देश न केवल आत्मनिर्भर हो गया है बल्कि वह अब इनका निर्यात करने की स्थिति में भी है। वाराणसी के डीज़ल रेल इंजन कारखाने और चितरंजन रेल इंजन कारखाने में क्रमशः डीज़ल और बिजली के रेल इंजनों का निर्माण भी शुरू कर दिया गया है जिनमें उत्तरोत्तर अधिकाधिक देशी सामान लगाये जा रहे हैं। आशा है, चौथी योजना के अन्त तक रेल उपस्करों का आयात केवल कुछ विशिष्ट या स्वामित्वाधीन मदों तक ही सीमित रह जायेगा।

उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के मामले

2806. श्री दलजीत सिंह : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1965 को उत्तर रेलवे में भ्रष्टाचार के कितने मामले अनिर्णीत थे और ये मामले किस प्रकार के थे ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) :

31–12–1965 को अनिर्णीत मामलों की संख्या . . . 545

मामलों की किस्म :

1. रिश्वत लेना जिसमें अनुपात से अधिक परिसम्पत्ति के मामले भी शामिल हैं	71
2. बुकिंग-खिड़की पर यात्रियों को ठगना	29
3. सरकारी धन तथा सामान का दुर्विनियोग . . .	125
4. झूठा रिकार्ड रखना	23

5. रेलवे पास तथा सुविधा टिकट आदेश का दुरुपयोग . .	45
6. झूठा यात्रा-भत्ता लेना	15
7. रेल सम्पत्ति और मज़दूरों का दुरुपयोग . . .	8
8. परेषणों की तोल कम दिखाना और उनके संबंध में गलत बयानी, जिसमें अन्य वाणिज्यिक अनियमितताओं के मामले भी शामिल हैं . .	82
9. बिना टिकट यात्रियों को ले जाना	8
10. जालसाज़ी से किये गये भुगतान	5
11. ड्यूटी के समय वाणिज्यिक कर्मचारियों के पास छिपाकर रखी गयी और अतिरिक्त नकदी होना	53
12. प्रतिरूपण, पूर्ववृत्त छिपाकर और या गलत सूचना देकर नौकरी प्राप्त करना, जिसमें अवचार के मामले भी शामिल हैं . . .	45
13. रेलवे का अपेक्षित मात्रा से अधिक सामान जारी करना . .	16
14. निर्धारित स्तर से निम्न स्तर का सामान स्वीकार करना . .	20
जोड़ .	545

औद्योगिक उत्पादन

2807. **श्री म० ला० द्विवेदी :** **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री द्वा० ना० तिवारी :**
श्री भागवत झा आजाद : **श्री मधु लिमये :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1965–66 के प्रथम नौ महीनों में देश में कितना औद्योगिक उत्पादन हुआ है और विगत दो वर्षों में तत्सम्बन्धी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में यह कम है अथवा अधिक;

(ख) इस वर्ष कितना औद्योगिक उत्पादन किये जाने का अनुमान लगाया गया है ; और

(ग) औद्योगिक उत्पादन में हो रही कमी को रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े उपलब्ध है वे 1965–66 के केवल पहले सात महीनों के हैं। सामान्य सूचक अंक की दृष्टि से अप्रैल-अक्तूबर, 1965 में पिछले वर्ष की इसी अवधि से तुलना करते हुए औद्योगिक उत्पादन में लगभग 6 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 1963 से 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

(ख) अनुमान है कि 1965–66 में सम्पूण रूप से औद्योगिक उत्पादन में 6 प्रतिशत से अधिक वृद्धि नहीं हो सकेगी।

(ग) उत्पादन में कमी का रूख प्रमुख रूप से उस वर्ग के उद्योगों में दिखाई पड़ता है जो आयातित पुर्जों और कच्चे माल पर निर्भर करता है। पुर्जों और कच्चे माल का आयात करने के लिये विदेशी मुद्रा की कमी के कारण उत्पादन पर कम से कम असर पड़े इसके लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं जिनमें निम्न-लिखित उपाय भी शामिल हैं :—

(क) आयात की जाने वाली वस्तुओं के स्थान पर तकनीकी सम्भावनाओं का पता लगा लिया गया है और कुछ उद्योगों में उन्हें लागू भी कर दिया गया है।

(ख) सरकार कम परिमाण में उपलब्ध होने वाले या उसके स्थान पर काम में लाये जा सकने वाले कच्चे माल का देश में ही यथासम्भव विकास करने के लिये बराबर प्रयत्न करती रही है।

(ग) विभिन्न निर्यात संवधन योजनाओं के अधीन अपना निर्यात बढ़ाने और उद्योग को चलाते रहने के लिये देश में जो आवश्यक कच्चे माल नहीं मिलते उनका आयात करने के लिये भी प्रयत्न किये जा रहे हैं।

जाली लाइसेंस

2808. श्री च० का० भट्टाचार्य : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता सीमा शुल्क प्राधिकारियों ने कलकत्ते में घड़ी बेचने वाले तथा आयात करने वाले एक प्रसिद्ध फर्म पर तीन लाख रुपये मूल्य के घड़ियों के पुर्जे आयात करने का आरोप लगाया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आयात जाली लाइसेंसों द्वारा किया गया था ;

(ग) क्या दिल्ली में निर्यात तथा आयात नियंत्रण कार्यालय के एक कर्मचारी ने जिसे नौकरी से निकाल दिया गया था कुछ लाइसेंस प्रपत्र चोरी छिपे निकाल लिये थे और उस फर्म को द दिये थे; और

(घ) उस फर्म का नाम क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) से (घ) : सूचना मिली थी कि कलकत्ता में जाली आयात लाइसेंसों के जरिय थोड़े से मूल्य के घड़ी/घड़ी के पुर्जो का आयात किया गया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा इस मामले की ओर जांच की जा रही है, इसलिए इस समय और अधिक ब्यौरा देना लोकहित में नहीं होगा।

बांदा से कानपुर जा रही रेलगाड़ी का लूटा जाना

2809. श्री बड़े :

श्री हुकम चन्द कछवाय :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1965 के अन्तिम सप्ताह में बांदा से कानपुर जा रही रेल-गाड़ी में यात्रा कर रहे यात्रियों को गुंडों ने लूट लिया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकारी रेलवे पुलिस, बांदा ने भारतीय दंड संहिता की धारा 392 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया है। चार अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें से 3 की शिनाख्त कर ली गयी। इनमें से दो को बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया और तीसरा जेल में है। पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है।

अपराधों की रोकथाम के लिए बांदा-कानपुर खंड पर चलने वाली सवारी गाड़ियों में सरकारी रेलवे पुलिस के सशस्त्र रक्षक तैनात किये जाते हैं।

अलौह धातुओं का वितरण

2810. श्री कपूर सिंह :
श्री प्र० के० देव :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 29 दिसम्बर, 1965 के 'इकोनोमिक टाइम्स' (पृष्ठ 1, कालम 2-3) में प्रकाशित समाचार के अनुसार उन्होंने इस आशय का एक वक्तव्य दिया कि अलौह कि धातुओं के वितरण पर लगाये गये रोक के कारण प्रभावित हुए उद्योगों को 'शीघ्र ही कुछ राहत दी जायेगी' ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या राहत दी जायेगी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) दुर्लभ औद्योगिक सामग्री नियंत्रण आदेश, 1965 में कुछ उदारता बरती गई है जो नीचे बताई गई है :—

(1) सभी प्रकार की प्राकृत धातु के कबाड़ तथा उससे तैयार की जाने वाली धातु से नियंत्रण हटा लिया गया है ।

(2) निर्यात सम्बर्द्धन योजना के अन्तर्गत आयात की हकदारी का उपयोग स्वतन्त्रता पूर्वक करने की अनुमति दे दी गई है ।

(3) निर्यात सम्बर्द्धन परिषद की सिफारिश के आधार पर उन एककों को धातुओं का नियतन पहले ही से किया जा रहा है जिन्होंने निर्यात के लिए निश्चित वादा कर रखा है बशर्ते कि वे इस्तेमाल किये गये परिमाण को निर्यात के द्वारा अपनी आयात हकदारी से पूरा कर देंगे ।

(4) राष्ट्रीय रक्षा भुगतान योजना के अधीन तथा निर्माताओं की उस आयात हकदारी के जरिये जो उन्हें पार्टी द्वारा किए जाने वाले निर्यात के लिए मिली हो आयात की गई दुर्लभ वस्तुओं का भी स्वतन्त्रता पूर्वक उपयोग करने की अनुमति दी जा रही है ।

केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली

2811. श्री किशन पटनायक :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री मधु लिमये :

क्या **रेलवे** मंत्री केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली के बारे में 3 दिसम्बर, 1965 के आतारांकित प्रश्न संख्या 1778 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोरखपुर छपरा सैक्शन (पूर्वोत्तर रेलवे) के शेष स्टेशनों पर केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली लागू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां , तो अब तक कुल कितना धन खर्च हो चुका है ;

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण प्रणाली के लागू हो जाने के बाद यातायात यात्री गाडियों तथा माल गाड़ियों की गति बढ़ाने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) अभी नहीं। कुल 23 स्टेशनों में से गौरखपुर कट (छोड़कर) से दरौंदा (मिलाकर) तक के 18 स्टेशनों पर (जिनमें भटनी जंक्शन और सीवान जंक्शन शामिल नहीं हैं) रिले अन्तर्पाश व्यवस्था शुरू की गयी है जो कि केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण व्यवस्था का पहला चरण है ।

पूरी तरह से केन्द्रीकृत यातायात नियंत्रण,व्यवस्था गोरखपुर कैंट (छोड़कर) से अहिल्यापुर (मिलाकर) तक के 8 स्टेशनों पर शुरू की जा चुकी है।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) विदेश से मंगाये जाने वाले कुछ उपस्कर अमरीका से जहाज़ द्वारा लाये जा रहे हैं ।

(घ) इस प्रणाली को समूचे खण्ड पर लागू करने के बाद ही यह पता लगाया जायेगा कि कुल कितना लाभ हुआ ।

Export of Cotton Textiles to U.S.S.R.

2812. Shri Bibhuti Mishra : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) the value and quantity in yards of poplin, towels, handkerchiefs and other types of cotton cloth exported to U.S.S.R. during 1965-66 so far; and

(b) whether Government are formulating any scheme to increase the export of cotton textiles to U.S.S.R.?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri Mohd. Shafi Qureshi) : (a) & (b). A statement containing the required information is attached.

Statement

(a) The exports of cotton textiles to U.S.S.R. during the period April 1965 to November 1965 were as follows :—

	Quantity	Value (Rs. in lakhs)
Poplins	75.72 lakh metres	108.73
Towels	1.56 lakh kgs.	10.88
Handkerchiefs	33.38 lakh Nos.	6.51
Other types of cotton cloth . . .	..	139.28
TOTAL .		265.40

(b) The Indo-U.S.S.R. Trade Plan provision for the export of textiles has been increased for 1966 to Rs. 350 lakhs. Business amounting to Rs. 170 lakhs (approx.) has already been secured; and further negotiations are in progress. The State Trading Corporation, which is handling the trade with East European

countries, has been strengthened by posting a Resident Director and an Additional Regional Manager at its Bombay office to ensure prompt attention to the enquiries from the foreign buyers and to keep close liaison with the exporters/manufacturers for timely deliveries. A cotton textile panel for the USSR has been formed by the Cotton Textiles Export Promotion Council with a view to making an organised effort in our exports to the U.S.S.R.

'मद्रास ब्लीडिंग' किस्म के कपड़े का निर्यात

2813. श्री कोल्ला वेंकैया :

श्री लक्ष्मी दास :

श्री बालकृष्णन् :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में "मद्रास ब्लीडिंग" किस्म के कपड़े का कितना निर्यात किया गया और इसका मूल्य क्या था ;

(ख) कौन कौन से देश इस कपड़े का आयात करते हैं ;

(ग) जमा हुए माल को नए बाजारों में बेचने के लिए क्या प्रयत्न किये गये ; और

(घ) कितने कपड़ों की विदेशी बाजार में मांग नहीं है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा । देखिये एल० टी० 5908/66 ।]**

(ग) पूर्वी यूरोपीय देशों को ब्लीडिंग मद्रास के कपड़ों तथा परिधानों का निर्यात, अधिक प्रचार द्वारा गहन करने का विचार है । उन निर्यातकों को, जिन्हें निर्यात कोटे दिए गए हैं और जिनके कोटे समाप्त हो गये हैं, यूरोप को निर्यात करने के लिए अतिरिक्त कोटे दिए जा रहे हैं ।

दिल्ली और नई दिल्ली के स्टेशनों पर स्थान

2814. श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि (आने वाले तथा भेजे जाने वाले दोनों प्रकार के) पार्सलों को रखने के लिये नई दिल्ली तथा दिल्ली जंक्शन स्टेशनो पर स्थान की कमी है ; और

(ख) यदि हां, तो रेलवे प्रशासन ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां, कुछ हद तक ।

(ख) दिल्ली और नयी दिल्ली दोनों स्टेशनों पर पार्सल आदि रखने के लिए यथासम्भव अतिरिक्त जगह की व्यवस्था करने के प्रस्तावों पर उत्तर रेल प्रशासन द्वारा विचार किया जा रहा है ।

पार्सल डिस्पेच क्लर्कों को कार्य-यात्रा भत्ता (रनिंग अलाउन्स)

2815. श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीज़न में पार्सलों के साथ चलने वाले कर्मचारियों के रूप में काम करने वाले पार्सल डिस्पेच क्लर्कों को न तो कार्य-यात्रा भत्ता (रनिंग एलाउंस) मिलता हैं और नही उनके लिये क्वार्टरों की व्यवस्था है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : पार्सल डिस्पैच क्लर्क रनिंग कर्मचारी नहीं हैं और इसलिए उन्हें रनिंग भत्ता नहीं दिया जा सकता। उनकी बारी आने पर उन्हे क्वार्टर दिये जाते हैं।

उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में रेलगाड़ियों के साथ चलने वाले रेलवे कर्मचारियों को घड़ियों का दिया जाना

2816. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन के रेलगाड़ियों के साथ चलने वाले कर्मचारियों को अभी तक घड़ियां नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं। 50 प्रतिशत रनिंग कर्मचारियों को घडियां पहले ही दी जा चुकी हैं और हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बेंगलूरु से घड़ियां मिलते ही बाकी कर्मचारियों को भी घड़ियां दे दी जायेंगी घड़ियों के लिए हिन्दुस्तान मशिन टूल्स० लि०, बेंगलूरू को महानिदेशक, संभरण और निपटान के माध्यम से मांगपत्र दिया गया है।

(ख) पहले, रनिंग कर्मचारियों को आयात की गयी जेब घड़ियां दी जाती थीं। विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति को देखते हुए यह निश्चय किया गया कि इनके बदले, दो किस्म की एच० एम० टी० कलाई घड़ियां दी जायें—एक में घड़ी के एक सिरे पर जंजीर लगी होती है और दूसरी में केवल फीता होता हैं। यूनिफार्म समिति की सिफारिश के आधार पर नवम्बर, 1964 में रेल प्रशासन ने घड़ियों के पात्र कर्मचारियों की कोटियों की संख्या 5 से बढ़ाकर 35 करने का निश्चय किया। कर्मचारियों की किस कोटि को किस प्रकार की घड़ी दी जाये, यह निश्चित करने में कुछ समय लग गया जिससे घड़ियों की प्राप्ति के लिए कार्रवाई करने में देर हो गयी। फिर भी, उन्हें जल्दी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है।

सामान तथा यात्रियों के परिवहन की व्यवस्था को सामान्य किया जाना

2817. श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री रवीन्द्र वर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने उद्योग और व्यापार के संचालन के लिये आवश्यक वस्तुओं और यात्रियों के लिये परिवहन व्यवस्था को, सामान्य जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच हाल ही में संघर्ष के दौरान अव्यवस्थित हो गया था, पुनः सामान्य रूप दे दिया है ; और

(ख) सीमावर्ती राज्यों में उन रेलवे स्टेशनों के नाम क्या हैं जहां अब तक सामान्य रेलवे कार्यक्रम के अनुरूप पुनः कार्य आरम्भ नहीं हुआ है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हां, लेकिन अभी उत्तर रेलवे के वल्टोहा-खेमकरन और गदरा रोड-नुनाबाव खण्डों और पूर्व रेलवे के बोनगाव-पेट्रो पोल खण्ड पर चलने वाली गाड़ियां और हाल के युद्ध से पहले भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली गाड़ियां फिर से चालू नहीं की गयी हैं।

हथकरघा बुनकरों के लिये धागा

2818. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में हथकरघा बुनकरों को इस समय पर्याप्त मात्रा में धागा नहीं मिलता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस स्थिति को सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहमद शफी कुरेशी) : (क) जी नही ।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते ।

नमक का निर्यात

2819. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक का उत्पादन और साथ ही निर्यात भी कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) यद्यपि गत कुछ वर्षों में नमक के उत्पादन तथा 1964 तक नमक के निर्यात में भी निरन्तर वृद्धि हुई है, तो भी 1965 में इसके निर्यात में साधारण सी गिरावट हुई ।

(ख) 1965 में निर्यात में साधारण सी गिरावट मुख्यतः इस कारण हुई कि भारत-पाक संघर्ष के परिणामस्वरूप सितम्बर-अक्तुबर, 1965 के दौरान जापान, जो इस मद का हमारा प्रमुख आयातक है, को नमक की खेपों को बन्द करना पड़ा ।

(ग) नमक का निर्यात बढ़ाने के लिये किये गये/किये जा रहे कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्न प्रकार हैं :—

(1) बे ी वर्ग के पत्तनों तथा कांडला पत्तन पर लदान की दर बढ़ाने के उपाय किये जा रहे हैं । मौजूदा दर बहुत ही कम है तथा हमारे निर्यात के मार्ग में बाधक है ।

(2) कुछ आदि के गड्ढों तथा खाड़ी के तलकर्षण के लिये उपाय किये जा रहे हैं ताकि जहाज किनारे के समीप कम गहराई में लंगार डाल सकें ।

(3) नमक की किस्म सुधारने के उपाय किये जा रहे है । नमक के लिये किस्म नियंत्रण तथा जहाज लदान से पूर्व निरीक्षण की एक योजना चालू की गई है ।

(4) नमक के निर्यात के आधार पर निर्यात के जहाज तक निःशुल्क मूल्य की 10 प्रतिशत तक आयात हकदारी दी जा रही है ।

(5) समुद्र द्वारा भेजे जाने वाले नमक के समस्त निर्यात पर शुल्क अथवा उपकर नहीं लगाया जाता है।

(6) गुजरात राज्य सरकार ने निर्यात किये जाने वाले नमक पर पत्तन प्रभारों में कमी कर दी है।

(7) निर्यात होने वाले नमक पर गुजरात की राज्य सरकार द्वारा कोई स्वत्व शुल्क नहीं लगाया जाता है।

(8) नाइजीरिया जैसे कुछ विदेशी बाजारों द्वारा अपेक्षित शोधित नमक की विशिष्ट किस्मों का उत्पादन करने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये एक विशेषज्ञ दल का गठन किया गया है।

तकुओं का नियतन

2820. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगले वर्ष विभिन्न राज्यों में कपड़ा मिलों के लिये नियत किये गये तकुए (स्पिंडल्स) बढ़ाये जायेंगे, और

(ख) यदि हां, तो उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहमद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) : चौथी योजना की अवधि में कपड़ा उद्योग के लिये तकुओं के आवंटन के कार्यक्रम को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

भारत में लौह-अयस्क का बुरादा

2821. श्री धुलेश्वर मीना :
श्री रामचन्द्र उलाका :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय लौह अयस्क का बुरादा (फाइन्स) कुल कितनी मात्रा में पाया जाता है ; और

(ख) सरकार इस लौहअयस्क के बुरादे का किस प्रकार उपयोग करने के लिये विचार कर रही है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) देश में प्राप्त कच्चे लोहे के बुरादे (जिसमें प्राकृशिक बुरादा जैसे लुब्डस्ट जो हेमाटाइट कच्चा लोहा निक्षेपों से प्राप्त होते है तथा वह बुरादा जो खनन में, विशेषरूप से पिंड धातु के मशीन द्वारा खनन के दोनों प्रकार से प्राप्त होता है, शामिल है) का विस्तृत निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता है। (गोवा की एक शृंखला विशेष का प्रारम्भिक निर्धारण भारतीय खान ब्यूरो ने दिया जिसके अनुसार गोवा में कच्चे लोहे के बुरादे का संचय 250 मिलियन मीटरी टन के स्तर का अनुमान लगाया गया है।

(ख) कच्चे लोहे के बुरादे का उपयुक्त अभिपिण्डन के पश्चात् इस्पात तथा समस्त वित्तीय विचार कर लिया गया है। कच्चे लोहे के बुरादे के प्रयोग के लिए सिंटरिंग प्लांटों की स्थापना जमशेदपुर, भिलाई, भद्रावती तथा राउरकेला के इस्पात प्लांटों में की जा चुकी है। एक सिंटरिंग प्लांट

दुर्गापुर इस्पात प्लांट में भी लगाया जा रहा है। प्रस्तावित बोकारो इस्पात प्लांट में भी कच्चे लोहे के बुरादे की सिंटरिंग का विचार किया जा रहा है। कच्चे लोहे के बुरादे से गुल्लिकाएं बनाने की शक्यता की जांच बेलादिला (मध्य प्रदेश), कुदरमुख और वेलाग होस्पत (मैसूर) में की जा रही है। गोवा में एक गैर सरकारी फर्म द्वारा गुल्लिकायें बनाने का प्लांट 0.5 मिलियन मीटरी टन प्रतिवर्ष क्षमता वाला लगाया जा रहा है। अभिप्राय पत्र भी जारी किए जा चुके हैं।

उड़ीया में औद्योगिक सहकारी समितियां

2822. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धुलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 जनवरी, 1966 तक उडीसा में कितनी औद्योगिक सहकारी समितियां चल रहीं थीं और उनकी उत्पादन क्षमत क्या थी ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : उड़ीसा में 31 जनवारी, 1966 को 1,812 औद्योगिक सरकारी समितियां कार्य कर रहीं थीं और जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 15 करोड़ रु० प्रति वर्ष के लगभग है।

तीन पहिये वाली गाड़ियों का उत्पादन

2823. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री धूलेश्वर मीना :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन पहिये वाली गाड़ियों को बनाने वाले उद्योगों में उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां; तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) 1965 में तीन पहियों वाली गाड़ियों का उत्पादन 1964 की तुलना में कुछ कम हुआ जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से पता चलता है :

वर्ष	उत्पादन
1964	4181 संख्या
1965	3565 संख्या

(ख) यह कमी मुख्यत: इस उद्योग को विदेशी मुद्रा के नियतन में कमी के कारण हुई थी।

(ग) सरकार तथा उद्योग द्वारा परिस्थितियों के अनुसार गाड़ियों में उपलब्ध विदेशी मुद्रा के अन्दर ही देशी पुर्जों का यथाशीघ्र अंश बढ़ाने के लिये सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं।

उड़ीसा और बिहार में मैंगनीज और लोह-अयस्क की खानों में उत्पादन

2824. **श्री रामचन्द्र उलाका :**

श्री धूलेश्वर मीना :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा और बिहार की मैंगनीज और लोह अयस्क की खानों में 1965-66 में उत्पादन कम हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) वर्ष के उत्पादन के वास्तविक आंकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि वित्तीय वर्ष 1965-66 अभी समाप्त नहीं हुआ है। परन्तु अप्रैल, 1965 से जनवरी 1966 की उत्पादन की प्रवृत्ति से स्पष्ट पता चलता है कि पिछले वर्ष 1964-65 के मुकाबले में 1965-66 में मैंगनीज तथा कच्चा लोहा दोनों का उत्पादन अधिक होगा।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सनफोराइज्ड कपड़े का आयात

2825. श्री बादशाह गुप्त : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965 में सनफोराइज्ड कपड़े के आयात पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई;

(ख) क्या देश में उत्पादित विरंगीकृत (डिकलराइज्ड) कपड़े से इस आयात किये जाने वाले कपड़ें की मांग पूरी हो सकती है; और

(ग) यदि हां, तो इस कपड़े का आयात किये जाने के क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहमद शफी कुरेशी) : (क) जी, नही।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नही उठते।

नूनखार स्टेशन के निकट दुर्घटना

2827. श्री प्र० के० देव :
श्री धर्मलिंगम :
श्री नारायण रेड्डी :
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री राम हरख यादव :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जनवरी, 1965 को गोरखपुर-कटनी सेक्शन में नूनखार स्टेशन के निकट 34 डाउन जनता गाड़ी 41 अप सीवाना गोरखपुर सवारी गाड़ी से टकरा गई थी; और

(ख) यदि हां, तो हताहत व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है और दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को यदि कोई प्रतिकर दिया गया है, तो कितना ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इस दुर्घटना में किसी की मृत्यू नहीं हुई। लेकिन, 27 यात्रियों को मामूली चोंटे पहुंची।

अब तक क्षतिपूर्ति के लिये कोई दावा प्राप्त नही हुआ है।

त्रिपुरा में आदिम जाति के लोगों को कानूनी सहायता

2828. श्री दशरथ देव : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा संघ राज्य क्षेत्र को 1965-66 में आदिम जाति के लोगों को मुकदमें लड़ने के हेतु कानूनी सहायता देने के लिये कोई धनराशि दी गई है;

(ख) यदि हां तो इसके लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(ग) 1965–66 में आदिम जाति के कितने लोगों को कानूनी सहायता मिली?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) जी, हां।

(ख) 600 रुपये ।

(ग) ऐसे अनुदानों के लिये अनुरोध प्राप्त नहीं हुए हैं

Licences for Petroleum Jelly

2829. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Commerce** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have stopped issuing licences for petroleum jelly; and

(b) if so, the reasons therefor ?

The Minister of Commerce (Shri Manubhai Shah) : (a) Yes, Sir.

(b) There is enough manufacturing capacity in the country for meeting our requirements.

रेलवे कर्मचारियों को सर्दी की वर्दियां

2830. श्री ओंकार लाल बेरवा : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के दिल्ली डिवीजन में रेलवे कर्मचारियों को अब तक वर्ष 1965-66 के लिये सर्दी की वर्दी नहीं दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्दियां शीघ्र देने के लिये रेलवे प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं । काफी संख्या में पात्र कर्मचारियों को जाड़े की वर्दियां पहले ही दी जा चुकी हैं।

(ख) बाकी कर्मचारियों को जाड़े की वर्दियां देने में कुछ विलम्ब हुआ है, क्योंकि 1965-66 की वर्दियों की सिलाई का ठेका देर से दिया गया, जिसका कारण यह था कि ठेके की शर्तें तय करने में देर हो गयी थी।

(ग) पोशाकें तैयार करने का काम पहले से हो रहा है और आशा है कि उनकी सप्लाई मार्च, 1966 की समाप्ति से पहले पूरी कर दी जायेगी।

जसिडीही स्टेशन (पूर्व रेलवे) के निकट गाड़ी का पटरी से उतर जाना

2831. श्री राम हरख यादव :

श्री विश्वनाथ पाण्डेय :

श्री मुरली मनोहर :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 10 फरवरी, 1966 को कलकत्ता से लगभग 323 किलोमीटर दूर जसिडीही के पास हावड़ा जाने वाली अमृतसर डाकगाड़ी के तीन डिब्बे मुख्य लाइन पर पटरी से उतर गये;

(ख) यदि हां, तो रेलगाड़ी के पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे; और

(ग) उसके परिणामस्वरुप रेलवे सम्पत्ति को कुल कितनी क्षति हुई ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) यह दुर्घटना यांत्रिक उपस्कर की खराबी के कारण हुई।

(ग) रेल सम्पत्ति को लगभग 1,700 रुपये की क्षति पहुंचने का अनुमान है।

पठानकोट के लिये वापसी टिकट

2832. श्री यशपाल सिंह : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठाणकोट के लिये प्रथम और द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को किराये की $1\frac{1}{3}$ की दर से तथा तीसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को किराये की $1\frac{1}{2}$ की दर से वापसी टिकट दिये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तीसरी श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों से अधिक किराया लेने के क्या कारण हैं; और

(ग) यह भेदभाव कब दूर किया जायेगा ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : इस मामले की जांच की जा रही है।

सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को पेंशन

2833. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों को अन्य केन्द्रीय सरकारी एवं रेलवे कर्मचारियों की भांति उसी आधार पर पेंशन का लाभ देने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस मामले में क्या निर्णय किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवया) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के लिये बिजली

2834. श्री महम्मद इलियास :
डा० रानेन सेन :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम बिहार बिजली बोर्ड से बिजली खरीद रहा है अथवा दामोदर घाटी निगम अधिनियम के उपबन्धों के विरुद्ध खरीदने का विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसी स्थिति उत्पन्न करने के लिये कौन उत्तरदायी है; और

(ग) भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) दामोदर वैली कारपोरेशन एक्ट के अनुसार कोई भी व्यक्ति कारपोरेशन की आज्ञा बिना दामोदर घाटी में 30,000 वोल्ट या इससे अधिक दबाव पर दामोदर घाटी में विद्युत् शक्ति प्रदान नहीं करेगा तथापि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम अपना विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण विकास अवधि में बिहार राज्य विद्युत् मन्डल से 11,000 वोल्ट पर बिजली प्राप्त करती रही है। चूंकि राष्ट्रीय कोयला विकास निगम की आवश्यकता 30,000 वोल्ट से अधिक हो गई है, इसलिये बिहार राज्य विद्युत् मंडल तथा दामोदर वैली कारपोरेशन से अतिरक्त विद्युत् प्राप्त करने के प्रबन्धों को अन्तिम रूप दे रहे हैं।

(ख) और (ग) : प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नेपाल को सिगरेटों का निर्यात

2835. श्री मधु लिमये : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेपाल सरकार ने भारतीय सिगरेटों पर नये सीमा शल्क लगाये हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस अतिरिक्त सीमा शुल्क के लगाने से नेपाल को इस वस्तु के भारतीय निर्यात पर प्रभाव पड़ने की सम्भावना है; और

(ग) यदि हां, तो कहां तक ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, हां।

(ग) इस समय यह अनुमान लगाना सम्भव नहीं है कि नेपाल सरकार द्वारा लगाय गये नये सीमा शुल्क का नेपाल को होने वाले भारतीय सिगरेटों के निर्यात पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा।

चालू कोयला खानों की संख्या

2836. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **खान तथा धातु** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1965 में भारत में चालू कोयला खानों की संख्या कम हो गई है;

(ख) यदि हां, तो 1965 के आरम्भ में तथा अन्त में चालू खानों की संख्या क्या थी और इस समय उनकी संख्या क्या है; और

(ग) कोयला खानों के बन्द होने के क्या कारण हैं ?

खान तथा धातु मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) नहीं, महोदय।

(ख) जनवरी 1965 में संख्या 827 थी जबकि दिसम्बर 1965 में संख्या 839 थी। इस के बाद के आंकड़े अभी प्राप्त नहीं।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वोत्तर भारत में चाय बागान

2837. श्रीमती रेणुका बड़फटकी : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर भारत में चाय बागानों को उर्वरक की सप्लाई तथा उसका वितरण करने सम्बन्धी समस्याओं पर गत फरवरी में कलकत्ता में हुई सम्मेलन में विचार किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में क्या मुख्य निर्णय किये गये थे ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी, हां।

(ख) बैठक में किये गये प्रमुख निर्णय निम्नलिखित थे :

(1) 1965-66 के लिये चाय उद्योग को आवंटित अमोनिया सल्फेट के परिवहन का एक कार्यक्रम बनाया गया था ताकि चाय बागानों को संभरण मार्च, 1966 के अन्त तक पूर्ण हो सके ।

(2) उर्वरक कम न भेजा जाय इसके लिये, उर्वरकों के बारों के भार का हिसाब लगाने की प्रणाली का पुनरीक्षण किया गया और इसके सुधार के उपाय सुझाए गये।

(3) माल पाने वाले को रेलवे रसीन शीघ्र भेजने सम्बन्धी मामलों और गंतव्य स्थान पर माल प्राप्तकर्ता द्वारा दिये गये कम प्रभारों को देने के विषय में विचार किया गया तथा इस कारण होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपयुक्त उपाय सुझाए गये।

(4) उर्वरकों की वितरण लाभ सीमा में वृद्धि के लिये वितरणकर्ता फर्मों के अभिवेदन के सम्बन्ध में यह स्वीकार किया गया कि इस मामले पर तब विचार किया जाय जब वितरण लाभ सीमा का ब्यौरा और उसमें वृद्धि करने का पूर्ण औचित्य-युक्त तर्क प्राप्त हो जायेगा।

Dusadh Community

2838. Shri Lahtan Chaudhary :
Shri Yamuna Prasad Mandal :

Will the Minister of **Social Welfare** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Dusadh Community is a Harijan Community and that it is enjoying all concessions being given to Harijans; and

(b) whether they would continue to enjoy these concessions consequent on their registration as the All-India Gahlaut Rajput (Dusadh) Maha Sabha ?

The Deputy Minister in the Ministry of Social Welfare (Smt. Chandrasekhar) : (a) The Dusadh community is a Scheduled Caste in Bihar, Uttar Pradesh and West Bengal and the Dosadha community is scheduled in Orissa. In these States they are enjoying all concessions given to Scheduled Castes.

(b) They will continue to get the concessions so long as they are treated as a Scheduled Caste in the State concerned.

स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स, इन्दौर

2839. श्री यशपाल सिंह : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मजदूर संघ नेताओं ने इन्दौर में स्थित स्वदेशी काटन एण्ड फ्लौर मिल्स को चलाने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो इन मिलों को चलाने के लिये क्या शर्तें रखी गई हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : इन्दौर में स्थित स्वदेशी काटन एण्ड फ्लोर मिल्स को चलाने के लिए न तो राज्य सरकार को और न ही केन्द्रीय सरकार को व्यापार संघ नेताओं से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। फिर भी पता चला है, कि ऐसा प्रस्ताव उच्च न्यायालय, इन्दौर को दिया गया है जहां निस्तारण सम्बन्धी कार्यवाही विचाराधीन है।

न्यू भोपाल टैक्स्टाइल्स

2840. **श्री काजरोलकर :**
श्री पाराशर :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यू भोपाल मिल्स लिमिटेड, भोपाल कपड़ा तैयार करने वाली एक मिल जिसमें लगभग 2000 श्रमिक काम करते हैं मिल के गेट पर लगाये गये एक नोटिस के अनुसार, "वित्तीय संकट" के कारण 15 फरवरी, 1965 से बन्द हो गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत इस मिल को अपने नियन्त्रण में लेने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : दी न्यू भोपाल मिल्स लि०, भोपाल बन्द नहीं हुई है और कार्य कर रही है। उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18-ए के अन्तर्गत यह मिल भारत सरकार द्वारा अपने नियन्त्रण में ले ली गई थी और इसको 11 फरवरी, 1966 से पांच वर्ष के लिये एक प्रधिकृत नियन्त्रण के प्रबन्ध में रख दिया गया है।

वान्नन (धोबी) जाति का अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किया जाना

2841. **श्री म० प० स्वामी :** क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संसद सदस्यों द्वारा हस्तक्षरित कोई ज्ञापन केन्द्रीय सरकार को दिया गया था जिसमें मद्रास राज्य की वान्नन (धोबी) जाति को अनसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के औचित्य पर बल दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) जी, हां। कई संसद-सदस्यों से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था।

(ख) विषय विचाराधीन है।

दिल्ली में लघु उद्योगों को कच्चे माल की सप्लाई

2842. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री प्र० के० देव :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में छोटे उद्योगों के लिये कच्चे माल की बहुत कमी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकारी सहायता के द्वारा इन उद्योगों की केवल 35 प्रतिशत तक आवश्यकता पूरी होती है और शेष आवश्यकता पूरी करने के लिये उन्हें चोर बाजारी से बहुत ऊंचे मूल्य पर यहां तक कि नियंत्रित मूल्य के 500 प्रतिशत से भी अधिक मूल्य पर कच्चा माल खरीदना पड़ता है; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) विदेशी मुद्रा की अत्यधिक कमी के कारण दिल्ली तथा अन्य राज्यों के लघु उद्योगों को अपनी सम्पूर्ण आवश्यकता पूरी करने के लिए कच्चा माल नहीं मिल रहा है।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा लघु उद्योगों के सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में उन्हें अपनी आवश्यकताओं का लगभग 35 प्रतिशत सरकारी सहायता के रूप में प्राप्त होता है तथा बाकी के लिए उन्हे खुले बाजार पर निर्भर करना पड़ता है। सर्वेक्षण के द्वारा यह भी सूचना मिली है कि खुले बाजार में उन्हें कभी कभी नियंत्रित मूल्य की तुलना में 500 प्रतिशत तक मूल्य देना पड़ता है। इस विषय में दिल्ली प्रशासन को कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है।

(ग) उद्योगों को देशी विकल्पों का इस्तेमाल करने तथा अपनी कच्चे माल की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए काफी विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिये निर्यात बढ़ाने का परामर्श दिया गया है।

रेलवे लाइनों का प्रतिरक्षा कार्यों के लिये सीमाओं तक बढ़ाया जाना

2843. **श्री राम हरख यादव :**
श्री विश्वनाथ पाण्डेय :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे लाइनों को प्रतिरक्षा कार्यों के लिये सीमाओं तक बढ़ाने के बारे में 12 नवम्बर, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 197 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस मामले पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : 1966–67 के निर्माण-कार्यक्रम में राजस्थान राज्य में पोकरन से जैसलमेर तक तीन करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 105 किलोमीटर लम्बी एक मीटर लाइन बनाने का निश्चय किया गया है। जब कभी रक्षा मंत्रालय की ओर से रक्षा कार्यों के लिए नयी लाइनों से सम्बन्धित और प्रस्ताव आयेंगे तो उन पर भी समुचित विचार किया जायेगा।

तनजानिया से लौंग का आयात

2844. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तनज़ानिया से किये गये करार में भारत द्वारा लौंग का आयात भी शामिल है,

(ख) यदि हां, तो क्या लौंग इतनी जरूरी है कि उस पर विदेशी मुद्रा खर्च की जाये,

(ग) तनज़ानिया से लौंग के आयात पर प्रति वर्ष कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी, और

(घ) यदि लौंग वस्तु विनिमय के आधार पर खरीदी जानी है, तो ऐसे वस्तु विनिमय करार में क्या क्या मदें शामिल की गई हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां

(ख) लौंग का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने में और एक मसाले के रूप में भी होता है। दोनों देश अपने व्यापारिक हितों का ध्यान रखते हुए, व्यापार करार में सम्मिलित वस्तुओं के सम्बन्ध में परस्पर वार्ता करके सहमति देते हैं। टांजानियां अपनी लौंग बेचने में दिलचस्पी रखता है जिसका भारत में उत्पादन नहीं होता अतः हमारी घरेलू आवश्यकता को पूर्णतः आयात करके ही पूरा करना पड़ता है।

(ग) व्यापार करार में 2.5 लाख पौण्ड (33.3 लाख रुपये) मूल्य की लौंग के आयात की व्यवस्था है।

(घ) अभी तक लोगों के विनिमय की कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

केश-सज्जा (हेयर प्रोसेसिंग)

2845. **श्रीमती सावित्री निगम :** क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और हांगकांग के बीच केश-सज्जा के सम्बन्ध में एक समझौता किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां। मानवीय केश-सज्जा तथा उपकेश (कृत्रिम बालों का टोप) बनाने के कारखाने की स्थापना के लिये, राज्य व्यापार निगम ने मैसर्स लायन राक ट्रेडिंग कम्पनी, हांगकांग के साथ तकनीकी सहयोग करार किया है।

(ख) यह करार 5 वर्षों की अवधि के लिये वैध होगा तथा दस अर्ध वार्षिक किश्तों में देय वार्षिक निर्यात बिक्री पर विदेशी फर्म को 5 प्रतिशत का अधिकार-शुल्क, जिस पर भारतीय कर लागू होंगे, दिया जायगा।

विदेशी फर्म बदले में राज्य व्यापार निगम को तकनीकी सहायता देगी तथा वह निगम को विदेशों से आवश्यक संयंत्र तथा मशीनें मंगाने और तैयार उत्पाद के विपणन में सहायता देगी। वह भारतीय कर्मचारी वर्ग को प्रशिक्षित भी करेगी।

Dining Car attached to Dehra Dun Express

2846. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Dr. L. M. Singhvi :**
Shri Hukam Chand Kachha vaiya : **Shri Onkar Lal Berwa :**

Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a dining car is attached and detached to Dehra Dun Express at Kotah in both Up and Down side, as a result of which tea is served very late and food also at 6 or 7 P. M.;

(b) whether Government have received any complaints in this regard from the passengers and Members of Parliament travelling by that train; and

(c) the action taken in the matter and whether Government are now proposing to attach and detach this dining car at Sawai Madhopur instead of at Kotah in order to obviate this difficulty ?

Minister of State for Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) to (c). A statement is attached.

Statement

At present, a slip coach is attached from Kota to Dehra Dun for clearance of passengers between these two stations, in place of the dining car which is detached at Kota. As the train is run with the maximum permissible load on the Bombay Central-Mathura section, it will not be feasible to extend the run of the dining car

from Kota. Further, as the dining car will have to be marshalled in the centre of the rake, additional shunting time will be required if the dining car were to be attached/detached at Sawai Madhopur, which will result in slowing down of the train. In the circumstances, it is not feasible to extend the dining car service on the Dehra Dun Express from Kota to Sawai Madhopur. Passengers desiring to have an early dinner can board the dining car at Darah Rly. station and get down at Kota Jn. after finishing their dinner. Arrangements exist at Kota and Sawai Madhopur stations for serving dinner to passengers in the Down direction who prefer a later dinner. These establishments cater to the requirements of passenger for morning tea and breakfast also in the up direction.

No complaints have been received from passengers in this regard, but a suggestion received from Shri Onkar Lal Berwa, M.P. for extension of the dining car service from Kota to Sawai Madhopur or Gangapur City, was examined but could not be accepted in view of the position explained above.

प्रशुल्क आयोग

2847. श्री राम सहाय पाण्डेय : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रशुल्क आयोग तथा वायदा बाजार आयोग की कार्य प्रणाली की जांच करने के लिये सरकार ने दो समितियाँ बनाई हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इन समितियों के सदस्य तथा निर्देश-पद क्या हैं; और

(ग) ये समितियां सरकार को अपने प्रतिवेदन कब तक दे देंगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां ।

(ख) सम्बद्ध संकल्पों की प्रतियां संलग्न हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये एल० टी० संख्या 5909/66 ।]**

(ग) छः महीने के अन्तर ।

मध्य प्रदेश में कागज बनाने का कारखाना

2848. श्री लखमू भवानी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बस्तर जिले (मध्य प्रदेश) में निकट भविष्य में एक कागज मिल खोलने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) और (ख) :दण्डकारण्य क्षेत्र में जो मध्य प्रदेश के जिले बस्तर और उड़ीसा के जिला कोरापुर से मिल कर बना है, लुगदी/कागज के कारखाने स्थापित करने के कुछ प्रस्तावों पर विचार किया जा रहा है। मामले की छानबीन की जा रही है और इसके बारे में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नही किया गया है।

पश्चिमी रेलवे में भ्रष्टाचार निरोध अधिकारी

2849. श्री जसवन्त मेहता : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संथानम समिति की सिफारिशों के विपरित पश्चिम रेलवे के भ्रष्टाचार निरोध सब-इंस्पेक्टरों को वापस उनके मूल विभागों को भेज दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो संथानम समिति के प्रतिवेदन में की गई इस सिफारिश कि भ्रष्टाचार निरोध अधिकारियों को उनके मूल विभागों को वापस न भेजा जाय, के विपरीत इस प्रकार के आदेश जारी करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

जमालपुर रेलवे वर्कशाप में प्रशिक्षणार्थी

2850. **श्री मधु लिमये** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंस्टीट्यूशन आफ मेकेनिकल इंजिनियर्स परीक्षा (लन्दन) के लिये प्रशिक्षणार्थियों को जमालपुर (पूर्व रेलवे) तथा अन्य वर्कशापों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को विदेशी मुद्रा में 200 रुपये देने पड़ते हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि संघ लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को मान्यता नहीं देता है किन्तु इन्स्टीट्यूशन आफ इंजीनियर्स (भारत) की, तत्समान परीक्षा को जिसे वह इंजीनियरी डिग्री के बराबर समझती है, मान्यता देता है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या विदेशी मुद्रा को बचाने की दृष्टि से सरकार का विचार प्रशिक्षणार्थियों को इस परीक्षा में बैठने से रोकने का है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह): (क) इंडियन रेलवे स्कूल आफ मेकेनिकल एण्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जमालपुर में विशेष वर्ग के अप्रेंटिसों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। उन्हें ए० एम० आई० एम० ई० (लन्दन) या ए० एम० आई० ई० (भारत) इन दोनों में से कोई एक परीक्षा पास करनी होती है। जो अप्रेंटिस ए० एम० आई० एम० ई० (लन्दन) परीक्षा में बठते हैं उन्हें चार्टर्ड बैंक ने 293 रु० 50 पै० फीस जमा करनी होती है। जमालपुर और अन्य कारखानों में प्रशिक्षण प्राप्त अन्य अप्रेंटिसों को कोई बाहरी परीक्षा पास नहीं करनी पड़ती।

(ख) लन्दन और भारत की संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली इन दोनों परीक्षाओं को संघ लोक सेवा आयोग की मान्यता प्राप्त है।

(ग) सवाल नहीं उठता ।

केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये मकान

2851. **श्री प० कुन्हन** : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1963–64, 1964–65 और 1965–66 में केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितने मकान बनाये गये ; और

(ख) इस कार्य के लिये कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई और कितनी व्यय की गई ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) सूचना नीचे दी गई है :—

	1963–64	1964–65	1965–66
अनुसूचित जातियां . . .	400	237	230 (प्रस्तावित)
अनुसूचित आदिम जातियां .	32	75	80 (प्रस्तावित)

(ख) सूचना नीचे दी गई है :—

	1963–64	1964–65	1965–66*
अनुसूचित जातियां		(रुपये लाखों में)	
की गई व्यवस्था .	4.00	4.50	1.80
किया गया खर्च .	4.09	4.32	2.00
अनुसूचित आदिम जातियां			
की गई व्यवस्था . .	1.50	1.50	1.10
किया गया खर्च . .	1.35	1.40	1.10

*वर्ष 1965–66 अभी समाप्त नही हुआ है और इसलिये अनुमानित आंकड़े दिये गये है।

केरल में अनसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिम जातियों के लिये सहकारी समितियां

2852. श्री प० कुन्हन : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितनी सहकारी समितियां खोली गई ; और

(ख) केरल में जिलावार कुल कितनी समितियां कार्य कर रही है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है :—

(क) तृतीय पंचवर्षीय आयोजना की कालावधि में अनुसूचित जातियों के लिये 50 सहकारी संस्थायें तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 20 सहकारी संस्थायें खोलने का प्रस्ताव था इस सम्बन्ध में प्रगति नीचे दी गई है :—

(1) अनुसूचित जातियों के लिये प्रस्तावित 50 संस्थाओं में से 1963–64 के अन्त तक 20 संस्थायें खोली गई थी तथा 1964–65 में 3 संस्थायें खोली जानी थी। वास्तविक स्थिति केरल सरकार से पूछी जायेगी।

(2) अनुसूचित आदिम जातियों के लिये 1964–65 में केवल एक जंगल मजदूर सहकारी संस्था खोली गई थी।

(ख) इस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिये सहकारी संस्थाओं की कुल संख्या 1964–65 के अन्त में 306 थी। पर, अनुसूचित आदिम जातियों के बारे में इस प्रकार की सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है। जिलावार सूचना भी उपलब्ध नही है। यह सब सूचना एकत्रित की जायेगी तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को औद्योगिक ऋण

2853. श्री प० कुन्हन : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1963–64, 1964–65 और 1965–66 में केरल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों को औद्योगिक ऋणों के रुप में कुल कितनी रकम दी गई ;

(ख) क्या इन ऋणों के दिये जाने के परिणामस्वरूप केरल में कोई उद्योग चालू हुए है ;

(ग) यदि हां, तो उन उद्योगों के नाम क्या है ; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों को दिये गये इन ऋणों के उपयोग पर नियन्त्रण रखने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्र शेखर) : (क) से (घ) : अपेक्षित सूचना केरल राज्य से मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

इंडिया इलैक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड, कलकत्ता

2854. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री दाजी :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों की अवधि में इंडिया इलेक्ट्रिक वर्क्स लिमिटेड का कार्य बहुत ही असन्तोषजनक रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने का है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) से (ग) : इसमें संदेह नहीं कि यह सच है कि कम्पनी सरकारी प्रबंध के अधीन रहते हुए पिछले तीन वर्षों में अच्छे परिणाम नहीं दिखा सकी है। इसका प्रमुख कारण यह रहा है कि इस कम्पनी की कार्यगति और वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि सरकार को विवश होकर इसे अपने नियंत्रण में लेना पड़ा था। कम्पनी को न केवल चल सकनेयोग्य ही बनाने वरन यथोचित समय के अन्दर उसकी वित्तीय स्थिति में सुधार करने की दृष्टि से विभिन्न उपाय करने के बारे में अब विचार किया जा रहा है।

Loading of goods in a wagon

2855. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is proposed to allow more time to a trader to load his goods in a goods wagon as the time allowed at present is very short ;

(b) if so, when; and

(c) if the reply to part (a) be in the negative, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) Free time at present allowed for loading of goods in wagons is considered adequate and any relaxation will ultimately lead to less availability of wagons for loading.

Platforms at Railway Stations

2856. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Railways** pleased to state :

(a) whether Government propose to construct platforms on both the sides of such stations where trains cross each other and where the platforms exist on one side only ;

(b) whether Government also propose to provide permanent level crossing gates, where hundreds of motor trucks, and vehicles daily cross the Railway track; and

(c) if so, when

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Normally, at all stations, where passenger trains are scheduled to cross and stop regularly, separate platforms are provided for the crossing trains except on unimportant small stations, where traffic is small. On such stations too, if the platform is of high level, the second train is ordinarily dealt with on the platform line.

(b) It is neither feasible nor practicable to provide gates at every level crossing; indeed the Railways in other advanced countries do not undertake such a responsibility either.

The need for provision of gates at important and busy level crossings is determined jointly by the Railway and the State/Road Authority based on a joint consideration of the nature of the road and volume of both road and rail traffic etc. The cost of such work is normally required to be shared by the State/Road Authority with the Railways.

(c) As far as (a) is concerned, platforms at crossing stations, where necessary, are being provided on a programmed basis, subject to availability of funds. As far as (b) is concerned about 1200 unmanned level crossings on the Indian Railways have already been programmed, in the first instance, for provision of gates and gate-keepers.

Ticket Examiners

2857. Shri Rameshwaranand : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware that certain Ticket Examiners at Panipat, Jind, Narwana and Kaithal Stations do not issue receipts in lieu of money charged from passengers and whether any such complaint has been received in the Ministry ;

(b) whether any complaints against corruption on a large scale being indulged by many Ticket Examiners on this section have been received ; and

(c) if so, the action being taken to check this type of corruption ?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh) : (a) Only one such complaint relating to Jind-Panipat Section was received.

(b) No.

(c) The complaint mentioned at (a) above is being enquired into.

आयात निर्यात व्यापार नियंत्रण नियम

2858. श्रीमती मैमूना सुल्तान : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 तथा 1965-66 में अब तक आयात तथा निर्यात व्यापार नियन्त्रण विनियमों के उल्लंघन के कितने मामलों की जांच की गई है; मामलों का पता लगाया गया है;

(ख) इन से अनुमानत: कितनी विदेशी मुद्रा की हानि हुई , और ;

(ग) कितनी विदेशी मुद्रा गैर-लाइसेंस प्राप्त मदों पर खर्च की गई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) 1964-65 में तथा 1965-66 में अब तक ऐसे मामलों की संख्या क्रमश: 70 तथा 43 है।

(ख) उपर्युक्त (क) भाग के उत्तर में उल्लिखित 1965-66 के 43 मामलों में से 25 में गत निर्यात की अपेक्षा आय के रूप में 83,91, 992,78 रुपये की विदेशी मुद्रा की हानि हुई ;

(ग) गैर-लाइसेंस प्राप्त मदों पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा का कोई मामला नहीं है।

पूर्वोत्तर रेलवे में स्टैनोग्राफरों का चयन

2859. श्री विश्राम प्रसाद : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई-अगस्त, 1965 में पूर्वोत्तर रेलवे में 210-425 रुपये के वेतनक्रम (ए० एस०) में स्टेनोग्राफर के पदों के लिये उम्मीदवारों का चयन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितने पद रिक्त थे; और

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनसूचित आदिमजातियों के कितने उम्मीदवार लिये गये?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी हां।

(ख) 107 ।

(ग) कोई नहीं ।

बाल्टी निर्माण उद्योग

2860. श्री दशरथ देव : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जस्ता न मिलने के कारण देश में बाल्टी निर्माण उद्योग को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो सम्बन्धित निर्माण उद्योगों को पर्याप्त मात्रा में जस्ता उपलब्ध कराने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : (क) और (ख) : बाल्टी बनाने वाले उद्योग को जस्ता या इस्पात की जस्ती चादरें न मिलने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चूंकि जस्ता एक कम उपलब्ध होने वाला ऐसा औद्योगिक पदार्थ है, जिसका आयात करना पड़ता है। अतः आपातकालीन स्थिति और इसको सुरक्षित रखने की आवश्यकता को देखते हुए यह निश्चय किया गया था कि बाल्टी उद्योग को बाल्टियों पर जस्ता चढ़ाने के लिए जस्ते का नियतन नहीं किया जायेगा। उत्पादकों को इसके स्थान पर काम में लाये जा सकने वाले उपयुक्त देशी पदार्थों जैसे एल्युमिनियम चढ़ाकर या रोगन आदि कर के प्रयोग करने का भी परामर्श दिया गया था। फिर भी इस उद्योग की तात्कालिक कठिनाइयों को दूर करने के लिये विशेषकर पहले दी गई इस्पात की काली चादरों से बनी बाल्टियों का जो भारी स्टाक जमा हो गया था उसे देखते हुए उद्योग को छः महीने के इस्तेमाल के लिए पिछले वर्ष के नियतन का 50 प्रतिशत जस्ते का नियतन करने का निश्चय किया गया है।

दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों पर छुट्टी रिजर्व कर्मचारी

2861. श्री बूटा सिंह:
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली तथा नई दिल्ली स्टेशनों के पार्सल कार्यालयों में तीसरी तथा चौथी श्रणी के छुट्टी रिजर्व कर्मचारियों की निर्धारित प्रतिशतता के अनुसार व्यवस्था नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) उपरोक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने के लिये रेलवे प्रशासन क्या कार्यवाही करेगा ?

रेलवे मंत्रालयों में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) से (ग): सूचना मंगायी जा रही और सभा-पटल पर रख दी जायगी।

क्षतिपूर्ति दावा विभाग के क्लर्क

2862. **श्री बूटा सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :
श्री प० ह० भील :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली, जोधपुर और बीकानेर में क्षतिपूर्ति दावा शाखाओं के क्लर्कों की समेकित वरिष्ठता निर्धारित की जा रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने के लिये क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) सवाल नहीं उठता।

भारतीय रेलवे के लेखा विभाग के प्रथम श्रेणी के क्लर्क

2863. **श्री बूटा सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री भारतीय रेलवे लेखा विभाग के वरिष्ठ क्लर्कों को उन से कनिष्ठ क्लर्कों से कम वेतन मिलने के बारे में 16 दिसम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2272 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के प्रथम श्रेणी के क्लर्कों के डिवीजन-वार तथा शाखा-वार कितने मामलों में यह भेदभाव विद्यमान है ;

(ख) इस भेदभाव को समाप्त करने का क्या परिणाम निकला है; और

(ग) क्या समूची बकाया राशि का भुगतान उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार लेखापालों तथा अनुबन्ध तीन-क परीक्षा में उत्तीर्ण व्यक्तियों के मामले में किया गया था ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) इन मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

	यूनिट का नाम	मामलों की सं०		यूनिट का नाम	मामलों की सं०
1	डिवीज़नल लेखा कार्यालय, दिल्ली	14	3	डिवीज़नल लेखा कार्यालय, लखनऊ।	1
2	डिवीज़नल लेखा कार्यालय, फीरोज़पुर।	5	4	डिवीज़नल लेखा कार्यालय, बीकानेर।	4

	यूनिट का नाम	मामलों की सं०		यूनिट का नाम	मामलों की सं०
5	डिवीज़नल लेखा कार्यालय, मुरादाबाद ।	3	8	यातायात लेखा कार्यालय, जोधपुर ।	3
6	कारखाना लेखा कार्यालय, आलमबाग, लखनऊ ।	1	9	यातायात लेखा कार्यालय, जालन्धर ।	26
7	कारखाना लेखा कार्यालय, बीकानेर ।	3	10	यातायात लेखा कार्यालय, दिल्ली किशनगंज ।	22
			11	सामान्य लेखा शाखा प्रधान कार्यालय ।	22
				जोड़	104

(ख) इस असंगति को दूर करने के लिये आदेश जारी कर दिये गये हैं।

(ग) जिस तारीख से कनिष्ठ कर्मचारी की पदोन्नति की गयी उसी तारीख से वरिष्ठ कर्मचारी का वतन पुनः निर्धारित किया जायेगा। लेकिन वास्तविक लाभ 2-2-66 से दिया जायगा जैसा कि सिविल विभागों में किया गया है।

उत्तर रेलवे लेखा विभाग के प्रथम श्रेणी के क्लर्क

2864. **श्री बूटा सिंह :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गुलशन :

क्या **रेलवे** मंत्री उत्तर रेलवे लेखा विभाग के प्रथम श्रेणी के क्लर्कों के बारे में 5 नवम्बर 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 208 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तीन क्लर्कों के मामले में वर्तमान नियमों के अन्तर्गत उनकी वरिष्ठता वर्ष 1957 में निर्धारित की गई थी ;

(ख) क्या उनकी वरिष्ठता 1961 में नीचे कर दी गई थी ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी कठीनाई को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) इसे कठिनाई नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये पद पूर्वव्याप्ति सहित 1-4-1956 से कायम किये गये थे और जगहें खाली होने से पहले जिन व्यक्तियों ने अर्हता प्राप्त कर ली थी, स्थायीकरण और वरिष्ठता के मामले में उन्हें उन तीन कर्मचारियों के मुकाबले तरजीह देनी पड़ी, जिन्होंने 1-4-1956 के बाद अर्हता प्राप्त की। यह कार्रवाई भूतपूर्व सी० आर० ए० के 4-8-1931 के पत्र सं० 93 सी०आर०/ए०/ई० 30 में उल्लिखित सामान्य सिद्धान्त के अनुरूप है, अर्थात जगह खाली होने की तारीख को जो वरिष्ठतम पात्र व्यक्ति हो, उसे उस जगह पर नियुक्त किया जाय ।

दिल्ली में नियुक्त उत्तर रेलवे के सहायक लेखा अधिकारी

2865. **श्री बूटा सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री 5 नवम्बर, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 225 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के कुल कितने सहायक लेखा-अधिकारी पिछले (एक) पन्द्रह वर्षों, (दो) दस वर्षों और (तीन) पांच वर्षों से दिल्ली में काम कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार की यह नीति है कि इन अधिकारियों को इतने अधिक समय तक किसी विशेष स्थान पर लगातार नही रखना चाहिये; और

(ग) यदि हां, तो उपरोक्त अधिकारियों की संख्या को कम करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० राम सुभग सिंह) : (क) (1) कोई नहीं ।

(2) कोई नहीं ।

(3) पांच ।

(ख) और (ग): सरकार की नीति यह है कि सामान्यतया अधिकारियों को अनावश्यक रूप से लम्बे समय तक एक ही स्थान पर न रखा जाये । प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर स्थानान्तरण किया जाता है ।

उत्तर रेलवे के लोहियांखास-फीरोजपुर सेक्शन पर अतिरिक्त रेलगाड़ी का चलाया जाना

2866. **श्री गुलशन :**
श्री बूटा सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के लोहियांखास-फीरोजपुर सेक्शन पर एक अतिरिक्त रेल गाड़ी चलाने के लिये लोगों से कोई अभ्यावेदन मिले है ;

(ख) यदि हां, तो अतिरिक्त रेल गाड़ी चलाने के बारे में क्या कार्यवाही की गई ;

(ग) क्या समय में परिवर्तन करने और लोहियांखास-फीरोजपुर सेक्शन के कुछ स्टेशनों पर उक्त गाड़ी रोकने के बारे में भी कोई प्रार्थना-पत्र मिला है ; और

(घ) यदि हा, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) सवाल नहीं उठता ।

(ग) और (घ) : नकोदर-लोहियांखास-फिरोजपुर सवारी गाड़ी को फिरोजपुर छावनी स्टेशन पर और पहले पहुंचाने के उद्देश्य से, उसके निर्धारित समय में परिवर्तन करने की प्रार्थना पर अमल नहीं किया जा सका, क्योंकि इसमें परिचालन सम्बन्धी कठिनाइयां है । 3 जे एफ और 6 जे एफ गाड़ियों को महालम पर, 6 जे एफ को तल्लीसदा साहु पर और 2 एन एल एफ को मल्लावाला खास स्टेशन पर भी ठहराने का अनुरोध मान लिया गया है ।

उत्तर रेलवे सेन्ट्रल अस्पताल

2867. **श्री गुलशन :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री ओंकार सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1962 से 28 फरवरी, 1966 तक उत्तर रेलवे सेन्ट्रल अस्पताल (मेडिकल साइड) में कितने रोगियों की मृत्यु हुई ;

(ख) उनमें से (एक) राजपत्रित (दो) तृतीय श्रेणी और (तीन) चतुर्थ क्षेणी के कितने व्यक्ति थे ;

(ग) क्या यह सच है कि मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट ने हिदायतें जारी की हैं कि कोई डाक्टर उसकी अनुमति के बिना रोगियों को कीमती औषधि नहीं दे सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 260 ।

(ख)	(i) परिवारों के सदस्यों सहित . . .	3
	(ii) परिवारों के सदस्यों सहित . . .	72
	(iii) परिवारों के सदस्यों सहित . . .	185

(ग) और (घ) : बहिरंग रोगी विभाग में तेज दवाओं के इस्तेमाल को नियंत्रित करने के लिए प्रशासनिक अनुदेश हैं, ताकि ऐसी दवाएं अति मात्रा में तजवीज न की जाये और पर्याप्त जांच या विशेषज्ञों की सलाह के बिना इन दवाओं के खाने से जो अप्रिय घटनाएं होती हैं, उनकी रोकथाम हो सके । किसी भी वाजिब मामले में, रोग को ठीक करने या रोगी की तकलीफ को कम करने के लिये अपेक्षित दवाएं देने से कभी इंकार नहीं किया जाता ।

ईरान के साथ औद्योगिक सहयोग

2868. **श्री हिम्मत सिंहका :**
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत और इरान की सरकारें दोनों देशों के बीच और अधिक आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिये मार्गोपायों का पता लगा रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या कुछ विशेषज्ञ ईरान भेजे जा रहे हैं अथवा ईरान से कोई दल भारत आने वाला है ; और

(घ) क्या इस बारे में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, हां । ईरान में ईरानी उद्यमियों के सहयोग से भारतीय उद्योगपतियों द्वारा अर्द्ध-निर्मित अलौह वस्तुएं, बाइसिकलें तथा ट्रेलर बनाने के उद्योगों के अतिरिक्त नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी तथा एक अमरीकी फर्म के सहयोग से सरकार द्वारा मद्रास में तल साफ करने का एक कारखाना स्थापित किया जा रहा है ।

(ग) इस समय कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

पोलैंड से व्यापारिक शिष्टमंडल

2869. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पोलैण्ड का एक व्यापारिक शिष्टमण्डल भारत आया था;

(ख) क्या उन के साथ कोई करार किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) जी, हां । वह अब भी यहां है ।

(ख) जी, नहीं । वार्ता जारी है और शीघ्र ही समाप्त हो जायगी ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में खादी का उत्पादन

2871. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **वाणिज्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1965 और 1966 के दौरान अब तक पृथक-पृथक कुल कितनी खादी का उत्पादन हुआ; और

(ख) इस सम्बन्ध में कुल कितना खर्च किया गया और उक्त अवधि में उत्पादित खादी का अनुमानित मूल्य कितना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क)

1964–65	16.06 लाख वर्ग मीटर
1965–66	1.96 लाख वर्ग मीटर (अभी तक प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर)

(ख) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन की मज़ पर यथासमय रख दी जायगी ।

महाराष्ट्र को जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों का दिया जाना

2872. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में जस्ता चढ़ी नालीदार चादरों के बारे में महाराष्ट्र की कुल मांग कितनी थी; और

(ख) उक्त अवधि में उस राज्य को कितनी मात्रा निर्धारित की गई और वास्तव में कितनी दी गई ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) 23,865 टन जसा कि महाराष्ट्र की सरकार बताया है ।

(ख) 1965–66 में स्टेटस 'पूल्ड कोटे' में से किसी भी राज्य को नालीदार जस्ती चादरों का कोई सामान्य आवंटन नहीं किया गया। 1965–66 में (अप्रल 1965 से लेकर अक्तूबर 1965 तक) महाराष्ट्र को देश के उत्पादन और आयात में से कुल 7,361 टन नालीदार जस्ती चादर दी गई जिसमें 605 टन नालीदार काली चादर भी शामिल है। बाद के प्रेषण की सूचना तत्काल उपलब्ध नही है।

महाराष्ट्र के लिये स्टैनलैस स्टील

2873. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **लोहा** और **इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में महाराष्ट्र की स्टेनलैस स्टील के लिये मांग कितनी थी; और

(ख) उक्त अवधि में उस राज्य को वास्तव में कितना स्टेनलैस स्टील दिया गया ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) उद्योग निदेशक, बम्बई, के अनुसार 1965–66 के लिए महाराष्ट्र की स्टेनलैस स्टील की मांग 1846 टन है जिसका मूल्य 110.22 लाख रुपये के लगभग है परन्तु वास्तविक मांग काफी कम होने की संभावना है।

(ख) सूचना तत्काल उपलब्ध नही है।

महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसान

2874. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **समाज-कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1965–66 में महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के किसानों के कल्याण के लिये कुल कितनी धनराशी निर्धत की गई थी तथा उसमें से इस कार्य पर वस्तुतः कितनी राशि खर्च हुई; और

(ख) 1966–67 में उक्त कार्य के लिये महाराष्ट्र को कितनी धनराशी देने का विचार है ?

समाज-कल्याण मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती चन्द्रशेखर) : (क) और (ख) : यह सूचना महाराष्ट्र सरकारसे मांगी गई है तथा प्राप्त होते ही यह सभा पटल पर रख दी जायेगी।

नई रेल गाड़ियां

2875. श्री दलजीत सिंह : **श्री राम सहाय पाण्डेय :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री यशपाल सिंह :**

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी 1 अप्रैल, से सभी रेलवे में 53 नई रेलगाड़ियां बढ़ायी जा रही

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भीड़भाड़ को कम करने की दृष्टि से पुरानी मांग को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से नंगल बांध तक क नई रेलगाड़ी चलाने अथवा मौजूदा एक्सप्रस गाड़ी को सीधे दिल्ली तक बढ़ाने के बारे में विचार किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) और (ख): जी हां, 1–4–1966 से जो नयी गाड़ियां चलायी जायेंगी या जिनका चालन-क्षेत्र बढ़ाया जायेगा उनका ब्यौरा साथ के बयान में दिया गया है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये एल० टी० 5910/66]**

(ग) जी हां ।

(घ) दिल्ली और नांगल डैम के बीच इस समय जो सीधा यातायात होता है वह इतना नहीं है कि इन दो स्थानों की बीच एक पूरी गाड़ी चलाने का औचित्य हो । इसके अलावा, दिल्ली-अम्बाला खण्ड पर अपेक्षित लाइन क्षमता और दिल्ली/नयी दिल्ली स्टेशन पर टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण इस तरह की गाड़ी चलाने में रुकावट है ।

कोयले से लदे बाक्स वैगनों का तोला जाना

2876. श्री स० चं० सामन्त :

श्री सुबोध हंसदा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 100 टन के विभिन्न कांटों पर तथा विभिन्न स्थितियों में, अर्थात् तुलाई के समय अचल तथा चल स्थिति में, तोले गये कोयले से लदे बाक्स-वैगनों की तुलाई के बारे में पाई गई त्रुटियों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस की जांच करने तथा सुधार के बारे में सुझाव देने के लिये कोई विशेषज्ञ नियुक्त किया है ?

रेलवे मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) 100 मीटरिक टन की विभिन्न तुला-चौकियों पर तोले गये कोयले से लदे बाक्स माल-डिब्बों के तोल में असंगति के बारे में सरकार को कोई रिपोर्ट नहीं मिली है । चलते हुए माल-डिब्बे और खड़े माल डिब्बे को तोलने पर उनके तोल में थोड़ा अन्तर हो सकता है और यह अपरिहार्य है, क्योंकि जब यातायात बहुत अधिक होता है, तो हर माल-डिब्बे को खड़ा करके तोलना व्यावहारिक नहीं होता ।

(ख) जी नहीं ।

महाराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने

2877. श्री द्वारका दास मंत्री : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिए 1965-66 में महाराष्ट्र राज्य को कोई लाइसेंस दिय गय ह; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मैसूर राज्य में उद्योगों का विकास

2879. श्री लिंग रेड्डी : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में बंगलौर में केन्द्रीय सरकार ने सरकारी क्षत्र में कितने उद्योग चालू किये हैं और इनमें से प्रत्येक उद्योग में कितनी पूंजी लगाई गई है;

(ख) क्या मसूर राज्य सरकार ने इन उद्योगों में कोई पूंजी लगाई है और यदि हां, तो कितनी;

(ग) क्या कोई लाभ हुआ है और यदि हां, तो उद्योग-वार कितना लाभ हुआ है और उसमें से कितनी राशि राज्य सरकार को दी गई है; और

(घ) क्या इन उद्योगों का विस्तार करने का कोई कार्यक्रम है और क्या इनमें बनाये गये उत्पादों का निर्यात किया जाता है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) से (घ) : सम्बंधित जानकारी इकट्ठी की जा रही है तथा एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया जाएगा ।

मैसूर में रेशम उद्योग का विकास

2880. **श्री लिंग रेड्डी** : क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीसरी पंचवर्षीय योजना में मैसूर में रेशम उद्योग के विकास के लिये कितनी राशि नियत की गई थी;

(ख) नियत की गई इस राशि में से रेशम उत्पादन सम्बन्धी विभिन्न योजनाओं के अधीन अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और यदि खर्च कम हुआ है तो इसके कारण क्या हैं;

(ग) विभिन्न मदों के अन्तर्गत तीसरी योजना में कितनी योजनाएं कार्यान्वित की गई हैं; और

(घ) रेशम उद्योग में कितने व्यक्ति लगे हुए हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी) : (क) 125 लाख रुपये ।

(ख) योजनावार खर्च उपलब्ध नहीं है । हां, तीसरी योजना अवधि के अन्त तक 93.66 लाख रु० की राशि का उपयोग किये जाने की आशा है । खर्च कम होने के निम्नलिखित कारण हैं :—

(1) राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निर्माण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विलम्ब, तथा

(2) तीसरी योजना के दूसरे वर्ष में संकटकाल का घोषित किया जाना और उसके परिणामस्वरुप राज्य सरकार द्वारा रेशम उद्योग विकास कार्य में कटौती करना ।

(ग) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 5911/66]**

(घ) लगभग 10 लाख व्यक्ति ।

दूसरा केबल कारखाना

2881. **श्री अ० सिं० सहगल** : **श्री रणंजय सिंह** :
श्री राम सहाय पाण्डेय : **श्री वाडिबा** :
श्री रा० स० तिवारी : **श्री लखमू भवानी** :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र में दूसरा केबल कारखाना स्थापित करने के बारे में हाल में कोई तकनीकी अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस अध्ययन के परिणामस्वरूप कारखाने के स्थान के बारे में कोई सिफारिश की गई है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सिफारिश की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : सिफारिशें विचाराधीन हैं ।

पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार

2882. श्री हिम्मत सिंहका :
श्री रामेश्वर टांटिया :

क्या **वाणिज्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डो-जर्मन चैम्बर आफ कामर्स ने इस बात पर निराशा व्यक्त की है कि पश्चिम जर्मनी में भारत से आयात किये जाने वाले माल की काफी मात्रा इंग्लैंड से होकर आती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्होंने यह कहा है कि 1964 में 5 करोड़ 90 लाख रुपये का ऐसा आयात व्यापार हुआ ; और

(ग) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में उन्होंने भारत सरकार से जांच करने का अनुरोध किया है ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) तथा (ख) : जी, हां । इन्डो-जर्मन चैम्बर आफ कामर्स ने अपने सूचनापूर्ण परिपत्र दिनांक 16 फरवरी, 1966 में ब्रिटेन से होकर पश्चिमी जर्मनी को होने वाले भारतीय माल के अप्रत्यक्ष निर्यात का उल्लेख किया है ।

(ग) जी, नहीं ।

सरकारी क्षेत्र के कारखानों में एकत्रित लोहे और इस्पात का निर्यात

2883. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री हिम्मत सिंहका :

क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों में बिना बिके हुए एकत्रित कुछ श्रेणियों के लोहे और इस्पात के निर्यात करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका और विशेष रूप से उन देशों का जिनको इसका निर्यात किया जायेगा, ब्यौरा क्या है और अनुमानतः इसका निर्यात कब तक हो जायेगा ?

लोहा और इस्पात मंत्री (श्री त्रि० ना० सिंह) : (क) और (ख) : 1964 और 1965 में सरकार विभिन्न प्रकार के इस्पात का निर्यात करने की अनुमति देती रही है । निर्यात दो कारणों से सम्भव हो सका है अंशतः इसलिए कि कुछ प्रकार का इस्पात हमारी आवश्यकता से अधिक है और अंशतः इसलिए कि कुछ आन्तरिक खपत का परित्याग किया जाता है । यही नीति 1966-67 के लिए भी अपनाई गई है ।

इस्पात का निर्यात अफगानिस्तान, बर्मा, कम्बोडिया, लंका, हांगकांग, इन्डोनेशिया, ईरान, ईराक, इटली, जार्डन, लीबिया, कुवैत, मलेशिया, मारीशस, पाकिस्तान, रोडेशिया, सिंगापुर, सूडान, थाईलैण्ड, संयुक्त अरब गणराज्य, यू० के०, विएतनाम (दक्षिणी), पश्चिमी जर्मनी और

कुछ पड़ौसी देशों जैसे नेपाल, सिक्किम, भूटान को किया गया है। जैसे जैसे विदेशों में आयातकर्ताओं के आर्डर बुक किये जाते हैं वैसे वैसे निर्यात किया जाता है।

निकल ऐनोड का आयात

2884. **श्री रा० बरुआ** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि "इलेक्ट्रोप्लेटिंग" के लिए आवश्यक 'निकल ऐनोड' के आयात पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या लघु-उद्योगों की न्यूनतम आवश्यकताएं समान रूप से पूरी की जायेंगी और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री संजीवैया) : (क) जी, हां। निकल एनोड का देश में उत्पादन शुरू हो जाने के कारण इसके आयात की अनुमति नहीं है।

(ख) प्राकृत निकिल के आयात के लिए लघु उद्योग क्षेत्र को समय-समय पर किए जाने वाले विदेशी मुद्रा के निर्धारण की अधिकतम सीमा के अन्दर खनिज तथा धातु निगम द्वारा प्राकृत निकिल का आयात किया जाता है। लघु उद्योग क्षेत्र के लिए कुल कितनी निकिल का परिमाण उपलब्ध होने की आशा होती है उसे समय-समय पर यथा सम्भव समान ढंग से राज्यों में बांट दिया जाता है। राज्य उद्योग निदेशकों से कहा गया है कि वे लघु उद्योग क्षेत्र के उन एककों की इकट्ठी जरूरतों का पता लगाये जिन्हें निकिल एनोड की आवश्यकता होती है। यह भी कहा गया है कि वे निकिल एनोड का देश में उत्पादन करने वाले उत्पादकों को देने के वास्ते निकिल के परिमाण के लिए देश के उत्पादकों द्वारा निकिल को निकिल एनोड में परिवर्तित करने के लिए तथा उन्हें लघु उद्योगों को उचित मूल्य पर दिलाने का इन्तजाम करके खनिज तथा धातु निगम को भी परामर्श दें। विदेशी मुद्रा की कठिन स्थिति होने के कारण लघु उद्योग क्षेत्र को वर्ष 1965-66 के लिए निकिल के आयात के वास्ते विदेशी मुद्रा की अभी तक कोई भी अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

आसाम के मिजो पहाड़ी जिले में नवीनतम स्थिति

श्री हेम बरुआ (गौहाटी) : मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह उस संबंध में वक्तव्य दें :

"आसाम के मिज़ो पहाड़ी जिले में नवीनतम स्थिति"।

गृह-कार्य मंत्री (श्री नन्दा) : आसाम के मिजो पहाड़ी जिले की स्थिति में 3 मार्च से तेजी से सुधार हो रहा है। उस दिन गुमराह मिजो लोगों के सशस्त्र दलों से निपटने के लिये सेना इस क्षेत्र में गई थी। 3 मार्च से 6 मार्च के बीच सिलचर की ओर से बढ़ती हुई सेना की टुकड़ी ने सड़क से रुकावटों को दूर किया, चिनलुआंग और कोलोसिब पर कब्जा किया और ऐजल से सम्पर्क स्थापित किया। नगर में स्थिति तुरन्त ही सामान्य हो गई और सरकारी कार्यालयों में कार्य आरम्भ हो गया।

7 मार्च को मिजो नेशनल फ्रंट के उप-प्रधान श्री लालनुनभाविया ने मिजो पहाड़ी जिले के उप-आयुक्त को एक पत्र लिखा जिस में उसने सरकार के साथ शांतिवार्ता करने के लिये

[श्री नन्दा]

क उपआयुक्त ने इस सुझाव को बिल्कुल रद्द कर दिया और मांग की कि मिजो नेशनल फ्रंट के कार्यकर्त्ताओं को बिना शर्त 24 घण्टे के अन्दर आत्म-समर्पण कर देना चाहिये।

सेना ने 13 मार्च को लुंगलेह और अगले दिन चम्फाई पर कब्जा कर लिया और 17 मार्च को डिमागिरि से सभी सशस्त्र मिजो लोगों को निकाल बाहर किया। लगभग सभी महत्वपूर्ण चौकियों तथा नगरों से मिजो लोगों के सशस्त्र दलों का प्रभाव समाप्त कर दिया गया है और मिजो नैशनल फ्रंट के स्वयंसेवक या तो जंगलों में जा छिपे हैं या भाग कर पाकिस्तान अथवा बर्मा पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। विद्रोहियों का अभी सफाया किया जा रहा है।

6 मार्च, 1966 को भारत रक्षा नियमों के नियम 32 के अन्तर्गत मिजो नेशनल फ्रंट को एक गैर-कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया है। इस आदेश के अन्तर्गत यह उपलब्ध है कि जो भी व्यक्ति इस संगठन का किसी भी तरीके से समर्थन या सहायता करेगा उसपर मुकदमा चलाया जा सकेगा। उसे 7 वर्ष की कैद तथा जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। इस आदेश के अन्तर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे मिजो नैशनल फ्रंट द्वारा प्रभुत्व स्थानों तथा वहां पाई जाने वाली चल सम्पत्ति पर अधिसूचना द्वारा कब्जा कर सकती है और फ्रंट की निधि को भी जब्त कर सकती है।

किसी के मन में यह शंका नहीं रहनी चाहिये कि यद्यपि मिजो लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं तथा आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण इत्यादि को पूरा करने का प्रयत्न किया गया है और किया जायेगा तथापि ऐसे तत्वों को जोकि कानूनी तौर पर स्थापित सरकार को रोक में लेने की या पलटने की कोशिश करेंगे, पूरी शक्ति से कुचल दिया जायेगा।

श्री हेम बरुआ : मिजो नैशनल फ्रंट के कर्नल का वक्तव्य मैं पहले पढ़ता हूं और तब प्रश्न करूंगा। उसने हिन्दुस्तानी में कहा था :—

"तुम लोगों को कुछ तकलीफ हुआ क्या ? फिकिर मत करो। आज हम लोग आजाद हो गया। इधर पाकिस्तान हो गया। सेना लोग भी आया है हम लोगों को मदद करने के वास्ते। लेकिन अभी तुम लोग को नहीं मारेगा। किसी का खून लेकर आजादी मिले तो ऐसा आजादी हम लोगों को नहीं चाहिये। हिन्दुस्तान सरकार ने हम लोग को बहुत धोका दिया। जब उन लोग को आजादी मिला तब वायदा किया था कि हम दस साल के बाद तुम लोग को, मिजो लोगों को आजादी दे देगा। लेकिन आज 18 साल हो गया, आजादी नही मिला। इसी के वास्ते आज हम लोग जबर्दस्ती से आजादी छीन लिया।"

इस वक्तव्य को देखते हुए मैं पूछना चाहता हूं कि (क) चूंकि इस कर्नल के वक्तव्य से पता चलता है कि इस विद्रोह में पाकिस्तान और चीन का भी हाथ है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में जांच की गई है और (ख) चूंकि माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि मिजो पहाड़ियों की स्थिति सामान्य हो गई है इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार मिजो लोगों के साथ राजनीतिक समझौता करने के लिये बातचीत करने जा रही है ?

श्री नन्दा : मैं पहले भाग (ख) का उत्तर दूंगा। इस बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि अपने देश के लोगों के साथ कोई राजनीतिक समझौता नहीं हो सकता। जहां तक उनका चीन और पाकिस्तान के साथ सम्बन्ध है उस बारे में पहले उत्तर दिया जा चुका था कि मिजो लोग पाकिस्तान गये थे और वहां प्रशिक्षण पाने के बाद हथियारों सहित वापिस लौटे थे।

श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में कोई जांच की गई है कि उन लोगों का पाकिस्तान और चीन के साथ क्या सम्बन्ध है ?

श्री नन्दा : हम ऐसी सब बातों की जांच करते हैं।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : May I know whether Jawans of Indian Police were abducted by the Mizo rebels and sent to Pakistan, if so their number and also the number of those killed ?

श्री नन्दा : प्रश्न अपहृत अथवा लापता व्यक्तियों के बारे में है। हमारी ओर एक अधिकारी, पांच जे० सी० ओ० और 192 अन्य सैनिकों का पता नहीं है। ऐसा अनुमान है कि उनमें से अधिकांश लोक ऐसे स्थानों पर होंगे जहां संचार साधन नही है और वे आने का प्रयत्न कर रहे होंगे। मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि स्थिति क्या है।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : I wanted to know as to how many persons were kidnapped and sent to Pakistan.

श्री नन्दा : एक अथवा दो।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मिजो विद्रोहियों से पकड़े गय हथियारों से पता चलता है कि वे पाकिस्तान के बने हुए हैं। क्या यह भी सच है कि लालडेंगा तथा उस के अनुयायी पाकिस्तान में हैं ? क्या यह ताशकन्द में भारत और पाकिस्तान द्वारा की गई घोषणा का उल्लंघन नहीं है ? क्या सरकार ने इस बारे में रूस से पत्रव्यवहार किया है और यदि हां, तो उस सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है ?

श्री नन्दा : हमने इस बारे में पाकिस्तान को लिखा है। जहां तक हथियारों का सम्बन्ध है हमें पता नहीं लगा कि वे कहा के बने हुए हैं क्योंकि उन पर कुछ लिखा हुआ नही है।

श्री रविन्द्र वर्मा (तिरुवल्ला) : म जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने श्री लालडेंगा अथवा अन्य नेताओं द्वारा राष्ट्रपति सोकारनों को लिख हुए पत्र को रास्ते में रोक लिया था जिस म उन्होंने सहायता देने के लिय प्राथना की हुई थी और यदि हां, तो दूसरी ओर से क्या प्रोत्साहन देने का पता लगा है ?

श्री नन्दा : उस पत्र की एक प्रति हमारी सेना को गुप्त स्थान से मिली थी।

श्री हेम बरुआ : क्योंकि यह बहुत गम्भीर विषय है इस लिये हमें पता लगना चाहिये कि क्या सरकार ने इन्दोनेशिया के नेता से पत्रव्यवहार किया है अथवा नहीं ?

श्री नन्दा : यह एक दूसरा प्रश्न है।

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता–मध्य) : किसी अन्य दिन वैदेशिक-कार्य मंत्री ने कहा था कि माननीय सदस्य को यह मामला संसद में नहीं उठाना चाहिये था और अब गृह-कार्य मंत्री वक्तव्य दे रहे है। इससे प्रतीत होता है कि दोनों के बीच कोई समन्वय नहीं है।

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur) : According to the statement of the hon. Minister the situation has normalised there but in the papers it appears that Mizo people are active and are indulging in subversive activities. In this connection may I know the reaction of the Government thereto ?

Shri Nanda : I did not say that all the operations have been stopped there, hose people are still there and do same activity or the other.

Shri Ram Harakh Yadav (Azamgarh) **:** Had the Mizo Front people used Pakistani or Chinese made weapons in destroying the road there.

Shri Nanda : They had used dynamite which did not bear Pakistani stamp.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उन लोगों की शिकायतों पर विचार करेगी अथवा नहीं ?

श्री नन्दा : इस विद्रोह का शिकायतों से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये, भारत से अलग होने के लिये किया गया था । जहां तक शिकायतों का सम्बन्ध है हमने उन्हें दूर करने के लिये बहुत प्रयास किये हैं ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) **:** Have Government given thought to the suggestions such as settling the military and non-military personnel on the border areas etc. so that this problem may be solved permanently.

Shri Nanda : We have chalked out a plan for that.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) **:** In the statement it has been mentioned "the area has been cleared of Mizos". I want the hon. Home Minister to ponder over it. Distinction should have made between Mizo rebels and Mizo patriots.

Mr. Speaker : He has praised the patriot Mizos.

Dr. Ram Manohar Lohia : May I know the reasons why the patriots of India are generally found less strongly than the rebels ?

Mr. Speaker : I have seen the sentence referred to by the hon. Member ".....and 'Dimigiri' was cleared of.....not all Mizos, but— "..... armed Mizos".

Dr. Ram Manohar Lohia : The tape record should be consulted.

Mr. Speaker : The hon. Member is still going on even though I have read the sentence referred to by him.

Dr. Ram Manohar Lohia : All right, I leave it.

Mr. Speaker : The hon. Member can ask a question if he so likes.

Dr. Ram Manohar Lohia : Will the Government of India consider as to what are the reasons that patriots on the border areas are less powerful than the rebels?

Shri Nanda : It is a philosophical question. The fact is that the rebels come forward while the helpers remain behind.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : जिस प्रकार से माननीय गृह मंत्री जी ने स्थिति का सामना किया है उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं । हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वे मिजो लोग जो भाग निकले थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है अथवा वे अभी भी छिपे हुए हैं और यदि हां, तो सरकार उनके बारे में क्या कार्यवाही करने के लिये विचार कर रही है ?

दूसरे क्या सरकार इस बारे में भी विचार करेगी कि यह मामला क्यों उठा ?

श्री नन्दा : यह बहुत बड़ा प्रश्न है जिस के लिये वक्तव्य देना पड़ेगा । कुछ नेता छिपे हुए हैं । हम उन्हें पकड़ने के लिये पूरा प्रयत्न करेंगे । मिजो नैशनल फ्रंट ने मिजो संघ से सहयोग देने के लिये कहा था परन्तु उन्हों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में
RE : QUESTION OF PRIVILEGE

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, what has happended to my question of privilege ?

Mr. Speaker : Now you should not interfere in this way.

Shri Madhu Limaye : I want to say one sentence.

Mr. Speaker : You should not stand in this way unless I give consent.

Shri Madhu Limaye : An incompleted discussion was published. You had said.....

Mr. Speaker : I don't allow it.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Will you allow me, Sir ?

Mr. Speaker : No. Sir.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

चमडा तथा चमडा वस्तु उद्योग के लिये एक केन्द्रीय मजुरी बोर्ड की स्थापना के सम्बन्ध में सरकारी संकल्प

श्रम, रोजगार तथा पुनर्वास मंत्री (श्री जगजीवन राम) : मैं दिनांक 21 मार्च, 1966 के सरकारी संकल्प संख्या डब्ल्यू० बी०-19(2)/65 की एक प्रति, जिसके द्वारा चमड़ा तथा चमड़ा-वस्तु उद्योग के लिये एक केन्द्रीय मजरी बोर्ड स्थापित किया जायेगा, सभा पटल पर रखता हूं । **[पुस्तकालयमें रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5895/66 ।]**

हैवी इलेक्ट्रिकल (इंडिया) लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा प्रत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत आदेश ।

उद्योग मंत्री (श्री संजीवय्या) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1)(एक) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हैवी इलेक्ट्रिकल (इंडिया) लिमिटेड, भोपाल, के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[श्री संजीवय्या]

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा। **[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये सख्या एल० टी० 5896/66।]**

(2) अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत दिनांक 6 जनवरी, 1966 के गोवा, दमण और दीव सरकार के राजपत्र में प्रकाशित आदेश की एक प्रति, जिस के द्वारा गोवा दमण और दीव सीमेन्ट नियंत्रण आदेश, 1965 विखण्डित किया गया। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5897/66।]**

श्री स० मो० बनर्जी : श्रम तथा रोज़गार मंत्री ने जो सरकारी संकल्प सभा पटल पर रखा है उसमें कहा गया है कि चमड़ा तथा चमड़ा वस्तु उद्योग के लिये एक केन्द्रीय मजूरी बोर्ड स्थापित किया जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस में चमड़ा पकाने का व्यवसाय भी शामिल किया जायेगा।

श्री जगजीवन राम : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई सदस्य कार्य सूची के बारे में कुछ पूछना चाहे तो उन्हें लिखकर पूर्व सूचना देनी चाहिये ताकि मंत्री महोदय उस के लिये तैयार हो कर आयें।

खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : मैं खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 24 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग, बम्बई के, 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5859/66।]**

ऐसे मामले दिखाने वाला एक विवरण जिस में इंडिया सप्लाई मिशनों द्वारा निम्नतम टेण्डर स्वीकार नही किये गये।

सम्भरण, तकनीकी विकास तथा समाजकल्याण मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं ऐसे मामले दिखाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं जिनमें इंडिया सप्लाई मिशन, लन्दन, और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन द्वारा 31 दिसम्बर, 1965 को समाप्त हुई छमाही में निम्नतम टेन्डर स्वीकार नहीं किय गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई देखिये संख्या एल० टी० 5899/66।]**

कहवा काफी बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन; रबड बोर्ड का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखे का विवरण

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री शफी कुरेशी) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) कहवा (काफी) बोर्ड के 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5900/66।]**

(2) रबड़ बोर्ड के वर्ष 1964-65 के लेखपरीक्षा प्रतिवेदन तथा लेखे के विवरण की एक प्रति। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 5901/66।]**

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मुझे राज्य सभा से प्राप्त एक सन्देश की सूचना देनी है कि लोक-सभा द्वारा 18 मार्च, 1966 को पास किये गये विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य सभा को लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : अध्यक्ष महोदय, मैं चालू अधिवेशन में संसद् की दोनों सभाओं द्वारा पास किया गया भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक, 1966, जिस पर 15 फरवरी, 1966 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं।

प्राकलन समिति
ESTIMATE COMMITTEE

बाननेवाँ प्रतिवेदन

श्री अ० चं० गुह (बारसार) : मैं परिवहन मंत्रालय--मार्मगोआ पत्तन --के बारे में प्राक्कलन समिति का बाननेवा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

सभा के नेता (श्री सत्य नारायण सिंह) : आपकी अनुमति से, म यह बताना चाहता हूं कि 28 मार्च, 1966 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये इस सभा का सरकारी कार्य इस प्रकार होगा :—

(1) आज के सरकारी कार्यक्रम की किसी अवशिष्ट पद पर विचार।

(2) निम्नलिखित मंत्रालयों सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान --

विधि

संसद-कार्य

निर्माण, आवास और नगर विकास

पेट्रोलियम और रसायन

परिवहन और उड्डयन

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) : I want to say two things. Firstly I want Half-an-Hour Discussion in Connection with Lokur Committee's Report and secondly I want to say something regarding delimitation of constituencies.

Mr. Speaker : At this time the hon. Member can say anything only with regard to the Statement given by the hon. Minister.

Shri S. M. Banerjee : I want the hon. Food Minister to give a statement next week on the Food situation in Bengal.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : Sir, I want a discussion to be raised regarding the situation on our leaders after the Tashkent Declaration.

Mr. Speaker : If notice for motion has already been given and accepted only then the hon. Member can ask a question otherwise not.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Secondly, may I know whether Government is going to bring a legislation regarding quorum ?

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : May I know whether provision has been made for discussion on next Friday regarding Monopolies Commission's report ?

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : I want to raise Half-an-Hour Discussion on a book published by Unesco titled "Manush Ka Itihas". The sooner it is allowed the better it would be.

Mr. Speaker : All right.

संसद-कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री जगन्नाथ राव) : मुझे केवल एकाधिकार आयोग के बारे में श्री मधु लिमये के प्रश्न का उत्तर देना है। जैसे पहले कहा गया है हम इसे चर्चा के लिये तब ले सकते हैं जब आप द्वारा प्रस्ताव अथवा संकल्प मंजूर कर लिया जाये और वह भी वित्तीय कार्य के बाद पहले नहीं।

अध्यक्ष महोदय : खाद्य स्थिति पर भी विचर किया जाना चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव : खाद्य की मांगों के बारे में 11 तथा 12 तारीख को चर्चा होगी।

अध्यक्ष महोदय : वे कहते है वह तारीख अभी बहुत दूर है। कोई वक्तव्य दिया जाना चाहिये ।

श्री जगन्नाथ राव : मैं खाद्य मंत्री को बता दूंगा।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बैरकपुर) : मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि पश्चिमी बंगाल में यह आयोग लगाया जा रहा है कि केन्द्रीय सरकार अपने वचन से पिछे हट गई है। इस लिये केन्द्रीय सरकार को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करनी चाहिये क्योंकि राज्य सरकार कहती है कि केन्द्र ने जितनी मात्रा के लिये वचन दिया था उतनी मात्रा उन्हें नहीं दी गई है ।

श्री जगन्नाथ राव : म खाद्य मंत्री को यह बता दूंगा और वह जितनी जल्दी हो सका इस बारे में वक्तव्य देंगे ।

Shri Bagri (Hissar) : Mr. Speaker, Sir, I have the pleasure to inform the House that Shri Maurya has joined Samyukta Socialist Party.

Shri K. D. Malaviya (Basti) : May I know whether Government have agreed to raise discussion on Monopolies Commission ?

Mr. Speaker : The hon. Member is asking this question when I have passed on to the next question.

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*
वाणिज्य मंत्रालय—जारी

Shri Sheo Narain (Bansi) : If we want to develop our agriculture we should import small instruments and tractors for that purpose. In case small pumping machines are given to us we can solve the food problem in villages.

The problem today is that the water is there but the farmers cannot utilise that water because there are no necessary instruments with them. Our Commerce Minister must have seen in Japan and other countries that small instrument are being used there for agricultural purposes. I would request him to import such instruments in the country so that the farmers may make use of them and thus help solve the food problem.

The fish industry should also be developed as there is a great demand of fish, particulary in West Bengal.

Now I would also like to draw the attention of the hon. Minister to my constituency. Khalilabad is a centre of handloom industry. I want to make it a small Manchester. Sir, I am a student of history and I want to tell the Government that we are very much developed in industry, so much so that there was a great demand of Indian Sarees even in Europe. I would like that Indian sarees should be exported to America, England, Russia etc. so that foreign exchange could be earned.

Tea, Oil and Cotton industries should also be developed.

The controls should also be lifted as they stand in the way to solve the food problem.

The control from cotton should also be lifted. The farmers are grateful for what the Government is doing for them.

The problem of sugar is also there. The demand of sugar is there in the country as well as in foreign Countries. In Cuba the mill-owners get the sugar from the fields but in our country the farmers have to take sugarcane to mill which causes great inconvenience to them.

I would request Shri Manubhai Shah to go to Kanpur and see the position there. Eleven thousand persons are dying of starvation there. The Government should help the poor as it is only due to them that they are in power. The capitalist dont help them. There is a lot of trouble going on Divij's mill. They like to pay nothing to the poor.

I am glad that the production of oilseeds has increased by 80 per cent. but I want the increase to be raised by cent per cent. I appeal to the youth of the country including the hon. Minister to work for eighteen hours and only then we can advance further.

The small industries should also be encouraged.

With these words I support the demands.

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : महोदय मैं वाणिज्य मंत्रालय की मांगो का समर्थन करने खड़ा हूं।

[श्री श्यामलाल सर्राफ]

हमारे विकास शील देश में निर्यात पर ज़ोर देना चाहिये। निर्यात की वस्तुओं में अब भी 80 प्रतिशत तो परम्परागत चीज़ें होती हैं। इसके लिये हमें अपने शासन को सुधारना होगा।

मै सरकार को इस कार्य के लिये बधाई देता हूं। उपलब्ध सुविधाओं तथा निर्माण की चीज़ों के बारे में हमारे देश में लोगों को जानकारी है। हमें देश में मशीनी को इस प्रकार प्रयोग में लाना चाहिये जिस से लागत में कमी हो।

देश में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान करने की एक सेवा है। हमें अन्य विकास के साथ कृषि उत्पादों पर पूर्ण बल देना चाहिये। इस पर हमारा व्यापार तथा निर्यात निर्भर है। हमें ऐसी योजनायें करनी चाहिय जिस से लागत कम हो तथा धातु अयस्क को यंत्रों द्वारा निकालने की व्यवस्था की जानी चाहिये।

मैं आशा करता हूं कि मशीनरी का सामान अन्य देशों को निर्यात किया जावे। चौथी योजना में 5100 करोड़ रुपये का लक्ष्य निश्चित किया है। इसके लिये बहुत मेहनत करनी है। इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि ऐसा गतिरोध न पैदा हो जिसके कारण उत्पादन पुर्जों और आवश्यक कच्चे माल में रुकावट हो। हमारी सफलता इस बात पर आधारित होगी कि हम मूल्यों तथा किसम पर जोर दें।

एक मास पूर्व मैं दक्षिणपूर्वी एशिया गया था। वहां दो शिकायतें उन्होंने की कि एक तो यहां से समय पर सामान नहीं जाता है और दूसरे माल भी अच्छे किसम का नहीं होता है। इस ओर सुधार किया जाना चाहिये। साथ ही मज़दूरी की कीमत भी घटानी चाहिये। मल्य प्रतियोगी होने चाहिये। मज़दूरी व्यय उचित स्तर तक कम रखा जाना चाहिये। मुझे आशा है कि सरकार इस पर ध्यान दे।

एक बात और कहनी है कि प्रचार के बारे में कुछ करना चाहिये। पूनी की फिल्म इन्स्टीट्यूट काफी कार्य कर रही है। मेरे विचार में विदेशी प्रचार बहुत महत्वपूर्ण चीज होगी।

इन सुझावों के साथ मैं इन मांगों का पूरा समर्थन करता हूं।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर): मंत्री महोदय को जो केबीनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है वह ठीक ही है। ऐसा दिखाई देता है कि लाईसेंस प्राप्त उत्पादक तथा लाईसेंसों को देने की व्यवस्था में बहुत बुराईयां हैं और इसके बारे में विचार करना चाहिये।

मंत्री महोदय अपनी गतिशीलता के लिये माने हुए हैं। परन्तु जब लोगों में मायूसी हो तो वे शिकायत करते हैं कि भ्रष्टाचार बहुत है। चाहे भ्रष्टाचार विद्यमान भी न हो परन्तु मायूसी के कारण यह आरोप लगता है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

मै इस विषय पर बहुत समय व्यय करना नहीं चाहता परन्तु मंत्री महोदय को चाहिये कि वह इस पर दो तरीकों से विचार करे। एक तो मशीनरी के हिसाब से और दूसरे कार्य-प्रणाली के हिसाब से। मंत्री महोदय को चाहिये कि पता लगाने कि कार्यप्रणाली असफल क्यों हो गई है।

पीछे कुछ व्यक्तियों को घोड़े आयात करने के लाईसेंस दिये गये थे। वह कुछ उन व्यक्तियों को दिये गये जिनमें कुछ सैनिक अधिकारी दिलचस्पी रखते थे। उन्हें नहीं दिये गये जो यह कार्य बहुत पहले से करते थे। मंत्री महोदय को चाहिये कि इसकी जांच स्वयं करे।

हमारे देश में काफी उद्योग तो बेकार पड़े हैं । सरकार को चाहिये कि उसे काम में लावे । सरकार ने एक नयी योजना बनाई है । जिसके अनुसार आयात के स्थान पर दूसरी चीजें रखी जायेंगी । मैं जानना चाहता हूं कि यह क्या योजना होगी और सरकार इस से क्या प्राप्त करना चाहती है ।

मैं चाहता हूं कि सरकार लोगों की छिपी शक्ति को काम में लाये । चाहे यह नुमाईशें करने की सूरत में हो अथवा किसी और प्रकार से ।

अन्त में मैं खादी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । सरकार ऐसे क्या कदम उठा रही है जिस से कि खादी अपने पांव पर खड़ी हो जावे ।

श्री प्र० चं० बरुआ (शिवसागर) : वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट एक अच्छा दस्तावेज है । यह मंत्रालय के कार्य पर ठीक प्रकाश डालता है । इसके लिये मंत्री तथा मंत्रालय बधाई के पात्र है ।

तीसरी योजना में निर्यात निर्धारित लक्ष्य से भी आगे बढ़ गये हैं । निर्धारित लक्ष्य तो 3700 करोड़ रुपये से 3800 करोड़ रुपया था परन्तु वास्तव में यह 3811 करोड़ रुपया पहुंच गया है ।

निर्यात की स्थिति तो ठीक है परन्तु आयात के बारे में ऐसा नहीं है । 1964 के मुकाबले 1965 के आयात 50 करोड़ रुपया अधिक थे । इसका मुख्य कारण खेती बाड़ी में असफलता था । इससे यह सिद्ध हुआ कि विदेशी तिजारत में खेती का महत्वपूर्ण भाग है । यह भी दुःख की बात है कि खेती पर 4000 करोड़ रुपया तीनों योजनाओं में व्यय करने के पश्चात भी हम आत्मनिर्भर नहीं हो पाये । अब तो हमें खेती बाड़ी को एक उद्योग समझना चाहिये ।

हमारे निर्यात का 80 प्रतिशत भाग तो परम्परागत वस्तुओं का है । केवल 17 प्रतिशत वस्तुएँ ऐसी हैं जिनके लिये विशेष रियायत देनी चाहिये । निर्यात बढ़ाने के लिये महत्वपूर्ण बात यह है कि तुलनात्मक किस्म तथा प्रतियोगी मूल्यों के उत्पादन में हमारी क्षमता का बढ़ाना । हमारे उत्पादन में घाटे का एक कारण तो यहां श्रमिकों का अधिक मुआवजा है तथा औद्योगिक कच्चे माल की कमी का होना । साथ ही बिजली की महंगाई भी जिम्मेदार है । जब तक यह कमियां दूर नहीं की जायेंगी हमारा निर्यात अधिक नहीं होगा ।

हमारे दूतावासों ने भी निर्यात के बारे में अच्छा कार्य नहीं किया है । उसका कारण यह है कि उनमें कर्मचारी कम है तथा उन्हें ऐसे मामलों का पर्याप्त ग्यान नहीं है ।

चाय के निर्यात शुल्क की आय में 1965 में पिछले वर्ष की तूलना 9 करोड़ रुपये की कमी हुई है । चाय से हमें बहुत विदेशी मुद्रा मिलती है इसलिये इसके लिये कुछ कार्यवाही करनी चाहिये । वैसे तो जितनी राशि की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है वह कम है ।

इस उद्योग को भारी कठिनाई इस दिशा में उठानी पड़ी कि लाभ कम होते जा रहे हैं तथा लागत लगातार बढ़ती जा रही है । अन्य उद्योगों ने तो अपने कर देने के बाद 1963-64 में अपनी पूंजी का 9.3 प्रतिशत लाभ उठाया वह 9.3 प्रतिशत था परन्तु चाय पर यह लाभ केवल 4.9 प्रतिशत रह गया है । यह स्वाभाविक ही है कि संसार की तिजारत में भारत का चाय व्यापार कम ही होता जा रहा है । इस लिये इस उद्योग के ही हित में नहीं अपितु राष्ट्रीय आर्थिक हित में यह है कि इस उद्योग को बढ़ावा दिया जावे ।

चाय के पुराने पौधों को बदलने तथा उन्हें उपजाऊ क्षेत्र में लगाने के लिये अधिक राशि देनी चाहिये । वैसे एक ऐसी योजना भी है जो चाय बोर्ड के द्वारा सहायता देती है । 1962 में इस कार्य के लिये पांच करोड़ रुपया मंजूर किया था परन्तु वास्तव में उसा पांचवा भाग भी

[श्री प्र० चं० बरुआ]

अभी तक बांटा नहीं गया है और उसके परिणामस्वरुप 24000 एकड़ भूमि में से केवल 6000 करोड़ भमि में पौधे लगा सके। कहते हैं कि योजना की सख्त शर्तों के कारणों इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

इसलिये मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना कहुंगा कि चाय उद्योग की कठिनाईयों की ओर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये ताकि यह संसार में अपनी स्थिति कायम रख सके।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Deputy speaker, the Commerce Minister has given some figures in his report. I will draw your attention about the export of a few things whose exports have been doubled. Take cashew nuts. Its export was to the tune of Rs. 14 crores fourteen years back but this year it has gone up to the tune of Rs. 29 crores. Similar is the case with diamonds. There is scope for the production and export of these things. Something should be done for this. An Italian firm has invented a machine for the cleanliness of cashew nuts. If this machine goes to the countries of East Africa it can have adverse effect on the export of cashew nuts by our country. Then they will not send raw cashew nuts to this country. Therefore we should make all efforts to increase its production. Is Government doing anything in this direction.

So far as the export of diamonds is concerned I have been told that certain European countries *e.g.* Netherlands, Belgium are also producing diamonds. But the wages of labour are high there and hence we have got an opportunity for the expansion of this industry. Some special steps should be taken for giving special training to our people in this work.

I do not agree to the fact that the export of synthetic fabric has increased. The minister is very clever, cautious and possesses initiative. It is said that the raw material used in its production has been disturbed. Some licences have been issued for the import of polyster yarn to textile mills although they are not in a position to use them. I want it to be investigated as to why licence was issued to Madhusudan Govardhan Das and Co. That firm has purchased licences by giving more prices to the extent of 50 to 55 per cent of the real price. It is stated that some high official from the centre went to Bombay and put pressure on the collector to issue licence to that firm. I want the minister to make an enquiry into it.

I have got a speech of Shri G. D. Birla before me wherein he said : "If you have got heavy stock, well, deal with it. Sell it up. But to think of reducing production is a crime in my opinion. And that was one of the things privately suggested by one of the Ministers at that time. I say it is a crime to cut down production. It does not matter if the mills have to sell at a lower price." I want to know whether a minister really suggested such a thing before mill owners that if they cannot sell their cloth they should cut down their production, close their mill, retrench their employees ? I want to know the real position in this regard. I think that recent strike at Bombay in textile industry was due to this so that there may be decrease in textile production and the mill owners may get more profit for their produce.

The Chief Minister of Maharashtra has alleged that in spite of the fact that guarantee was given by Central and State Governments for security, yet the State Bank did not give sufficient funds for the working of mills. I want to know why it is happening. If it is a question of giving loans to farmers they are not given loans, if the labourers are idle they are not given bonus. Then what is the duty of credit institutions ? I want a clarification from the Commerce minister.

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह): तृतीय योजना के दौरान सरकार ने यह फैसला किया कि हमें वास्तविक तौर से यह प्रयास करना है कि निर्यात को बढ़ाया जाये। इसी कारण पहली बार लक्ष्य को 3700 करोड़ रुपया लक्ष्य रखा गया और यदि हो सके तो 3800 करोड़ रुपया। यह एक बहुत बड़ा तथा कठिन कार्य था। मुझे हर्ष है कि हमने यह लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। चौथी योजना तक हम 3830 करोड़ रुपया तक शायद पहुंच जावें।

निर्यातवाली आवश्यक वस्तुओं के बारे में विभिन्न प्रकार की मनुष्यों द्वारा पैदा की गई तथा कुदरती कठिनाईयों के होते हुए भी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच गये। मैं यह कहना चाहता हूं कि अब देश में एक वातावरण पैदा हो गया है कि निर्यात करना चाहिये। चौथी योजना की समाप्ति पर न हम केवल अपना लक्ष्य पूरा कर पायेंगे जो कि 5100 करोड़ रुपया है बल्कि इससे आगे बढ़ जावेंगे।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने कृषि पर ठीक ही बल दिया है।

वैसे हम कठिन समय में से गुजर रहे हैं हमें यह आदत है कि हम आत्म-परीक्षण करते हैं। परन्तु यदि यह अधिक किया जावे तो अच्छा नहीं है क्योंकि इससे फिर कमजोरी आ जाती है। इस लिये हमें टालना चाहिये। इस लिये जो लोग सदा बुराई तालाश करत हैं वह इस बात का ध्यान रखें। यदि आप 1956 और 1965 की स्थिति को देखें तो पता चलेगा कि राष्ट्र ने अंकशास्त्र तथा मानव विकास की गुणात्मक उन्नति के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। हमारे देश ने केवल 18 अथवा 19 वर्ष पूर्व स्वाधीनता प्राप्त की और अब 25,000 से 30,000 तक नौजवान इंजीनियरिंग संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त करके निकलते हैं। यदि लोग हैं जो पुंजी में वृद्धि करते हैं जिस की राष्ट्र को आवश्यकता है जिस से देश श्रम, कृषि आदि को कार्य में लाना चाहता है।

हमें अपनी कमज़ोरियों को भी देखना है।

यह ठीक है कि हम ने औद्योगिक तथा तकनीकी क्षेत्रों में काफी प्रगति की है परन्तु फिर भी अभी कुछ और समय तक हमें कृषि के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मुझे यह जान कर प्रसन्नता हुई है कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है कृषि, बागान, खनिज और मत्स्य पालन के क्षेत्रों में विदेशी मुद्रा का व्यय तुलनात्मक रुप से कम है जिस से निर्यात तथा जन-कल्याण को कम बढ़ावा मिला है और जनता की आर्थिक क्षेत्र से सम्बन्धित आकाक्षांओं की संतुष्ट नहीं हो सकी है। अतः हमें क्षेत्रों के विकास के लिये अगले 5 अथवा 10 वर्षों में ठोस क़दम उठाने चाहिये। इस से राष्ट्र की पूरी आर्थिक व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।

आगामी वर्षों में हमें अपनी अयात सम्बन्धी नीति के अन्तर्गत उर्वरकों कीट-नाशक औषधियों, कृषि के औज़ारों, मछली पकड़ने के काम में आने वाली नौकाओं के आयात तथा निर्माण और पोत-निर्माण बन्दरगाहों के पुननिर्माण तथा बन्दरगाहों का यान्त्रिकरण करने पर अधिक ध्यान देना है।

कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि देश में ऐसी वस्तुओं का निर्माण होना चाहिये जो आयात की जाने वाली वस्तुओं का स्थान ले सकें। पिछले 19 वर्षों से हमारी औद्योगिक नीति का यही आधार रहा है। स्वाधीनता के बाद से ही लोगों की यह कोशिश रही है कि ऐसे पुर्जों का निर्माण करें जो जहा बनाई जा सकती हैं और आयात किये जाने वाले सामान के स्थान में उपयोग किये जा सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि विज्ञान तथा विदेशी तकनीकी ज्ञान का बिलकुल परित्याग कर दिया गया है। विज्ञान तथा तकनीकी ज्ञान की कोई सीमाऐं नही होती। इन पर किसी एक देश का परमाधिकार नहीं हो सकता। अतः

[श्री मनुभाई शाह]

किसी देशी वस्तुओं अन्य देशों की वस्तुओं के साथ मिलाकर बनाना भी इसी नीति का एक अंग है। विभिन्न प्रकार की औद्योगिक मशीनरी के निर्माण में इतनी प्रगति हुई है कि 15 वर्ष पूर्व 10 करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन होता था परन्तु आज 535 करोड़ रुपये की मशीनरी तथा पेचीदा तकनीकी सज्जा का उत्पादन किया जा रहा है। इस वर्ष 600 करोड़ रुपये का उत्पादन होने की सम्भावना है। कुछ दिनों पूर्व तो यह सोचना भी कठिन था कि हम कपड़ा मिल सम्बन्धी मशीनरी बना सकते हैं। जैपुर के पोद्दार कपड़ा मिल में 65 प्रतिशत मशीनरी देश में ही बनी हुई है। शीघ्र ही 85 प्रतिशत कपड़ा मशीनरी देश में बनने लगेगी। अतः आयात किये जाने वाले सामान के विकल्पों के निर्माण के कार्यों को बड़े ज़ोरशोर से किया जायेगा। यह तो नहीं कहा जा सकता कि हम ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है परन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं है कि हम प्रगति के पथ पर हैं और हम कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये पूरे प्रयत्न करेंगे। डॉ० वी० के० आर० वी० राव की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है और उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। प्रत्येक मंत्रालय आयात के विकल्पों के उत्पादन पर दूरा ध्यान दे रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने आयात लाइसेंस के बारे में असंतोष की चर्चा की है। इस सम्बन्ध में जब शिकायतें आई हैं वह ठीक हैं। हमारे पास भी बहुत समय से शिकायतें आ रही थी। अब तक इस व्यवस्था में सुधार लाने के लिये कई उपाय किये गये हैं। अभी हाल में माथुर समिति की रिपोर्ट को जो दो भागों में है, लागू किया जा रहा है। एक भाग को कार्यान्वित किया जा चुका है और दूसरे भाग को शीघ्र ही सभा के सामने लाया जायेगा।

मैं इस बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि आयात तथा निर्यात के मुख्य नियन्त्रक को मनमानी करने का कोई अधिकार नहीं है और न उनको कोई शक्तियां मिली हुई हैं। वह अपनी मर्जी से न तो किसी आयात के लिय अनुमति दे सकते हैं और न उसको रद्द कर सकते हैं। "रेड़ बुक" केन्द्रीय सरकार के सब मंत्रालयों के संयुक्त प्रयत्न से तथा व्यापार से सम्बन्धित व्यक्तियों के परामर्श से तैयार की जाती है। वह तो सभा की नीति का पालन करते हैं। आयात के लिये जो आवेदन पत्र प्राप्त हुये थे वे 2,000 करोड़ रुपये के आयात के लिये थे परन्तु केवल 1,400 करोड़ रुपये के साधन उपलब्ध होने के कारण "नहीं" कहना पड़ा है। यदि कोई ऐसा मामला आयेगा जहां मनमानी की गई है अथवा किसी व्यक्ति के साथ पक्षपात किया गया है तो सम्बद्ध अधिकारी को ऐसी ग़लती करने के लिये दंड दिया जायेगा और कोई रियायत नहीं की जायेगी तथा उस कथित व्यक्ति के साथ न्याय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त नियंत्रण आदेश अदालतों के क्षेत्राधिकार में है।

मैं संस्था सम्बन्धी सुधार के पक्ष में हूं। मैं नहीं चाहता कि केवल व्यक्ति ही न्याय करें। प्रक्रिया ही संपतोषजनक होनी चाहिये। अतः हम प्रक्रिया में बराबर सुधार कर रहे हैं

कठिनाई यह है कि लोगों को शिकायतें पक्ष-पात के कारण भी हो सकती हैं और कमी के कारण भी अतः हर व्यक्ति को, हर व्यवसाई को उसकी मांग की पूर्ति न होने पर यह बतलाना होगा कि सरकार हर वस्तु की व्यवस्था करने में असमर्थ है।

उदाहरण के लिये माननीय सदस्य ने कहा है कि घोड़ों का आयात किया जाता है। यदि वह मुझे लिखते तो मैं इस सम्बन्ध में अवश्य ही जांच करवाता। वैसे इस मद पर कोई अधिक विदेशी मुद्रा का व्यय नहीं होता। क्या घोड़ों का आयात किया जाय या नही यह बिलकुल गलत मामला है। हो सकता है कि नस्ल सुधारने के लिये कुछ घोड़ों का अयात किया जाना आवश्यक हो। यह भी आयात विकल्प के लिये किया जा रहा है ताकि देश में ही अच्छी नस्ल के घोड़े उपलब्ध हो सकें।

कल श्री दांडेकर ने पूर्व यूरोपीय देशों के बारे में कहा था कि वे देश यहांसे कम मूल्य पर खरीद करते हैं उनके साथ हमारी व्यापारिक शर्तें अनुकुल नही है। चाहे कोई देश रुपया, डालर अथवा पाउंड चलार्थ का देश हो, हमारे लिये सब समान हैं और हमारी यह इच्छा है कि हम संसार के हर भाग से व्यापार करें।

सारे संसार से हमारा व्यापार उत्पाततः है। उन देशों की जनसंख्या संसार की जनसंख्या का 15 से 16 प्रतिशत है। हमारा व्यापार भी इसी आधार पर है।

श्री त्यागी ने पूर्व योरोपीय देशों के साथ हमारे व्यापाराधिक्य के बारे में कहा है। 7 वर्षों में कुल 9 करोड़ अथवा 11 करोड़ के प्रतिकूल होने के बारे में परेशानी व्यक्त की है परन्तु यह सब हिसाब का ही मामला है। बैंकों द्वारा हिसाब ठीक होने में काफी समय लग जाता है। उन्होंने उन देशों के बारे में कुछ नही कहा है जिनके साथ हमारा हर वर्ष 90 करोड़ का प्रतिकूल व्यापाराधिक्य है। यदि आयात का मूल्य बहुत अधिक है तो हम उसे कम करने के लिये बातचीत करेंगे। ऐसा कहना ठीक नहीं है कि आयात के लिये रुपया चलार्थ वाले देश ही उपयुक्त हैं। जो देश अबाद्य विदेशी मुद्रा तथा उधार देते हैं हम उनके साथ व्यापारिधिक्य स्थिति तथा "रिजर्व" स्थिति बनाये रखने की कोशिश करते हैं। ऐसे देशों से यदि हम कुछ भी खरीदें, वे हम से उतना माल खरीदने को तैयार हैं जितना हम बेचना चाहे। तो यह एक तरह का लचीलापन है। इसका मतलब यह नहीं है कि किन्हीं देशों के साथ पक्षपात किया जा रहा है।

उन्होंने निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के सम्बन्ध में भी कहा है। इनके बारे में जो विचारधारा है वह सेवा की विचारधारा है। प्रतिकार की विचारधारा नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि निर्मित वस्तुओं का निर्यात बढ़े तो यदि हम निर्यात करने वालों को प्राथमिकता नहीं देंगे तो विदेशों मुद्रा की कमी के समय वह बिल्कुल निर्बल तथा अयोग्य हो जायेगा और वह हमेशा तथा ठीक किस्म के माल का उत्पादन नही कर सकेगा। इस विचारधारा को और भी बढ़ाया जा सकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को आयात न करने दिया जाये जो निर्यात नहीं करता। यह लम्बी अवधि की रियायत है। हर निर्माता को चाहिये कि देश को आयात का बदला निर्यात कर के चुकाये।

श्री बड़े (खारगोन) : क्या माननीय मंत्री को पता है कि अभी हाल में लोक लेखा समिति के कुछ सदस्य इस बात की जांच करने के लिये बम्बई गये थे कि कुछ लोग आयात करने के लिये लाइसेंस लेकर उनको चोर बाजार में बेंच देते हैं।

श्री मनुभाई शाह : लोक लेखा समिति एक प्रतिष्ठित समिति है। निसंदेह उसकी सिफारिशों में कईबार विदेशी मुद्रा के अपव्यय के सम्बन्ध में आलोचना की जाती है। वस्तुतः हम लगभग 1,400 करोड़ रुपये का आयात करते हैं। इस आयात की अनुमति कानून के अन्दर इस शर्त पर दी जाती है इसका उपयोग निर्माता अपने कारखानों में करेंगे और इस प्रकार निर्यात किये जाने वाले माल के उत्पादन की वृद्धि करेंगे। हम उन्हें इस प्रकार के प्रोत्साहन और रियायतें देते हैं जिससे कि वे अधिकाधिक माल का निर्यात कर सकें। तथापि जो लोग सरकार से सहयोग नहीं करना चाहते वे इस लाइसेंस काले बाजार में बेच देते हैं। इसलिये यदि हम अपने महान उद्देश्य में सफल होना चाहते हैं तो सभा और सारे देश को इन कठिनाइयों और कदाचार के कारणों को समझने का प्रयत्न करना चाहिये चाहे वें व्यक्ति के द्वारा होती हों अथवा निर्यात कर्त्ता, आयात कर्त्ता अथवा निर्माता के द्वारा हमें उन्हें दूर करना होगा। वस्तुतः हमने इसी उद्देश्य से यह अधिनियम पारित किया था कि ऐसे अपराधी व्यक्ति को छः महीने अथवा दो वर्ष का अनिवार्य दंड दिया जाये। यदि हम निर्मित वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि करना चाहते हैं और देश के निर्यात के मूल्य को बढ़ा कर 2,000 करोड़ प्रति वर्ष करना चाहते हैं तो ऐसा करना हमारे लिये अनिवार्य है। हमारे कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर्याप्त क्षमता मौजूद है तथापि इसके लिये सभा के सभी पक्षों के सहयोग की आवश्यकता है।

[श्री मनुभाई शाह]

निसंदेह जैसा कि श्री बड़े ने कहा है कुछ व्यक्ति ग़लतियां करते हैं और उनसे कुछ कठिनाइयां होती हैं। हमे एसे सभी व्यक्तियों को दंड देना चाहिये तथापि इस योजना का उद्देश्य, जो केवल निर्मित माल पर लागू होती है, यह है कि निर्यातकर्ता को जोकि अपना अथवा दूसरों का माल निर्यात करता है उसे आयात के लिये दूसरों की अपेक्षा आवश्यक प्रोत्साहन दिया जाये। इसलिये इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि आयातित माल से निर्यात के लिये अधिक वस्तुओं का उत्पादन सम्भव हो सके। चूंकि देश में अनेक आयातित वस्तुओं की कमी है, चोर बाजार तो थोड़ा बहुत रहेगा ही परन्तु किसी भी क्षत्र में कदाचार को सहन नहीं किया जायेगा। बढ़ावे के लिये जो योजनायें बनाई गई हैं उनका अच्छा परिणाम निकल रहा है। व्यापार तथा उद्योग ने उनकी सराहना की है। निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं का रिपोर्ट में पूर्ण विवरण दिया गया है। मेरी राय में इन योजनाओं की सफलता का माप-दंड यह है कि क्या इन निर्यात को बढ़ावा देने वाली योजनाओं के अन्तर्गत हमारे पास कुछ विदेशी मुद्रा बचती है अथवा नहीं, उस उद्योग को रोज़गार मिलता है या नहीं।

श्री मधु लिमये ने हिरों के उद्योग के सम्बन्ध में कुछ कहा है। यह हमारा पारम्परिक उद्योग है। इसमें 3 लाख लोग लगे हुये हैं। हम कीमती जवाहरातों का आयात इस कारण करते हैं कि वे हमारे देश में नहीं मिलते। इनको दुबारा काटकर ज़ेवरात बनाये जाते हैं। इसको और बढ़ावा दिया जायगा। इस उद्योग के सम्बन्ध में कई प्रशिक्षण योजनायें हैं।

संसार के अन्य देशों के मुकाबले भारत सबसे अधिक कपड़ा बनाता है। 1947 में कुल 5 मिले थीं। पिछले 19 वर्षों की औद्योगिक प्रगति के कारण आज 600 कपड़ा मिलें है जिन में सूत कातने वाली मिलें भी शामील हैं। भारत में 820 करोड़ गज़ कपड़ा प्रतिवर्ष बनाया जाता है और शीघ्र ही 1000 करोड़ गज़ बनने लगेगा।

कई मिलें 100 वर्ष 50 वर्ष, अथवा 40 वर्ष पुरानी है। इससे उत्पादन पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ता है। यदि कोई एकक अधिक खराब हो जाता है और कोई उत्पादन अथवा लाभ की आशा नहीं रहती तो हम उसे बन्द कर देते हैं। इस श्रेणी में 21 मिलें हैं। इनमें से 11 मिलों को केन्द्रीय सरकार चलाती थी। जिस मिल के बारे में श्री मधु लिमये तथा श्री स० मो० बनर्जी ने कहा है उसे केन्द्रीय सरकार ने ले लिया है। हमने श्री कपूर को जो उत्तर प्रदेश सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं, को नियंत्रक नियुक्त किया है। ऐसा कहा गया है कि हमने एक जूट मिल के साथ पक्षपात पूर्ण बर्ताव किया है। परन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार किसी विशेष मिल के साथ पक्षपात नहीं कर रही है। महेश्वरी देवी जूट मिल के लिये कम्पनी कानून बोर्ड सर्वेक्षण समिति नियुक्त की गई हैं और इसकी रिपोर्ट शीघ्र ही आ जायेगी। उस रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। हम बिना किसी विरोध के भय के इस मिल को शीघ्र ही अपने नियंत्रण में ले लेंगे। हम नहीं चाहते कि वह उसी प्रबंध के अधीन और अधिक चलता रहे।

यदि कहीं मालिकों के कदाचार के कारण जबरी छुट्टी होती है तो माननीय सदस्य ऐसे मामले के बारे में हमें सूचित करें। हम मामले की जांच करेंगे।

यदि कोई एकक कार्य करने के कारण बंद हो जाता है तो सरकार उसके लिये राज्य सरकार के क्षेत्र में अथवा केन्द्रीय सरकार के क्षेत्र में लाइसेंस दे देगी। इस सम्बन्ध में हमने कार्यक्रम बनाया हुआ है।

जिस प्रकार हम ने मिल उद्योग को आयात के मुकाबले में संरक्षण दिया है, हम हाथ-कर्घा तथा खादी उद्योग को भी संरक्षण देंगे। इस प्रकार लोगों को रोजगार मिलेगा।

खादी आयोग तथा केन्द्रीय सरकार यदि ऐसा देखेगी कि राज्य बोर्ड अथवा उसके अधीन चलने वाले कुछ केन्द्र ठीक से नहीं चलाये जा रहे तो हम उस मामले की पूरी पूरी जांच करायेंगे। यदि आवश्यक हुआ तो हम उन केन्द्रों को बन्द भी कर सकते हैं अथवा उस बोर्ड के कार्यभार को भी संभाल सकते हैं। अत: बोर्डों द्वारा सहयोग न देने की हमें चिन्ता नहीं है। संसद सदस्यों, राज्य के खादी बोर्डों के प्रतिनिधियों तथा खादी आयोग के प्रतिनिधियों और अध्यक्ष को शामिल करके हम एक पुनरीक्षण समिति बनाना चाहते हैं ताकि सम्बन्ध सुधारे जा सके।

यदि खादी आयोग के कार्य में कोई कमी पायी गयी हो, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और राज्य बोर्डों में खादी के सम्बन्ध में यदि ठीक तालमेल न हो तो यह समिति हमें सलाह दे सकती है और सभा में जो सुझाव दिये जायेंगे, हम उनपर विचार करेंगे। लेकिन एक बात स्पष्ट रूप से समझ लेनी चाहिये कि हमारे दल की यह नीति है कि खादी को प्रोत्साहन दिया जाये। केवल इस बात से कि कुछ लोगों को यह पसन्द नहीं है, हजारो लोगों को बेरोजगार नहीं किया जा सकता।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I am myself a khadi weaver and it is my experience that weavers get nothing.

Shri Manubhai Shah : There is no alternative to khadi and handlooms. If we do not support khadi, lakhs of people would be thrown out of employment and ruined.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : He is not opposing Khadi. He is complaining of the bad arrangements.

श्री मनुभाई शाह : खादी आयोग और खादी बोर्ड के कार्याचालन में सुधार करने के बारे में सुझावों का मैं स्वागत करूंगा। हमें यह नहीं भूलना चाहिये सत्तारूढ़ दल, जिसने इस देश को विदेशी दास्यता से मुक्त किया और देश का औद्योगिकरण किया कि यह मूल नीति है कि खादी तथा ग्रामोद्योगों को बढ़ावा दिया जाये।

मेरे माननीय मित्र को यह मानना पड़ेगा कि कपास पैदा करने वाले लोगों के हितों के बारे में सरकार जागरूक है। 530 रु० अधिकतम मूल्य रखने का विचार था और इस समय विक्रय मूल्य 1109 रुपये प्रति कडी है। जो इस किस्म की कपास का विश्व में सबसे अधिक मूल्य है। हम इससे अधिक मूल्य नहीं दे सकते। माननीय सदस्य के इस सुझाव से मैं सहमत हूं कि आयात-निर्यात सलाहकार परिषद में उत्पादकों का भी एक प्रतिनिधि होना चाहिये। न केवल कपास बल्कि काजू, पटसन, काली मिर्च, तिलहन सभी वस्तुओं के मूल्य हमारे यहां विश्व में सबसे अधिक हैं। पटसन के बारे में मैं अनेक बार बता चुका हूं कि हमारे पड़ौसी देश की तुलना में हमारे मूल्य 50 प्रतिशत अथवा 100 प्रतिशत अधिक हैं। वे अपने पटसन उत्पादों के लिये आर्थिक सहायता देते है और हमें नुकसान पहूंचाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। पिछले वर्ष 161 करोड़ रु० का निर्यात हुआ और इस वर्ष हमने लगभग 184 करोड़ रुपए का माल निर्यात किया। अगले वर्ष निर्यात 200 अथवा 205 करोड़ रुपए होगा। मैं विशेष रूप से श्री राने का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यदि कोई सदस्य किसी विषय में विशषज्ञ है तो उत्पादकों के हितों के बारे में वह सुझाव दे सकता है और हम उनपर पूरी तरह ध्यान देंगे। कपास के भाव जब नीचे गिर रहे थे, तो हमने बंगाल देशी कपास खरीदी जिससे अपने आप अन्य किस्मों की कपास के भाव बढ़ गये। हमारे किसानों को उत्पादन के नये और उन्नत तरीकों की आवश्यकता है। यदि किसी फसल में कमी रहती है तो हम उसपर पुन: विचार करने को तैयार हैं और किसानों को अधिक मूल्य दिलायेंगे।

श्री रंगा : हथकरघा बुनकरों के पास बहुत सा माल जमा है। इस वर्ष बजट में नये शुल्क लगा दिये गये ह ।

श्री मनुभाई शाह : हमने एक विशेष खरीदारी अभियान आरम्भ किया है। हमने "मद्रास ब्लीडिंग" के निर्माताओं को वचन दिया है कि सरकार 30-40 लाख गज़ कपड़ा खरीदेगी। जब भी माल इकट्ठा हो जाता है तो हम छूट देते हैं। पिछले वर्ष भी 15 दिन की छूट दी थी। जहां कहीं ऐसा होता है हमें विशेष रूप से बतायें, सामान्य रूप में न कहें, हम अवश्य विचार करेंगे।

श्री बालकृष्णन् (कोइलपट्टी) : मद्रास ब्लीडिंग का अमरीका को निर्यात कम हो जाने के क्या कारण हैं ?

श्री मनुभाई शाह : यह कपड़ा 5-6 साल से चल रहा है इसलिये अब इसका फैशन नहीं रहा। हमें नये, बढ़िया और आकर्षक नमूने बनाने चाहिये ।

नकली रेशम के बारे में विदेशी मुद्रा की कमी के कारण पिछले वर्षों में हमने कच्चे माल के आयात के लिये कम विदेशी मुद्रा दी। इससे निर्यात कम हुआ। लेकिन हमें यह सोचना पड़ता है कि हम चाय के लिये उर्वरक आयात करने तथा कपास अथवा पटसन के लिये विदेशी मुद्रा दें, जिनसे हमें अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हमने अभी एक संशोधित योजना चलाई है आशा है उससे कमी पूरी हो जायेगी । पोलिस्टर रेशे का माल पकड़ा गया है उसका दुरुपयोग करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध हम अभियोग चला रहे हैं और अपराधियों को सजा ही जायेगी । लेकिन राई का पहाड़ नहीं बनाना चाहिये सही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। कृषि, निर्यात, शिक्षा, सभी क्षेत्रों में हमने काफी सफलता प्राप्त की है और हमें आगे बढ़ना है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सभी कटौती प्रस्ताव मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए / *All the cut motions were put and negatived.*

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वाणिज्य मंत्रालय की निम्नलिखित मांगें मतदान के लिये रखी गईं तथा स्वीकृत हुईं/ *The following Demands in respect of Ministry of Commere were put and adopted.*

मांग संख्या	मांग का नाम	मांग की राशि
1	वाणिज्य मंत्रालय	33,72,000
2	विदेशी व्यापार	16,03,20,000
3	वाणिज्य मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय . .	16,54,00,000
113	वाणिज्य मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . . .	1,38,79,000

लेखानुदानों की मांगें (केरल), 1966-67
DEMANDS FOR GRANTS ON ACCOUNTS (KERALA), 1966-67

उपाध्यक्ष महोदय : वर्ष 1966-67 के लिये लेखानुदानों की मांगें (केरल) सभा के समक्ष हैं ।

श्री वारियर (त्रिचूर) : केरल में यथाशीघ्र सामान्य स्थिति लानी चाहिये । यदि वहां पर जनता की सरकार होती तो सामान्य स्थिति हो जाती। अभी 135 विद्यार्थियों को गिरफ्तार किया गया था जिनमें से कुछ अभी भी जेलों में पड़ें हैं, इन परिस्थितियों में वे किस प्रकार परीक्षा में बैठ सकते हैं। परामर्शदात्री समिति में आश्वासन दिया गया था लेकिन कुछ नहीं किया गया । पंजाब में भी ऐसा हुआ था लेकिन वहां पर जनता की सरकार होने के कारण सभी मामले वापिस ले लिये गये । वहां कोई विधान मण्डल नहीं है, न ही कोई प्रतिनिधि सरकार है, इसलिये केन्द्रीय सरकार को तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिये थी और सामान्य स्थिति कायम करनी चाहिये थी ।

भूतपूर्व राज्यपाल ने कार्यमुक्त होने से कुछ ही घंटे पहले उप-कुलपति का सेवाकाल 3 वर्ष के लिये बढ़ा दिया। यह कहना गलत है कि एक वर्ष अथवा एक वर्ष से कम समय के लिये उपकुलपति के पद का कार्यभार संभालने के लिये कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिलेगा। हमारे देश में योग्य व्यक्तियों की कमी नहीं है। जब इस व्यक्ति का सीनेट से झगड़ा था तो उसे सीनेट की सर्व सम्मत राय के विरुद्ध क्यों रखा गया। केरल में सभी बड़े कारखाने बन्द हो गये, चार लाख श्रमिक बेकार हो गये हैं। जब वहां पर प्रशासन ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहा तो फिर ये लेखानुदानों की मांगें क्यों मंजूर की जाये ? प्रशासन वहां पर अविलम्बनीय समस्याओं को हल करने की बजाय नई नीतियां लागू कर रहा है जिससे केरल की जनता पर चिरस्थायी प्रभाव होंगे। पिछड़े हुई जातियों से हाल में बने ईसाईयों के लिये स्थान सुरक्षित करना बन्द कर दिया गया है। यदि जनता की सरकार होती तो क्या वह इस तरह कर सकती थी ?

धान की खेती पर लगान बढ़ा कर 4 रुपये कर दिया गया है। कौन किसान 5 अथवा 6 रुपए खेती पर खर्च करके 4 रुपये दे सकता है ? सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की थी ट्रावनकोर टाइटेनियम प्राडक्ट्स की एकमात्र विक्रय एजेन्सी मैसर्स टी० टी० कृष्णमाचारी एण्ड कम्पनी को नहीं दी जानी चाहिये। यह एक संसदीय समिति ने कहा है जिसके प्रधान श्री गोविन्द मेनन थे, जो दुर्भाग्य से इस समय मंत्री हैं।

इन लेखानुदानों को न्यायोचित ठहराने के लिये इन सब समस्याओं को तुरन्त हल करना चाहिये ।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं अपने साथी गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री का ध्यान इन सब बातों की ओर दिलाऊंगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा वर्ष 1966-67 के लिये निम्नलिखित लेखानुदानों की मांगें (केरल) मतदान के लिये रखी गई तथा स्वीकृत हुईं/ *The following Demands for Grants on Account (Kerala), 1966-67 were put and adopted :*

मांग संख्या	शीर्षक	लेखानुदान की मांग की राशि
		रुपये
I	कृषि आय-कर और बिक्री-कर	8,72,100
II	भू-राजस्व . . .	36,21,300

8—44 L. S./66

मांग संख्या	शीर्षक	लेखानुदान की मांग की राशि
III	उत्पादन-शुल्क	5,98,900
IV	गाड़ियों पर कर	1,95,200
V	स्टाम्प	2,79,300
VI	रजिस्ट्रेशन फीस	7,71,200
VII	राज्य विधान मंडल	1,62,300
VIII	निर्वाचन	3,48,300
IX	राज्याध्यक्ष, मंत्री और मुख्यालय के कर्मचारी	14,89,700
X	जिला प्रशासन और विविध	18,59,800
XI	न्याय प्रशासन	20,41,400
XII	जेलें	9,88,800
XIII	पुलिस	89,28,200
XIV	राज्य बीमा और विविध	3,50,600
XV	वैज्ञानिक विभाग	1,83,200
XVI	विश्वविद्यालय शिक्षा	35,52,700
XVII	सामान्य शिक्षा	5,02,74,500
XVIII	तकनीकी शिक्षा	27,01,800
XIX	चिकित्सा	1,19,13,800
XX	लोक स्वास्थ्य	45,51,400
XXI	लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी	29,95,400
XXII	कृषि	68,47,100
XXIII	मीन क्षेत्र	15,56,400
XXIV	ग्राम विकास	9,54,100
XXV	पशु पालन	19,43,000
XXVI	सहकारिता	11,45,600
XXVII	उद्योग	19,19,600
XXVIII	सामुदायिक विकास प्रायोजनाएं, राष्ट्रीय विस्तार सेवा और स्थानीय विकास सम्बन्धी निर्माण-कार्य	49,51,900
XXIX	श्रम और नियोजन	14,73,400
XXX	हरिजन कल्याण	32,96,700
XXXI	अंक संकलन और विविध	10,29,600
XXXII	सिंचाई	62,60,400
XXXIII	सरकारी निर्माण-कार्य	1,73,30,500
XXXIV	बन्दरगाहें	2,93,500

मांग संख्या	शीर्षक	लेखानुदान की मांग की राशि
XXXVI	दुर्भिक्ष	2,80,600
XXXVII	पेंशनें	52,25,300
XXXVIII	लेखन सामग्री और छपाई	13,34,900
XXXIX	वन	27,19,800
XL	विविध	16,75,100
XLI	विविध क्षतिपूर्ति और समर्पण . . .	3,55,400
XLIII	लोक स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय . . .	19,89,700
XLIV	कृषि सम्बन्धी सुधार पर पूंजी परिव्यय . . .	3,39,800
XLV	औद्योगिक और आर्थिक विकास पर पूंजी परिव्यय	61,38,100
XLVI	सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	69,75,800
XLVII	सरकारी निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . . .	95,10,800
XLVIII	अन्य निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय . . .	4,06,800
XLIX	बन्दरगाहों पर पूंजी परिव्यय . . .	14,52,300
LI	वनों पर पूंजी परिव्यय	16,08,000
LII	पेंशनों का राशीकृत मूल्य	59,500
LIII	सरकारी व्यापार की योजनाओं पर पूंजी परिव्यय . .	1,01,51,900
LV	सरकार द्वारा दिये जाने वाले ऋण और अग्रिम . .	3,69,88,800

केरल विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 1966

KERALA APPROPRIATION (VOTE ON ACCOUNT) BILL, 1966

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से 1966-67 के वित्तीय वर्ष के कुछ भाग की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि केरल राज्य की संचित निधि में से 1966-67 के वित्तीय वर्ष के कुछ भाग की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted*

श्री ब० रा० भगत : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

श्री ब० रा० भगत : मैं श्री शचीन्द्र चौधरी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से 1966-67 के वित्तीय वर्ष के कुछ भाग की सेवाओं के लिये कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केरल राज्य की संचित निधि में से 1966-67 के वित्तीय वर्ष के कुछ भाग की सेवाओं के लिय कुछ राशियों के निकाले जाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1 से 3, अनुसूची, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted.*

खण्ड 1 से 3 अनुसूची अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये / *Clauses 1 to 3, the Schedule, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री ब० रा० भगत : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The Motion was adopted*

अनुदानो की मांगें—(जारी)
DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

वर्ष 1966-67 के लिये सूचना और प्रसारण मंत्रालय की निम्नलिखित मांगे प्रस्तुत की गई

मांग संख्या	शीर्षक	मांग की राशि
		रुपये
62	सूचना और प्रसारण मंत्रालय . . .	13,86,000
63	प्रसारण	5,57,77,000
64	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का अन्य राजस्व व्यय	4,33,11,000
130	सूचना और प्रसारण मंत्रालय का पूंजी परिव्यय . .	1,56,51,000

श्री मी० र० मसानी (राजकोट) : मैं अपने कटौती प्रस्ताव संख्या 7 के समर्थन में चन्द शब्द कहना चाहता हूं। यह कटौती प्रस्ताव का विषय है, भारत जैसे निर्धन देश में टेलीविजन के विकास पर सरकारी निधि का अवांछनीय व्यय। हम सभा में इस ओर बठने वाले लोग भारत में टलीविजन सेवा आरम्भ करने के विरुद्ध नहीं हैं। बल्कि इसके विपरीत हम इसका स्वागत करते हैं। इससे लोगों के ज्ञान में वृद्धि होगी, उनका मनोरंजन होगा, शिक्षा का प्रसार होगा तथा जन-जीवन अधिक समृद्ध होगा। इस बारे में दो मूल प्रारम्भिक बातें हैं, (1) टेलीविजन सेवाओं की व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिये और (2) इसके लिये सरकारी राजस्व से वित्त प्रदान नहीं किया जाना चाहिये। प्रसारण तथा सूचना माध्यम संबंधी चन्दा समिति भी इसी निष्कर्ष पर पहुंची है कि टेलीविजन सेवाओं की व्यवस्था सरकार को नहीं करनी चाहिये। चन्दा समिति के प्रतिवेदन की कंडिका 58, 60, 61 और 64 में इस बात पर जोर दिया गया है कि टेलीविजन सेवा पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिये और यह आकाशवाणी से भिन्न तथा संसद् के एक अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित निगम के नियंत्रण में होनी चाहिये ताकि व्यर्थ दबाव न डाला जा सके। हमारी तथा अधिकांश सदस्यों की यही राय है कि टेलीविजन सेवा एक स्वायत्तशासी संस्था के हाथ में होनी चाहिये।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र से प्रसारित कार्यक्रम एकदम नीरस होता है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस दल के पक्ष का समर्थन करना होता है और इस पर देश के निर्धन करदाताओं का लाखों रुपया खर्च कर दिया जाता है। चन्दा समिति ने कहा है कि वहां आवश्यकता से अधिक कर्मचारी हैं।

चन्दा समिति के प्रतिवेदन में कहा गया है कि इस परियोजना पर पूंजीगत व्यय बहुत अधिक होगा और यह सुझाव दिया गया है कि विदेशी मुद्रा का पूंजीगत व्यय विदेशी सार्थ संघ अथवा विदेशी सहयोगियों से ऋण के रूप में प्राप्त किया जाये और रुपयों में खर्च होने वाला पूंजीगत व्यय भारत सरकार वहन करे। यह दुर्भाग्य की बात है कि समिति ने व्यय के प्राक्कलन नहीं दिये हैं। चन्दा समिति के प्रतिवेदन से पहले सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अनुमानों के अनुसार सरकारी राजस्व से चौथी योजना के दौरान 4 करोड़ रुपये तथा अगले 25 वर्षों में, जब तक प्रतिवेदन के अनुसार सारे देश में टेलीविजन सेवा स्थापित हो जायेगी, करों द्वारा वसूल किये गये 100 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। मेरे विचार में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बहुत कम व्यय का अनुमान लगाया है। हमारा देश दिवालिया है। कल रात ही हमारे प्रधान मंत्री सहायता मांगने विदेश गये हैं। अधिकांश गांवों में पेय जल की व्यवस्था नहीं है, खाद्यान्न के लिये हमें विदेशों से सहायता लेनी पड़ती है और हमारे देश में अस्पतालों व स्कूलों की कमी है। अपने संविधान के निदेशक तत्वों का —कि स्वतंत्रता प्राप्ति के दस वर्षों में निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा होनी चाहिये पालन नहीं कर सके हैं। क्या ऐसा देश जहां निर्धन लोगों की जीवन की अत्यावश्यकत वस्तुएं भी नहीं मिलतीं, 50 अथवा 100 करोड़ रुपये खर्च कर सकते हैं एक ऐसी चीज़ के लिये जो उनके लिये विलासिता की वस्तु होगी। श्री राजगोपालाचारी ने ठीक ही कहा कि यह सरकारी धन का दुरुपयोग है।

टेलीविजन के लिये अन्य देशों की तरह अन्य साधनों से धन जुटाया जा सकता है। ब्रिटेन मे बी० बी० सी० का व्यय लाइसेंस शुल्क मात्र से और आ० टी० ए० का व्यय विज्ञापनों से पूरा होता है। जनता को इन दोनों में से किसी के लिये भी कर नहीं देने पड़ते। यही स्थिति इटली, जर्मनी और कनाडा में है। अमरीका में यह क्षेत्र गैर-सरकारी उद्यमियों के लिये छोड़ दिया गया है। हमारे यहां सी० बी० सी०, एन० बी० सी० और ए० बी० सी० आदि बहुत अच्छे निगम हैं जो सूचना, मनोरंजन तथा शिक्षा के अत्युत्तम कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं। वाणिज्यिक प्रसारणों तथा वाणिज्यिक टेलीविजन में कोई बुराई नहीं है। अमरीका में विश्व की सर्वोत्तम टेलीविजन सेवायें हैं। चन्दा समिति ने भी कुछ अंश तक निसंकोच यह बात कही है। हमें अमरीका की प्रणाली का अनुसरण करना चाहिये। सारे लैटिन अमरीका में तथा हमारे अपने महाद्वीप में भी फिलीपीन, थाइलैंड, ईरान तथा अन्य देशों में उसे सफलतापूर्वक अपनाया गया है।

[श्री मी० रु० मसानी]

सरकार द्वारा नियुक्त की गई टेलीविजन संबंधी तकनीकी समिति के सामने कुछ पेशकश की गई थी। एक पेशकश थामसन टेलीविजन इंटरनेशनल लिमिटेड, लन्दन की ओर से थी और एक अन्य पेशकश निप्पन इलेक्ट्रिक कम्पनी, टोक्यो की ओर से थी। दोनों ही ने कहा था कि वे सरकार द्वारा बिना कोई राशि खर्च किये, वे भारत में टेलीविजन सेवायें चालू करेंगे लेकिन तकनीकी समिति ने सैद्धांन्तिक तथा विचारों के आधार पर ये पेशकश अस्वीकार कर दी थीं। मेरा तो यह सुझाव है कि उनसे फिर कहा जाये और शर्तों आदि पर सतर्कता से विचार करके यह काम उन्हें सौंपा जाये।

जैसा कि चन्दा समिति ने सिफारिश की है, दूसरा विकल्प यह है कि ब्रिटेन के स्वतन्त्र टेलिविजन प्राधिकार के आधार पर उसमें कुछ परिवर्तन करके, संसद् द्वारा अधिनियम बना कर एक संविहित निगम स्थापित करे। इस निगम को स्थापित करने के लिये पूंजी व्यय के लिये सारा धन और टेलिविजन उपकरण सरकार न दे। टेलिविजन व्यवस्था को सभी भागों में फैलाने के लिये रखी गयी सात वर्ष की अवधी समाप्त की जानी चाहिये। टेलिविजन को हर जगह पहुंचाने में 15 वर्ष क्यों नहीं लगते। नये स्वायत्तशासी निगम को धन स्वयं जुटाना चाहिये।

लाइसेंस शुल्क से प्राप्त सारी आय निगम को दी जानी चाहिये। दूसरे प्रौढ़ शिक्षा और स्कूल कार्यक्रमों के लिये कुछ समय निर्धारित किया जाना चाहिये और इस पर खर्च होने वाला धन जो बहुत थोड़ा होगा, शिक्षा मंत्रालय को देना चाहिये। निगम को प्रायोजित कार्यक्रम और विज्ञापन स्वीकार करने देना चाहिये। यह प्रथा सभी जगह लागू है। इसके लिये उनको विदेशी सहयोग की आवश्यकता हो सकती है जो विदेशी सहयोगियों से अंशों के रूप में और उपकरण देने वाले और भारत में टेलिविजन निर्माताओं से ऋण लेकर पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार समूचा भार कर-दाताओं के कंधे से दूर रखा जा सकता है और टेलिविजन सेवा स्वावलंबी बनाया जा सकता है। अब प्रश्न यह उठता है कि इसको स्वावलंबी कैसे बनाया जा सकता है। 1964-65 ब्रिटिश खजाने में स्वतंत्र टेलिविजन प्राधिकारों और प्रोग्राम कम्पनियों से कुछ भी सार्वजनिक धन खर्च किये बिना कर के रूप में 340 लाख पौंड प्राप्त हुए। इस प्राधिकार को ब्रिटिश सरकार अथवा करदाताओं से कुछ नहीं मिला। लेकिन एक लाभ कमाने वाली विकासशील सेवा के नाते वह एक वर्ष में 340 लाख पौंड कर के रूप में दे सके। इससे पता चलता है कि यह निगम इतना अधिक खुशहाल न होते हुए भी अपना गुजारा कर सकता है।

Shri M. L. Dwivedi (Hamirpur): Mr. Deputy Speaker, Sir, the recommendation of the Chanda Committee in regard to the setting up of a television corporation should not be accepted as the setting up of this corporation will not be in the interest of the people. Secondly, the corporation will not be responsible to the Parliament. We want that Parliament should have control over it. There will be partyism and groupism and only the capitalists would take advantage of it. As Government will not finance it, it will look more towards advertisements. So, the decision for forming the corporation should be taken after very careful consideration.

There has been no stability, so far as this Ministry of Information and Broadcasting is concerned. After six or eight months Minister changes. Not only the Ministers but frequently transfers of officials such as Secretary, Director General of A.I.R. affect the stability and the policy once adopted is not iemplmented. It is heartening that the A.I.R. has done extremely good during the emergency. It would have been much better if there had been stability in administration.

It is wrong to think that the masses can be approached only through the use of English. We should take up Hindi and other regional languages also. The

news should be prepared originally in Indian languages. English may continue in addition to Hindi. More employees should be employed who know regional languages in place of only English knowing employees.

Most of the advertisement boards are in English. There should be increased use of Hindi in the plan publicity programme and publications division.

Indian in foreign countries also want to listen programmes in Indian languages. So, the programmes in Indian languages should be included in the broadcasts meant for foreign countries.

Transmitters are installed on the basis of influence or recommendation. They have not been included in places where they are needed. It should be seen that transmitters should be installed in are as representing distinct culture.

There is no radio station in Brij and Bundelkhand. Transmitters should not only function as relaying stations. Only then the conditions can improve.

Attention should be paid towards improving the service conditions of employees of A.I.R. especially programme executives.

The language policy of A.I.R. does not need change frequently. The policy once formed should be strictly followed. It is not correct to say that there is Sanskritisation and Persianisation. No doubt the language policy can be improved but there should not be frequent changes in that.

I appreciate the good work done by the publicat.. s division of A.I.R. and its other departments during the recent Indo-Pak conflict.

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सम्बन्ध में निम्नलिखीत कटौती प्रस्ता. प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
62	7	श्री मी०रु० मसानी	भारत जैसे निर्धन देश में टेलीविजन के विकास पर लोक-निधि का अवांछनीय व्यय ।	100
62	11	श्री वारियर	सरकार की अखबारी-कागज सम्बन्धी नीति में बड़े समाचारपत्रों के पक्ष में पक्षपात ।	100
62	12	श्री वारियर	सरकार की विज्ञापन नीति में बड़े समाचारपत्रों के पक्ष में पक्षपात ।	100
62	13	श्री वारियर	समाचारपत्रों की पृष्ठानुसार मूल्य सूची का प्रश्न	100
62	14	श्री वारियर	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों को और अधिक प्रोत्साहन न देना ।	100
62	15	श्री वारियर	टेलीविजन के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय के संभावी परिणाम ।	100
62	16	श्री वारियर	एक प्रशंसनीय बंगला फिल्म "नील अकाशेर नीचे" पर लगे अस्थायी प्रतिबन्ध के बारे में हाल का सरकारी निर्णय ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
62	17	श्री वारियर	आकाशवाणी की इंजीनियरी सेवाओं के लिए पुनर्गठन समिति की सिफारिशों को लागू न करना ।	100
62	18	श्री वारियर	भारत में टर्न-की परियोजनाओं के तौर पर ट्रांसमिटर लगाने के लिये जो भारतीय इंजीनियर कई वर्षों से करते रहे है विदेशी इंजीनियरों को नौकरी पर रखने की नई प्रथा ।	100
62	19	श्री वारियर	आयातित माल के स्थान पर स्वदेशी माल का जहां कही उपलब्ध है, विशेष कर विदेशी ऋण का उपयोग करने में उपयोग करने की योजना लागू न करना ।	100
62	20	श्री वारियर	नए रेडियो स्टेशन स्थापित करने में तकनीकी और आर्थिक बातों का ध्यान न रखना ।	100
62	21	श्री वारियर	नए अधिक शक्ति वाले 'शार्ट वेव' ट्रांसमिटरों की सुरक्षा और युद्ध नीति की दृष्टि से फैलाव की आवश्यकता ।	100
62	22	श्री वारियर	दक्षिण के दो महत्वपूर्ण तथा मुख्य नगरों, मदुरै और कोचीन में रेडियो स्टेशन स्थापित करने में उपेक्षा दिखाना ।	100
62	23	श्री वारियर	त्रिचूर प्रसारण केन्द्र को कम से कम 200 किलोवाट का ट्रांसमिटर लगाकर अधिक शक्ति वाला बनाने के लिए उच्चतम प्राथमिकता पर शीघ्र कार्यवाही करने की आवश्यकता ।	100
62	24	श्री वारियर	त्रिचूर में एक सम्पूर्ण स्टूडियो केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता ।	100
62	25	श्री वारियर	उच्च शक्ति वाले ट्रांसमिटरों के लिये रूसके साथ प्रस्तावित करार ।	100
62	26	श्री वारियर	एस० सी० सामन्त मूल्यांकन समिति की सिफारिशों को लागू करने की आवश्यकता ।	100
62	27	श्री वारियर	विद्यमान पुरानी अधिनियमिती का निरसन कर के एक व्यापक मुद्रण यंत्र तथा पुस्तक रजिस्ट्रीकरण संविधि बनाने की आवश्यकता ।	100
62	28	श्री वारियर	अखबारी कागज के आयात के लिये अधिक विदेशी मुद्रा नियत करने की आवश्यकता ।	100
62	29	श्री वारियर	प्रेस जांच आयोग और एकाधिकार जांच आयोग के निष्कर्षों तथा सिफारिशों के आधार पर सरकार द्वारा उचित कार्यवाही न करना ।	100
62	30	श्री वारियर	समाचार भेजने में पी०टी०आई० की लगभग एकाधिकार की स्थिति का प्रश्न ।	100

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
				रुपये
62	31	श्री वारियर	भारतीय भाषाओं के समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को यदि अधिक नहीं तो बराबर की सुविधायें देने की आवश्यकता ।	100
62	32	श्री वारियर	छोटे समाचारपत्रों संबंधी जांच समिती की सिफारिशों को शीघ्र लागू करने की आवश्यकता ।	100
62	33	श्री वारियर	भारतीय फिल्म शाला के विस्तार और अधिक प्रशिक्षणार्थियों को आकर्षित करने के लिये अधिक प्रचार की आवश्यकता ।	100
62	34	श्री वारियर	भारतीय फिल्म शाला में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये भारतीय विद्यार्थियों को और अधिक छात्रवृत्तियां देना ।	100

उपाध्यक्ष महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष प्रस्तुत हैं ।

श्री हेम बरूआ (गौहाटी) : श्रीमन, सूचना और प्रसारण मंत्रालय का प्रतिवेदन कोई प्रभावशाली और विस्तृत नहीं है । दूसरे इस मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के लिये केवल चार घंटे का समय रखा गया है जो अपर्याप्त है ।

आकाशवाणी द्वारा विदेशों के लिये प्रसारण का उद्देश्य विदेशों में भारत का सही चित्र प्रस्तुत करना है । 1966 में बी०बी०सी० द्वारा प्रकाशित की गई एक पुस्तिका से पता चलता है कि दूसरे देशों जैसे चीन, मिश्र, उत्तरी कोरिया और क्यूबा की तुलना में हमारा विदेश-प्रचार बहुत खराब है । बी०बी०सी० की 12 देशों की सूची में भारत का नाम नही है । 1950 में चीन विदेशों में केवल 66 घंटे प्रसारण करता था । और 1965 तक इनकी संख्या 66 से बढ़कर 937 घंटे हो गयी । विदेश-प्रचार में चीन का नम्बर रूस के बाद दूसरा आता है । उत्तरी कोरिया और क्यूबा विदेशों में 200 घंटे प्रसारण करते हैं जब कि भारत केवल 160 घंटे प्रसारण करता है । इस ओर बहुत कम ध्यान दिया गया है ।

विदेशों में प्रसारण के लिये हम शार्ट वेव (लघु तरंग) ट्रांसमिटरों का प्रयोग करते हैं । इनके लिये मध्यम तरंग (मीडियम वेव) ट्रांसमिटरों की आवश्यकता है । सरकार का कहना है कि 1968 तक रूस से प्राप्त 1000 किलोवाट का मध्यम तरंग ट्रांसमिटर लगा दिया जायेगा । आप यह न भूलें कि मिश्र भी कम-विकसित देश है लेकिन उसने 5000 किलोवाट का मध्यम तरंग ट्रांसमिटर लगा दिया है । क्या इस 1000 किलोवाट के ट्रांसमिटर से दक्षिण-पूर्व एशिया में चीनी प्रचार का मुकाबला किया जा सकता है ।

"आल इंडिया रेडियो" शब्दों में से 'आल' शब्द निकाल दिया जाय और केवल "रेडियो इंडिया" शब्द रखे जायें । "आल" शब्द अन्यत्र कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया जाता । मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस ओर ध्यान देंगे ।

आकाशवाणी नये विचारों को नहीं मानता । इसके लिये इसे नौकरशाही के हाथ से छुटकारा दिलाना चाहिये । आकाशवाणी को व्यापारीक और रचनात्मक स्तरों के आधार पर एक निगम बना देना चाहिये । यदि इसको नौकरशाही के हाथों में रहने दिया गया तो इसका परिणाम बुरा ही होगा । सरगोधा के बारे में रेडियो से समाचार दिया गया कि एक विमान चालक अपने स्क्वाड्रन कमांडर के आदेशों की अवहेलना कर राडार से जा टकराया । इसके कुछ दिन बाद एयर मार्शल अर्जुन सिंह ने एक वक्तव्य दिया कि ऐसी बात नहीं थी क्योंकि इसका सुरक्षा बलों के अनुशासन पर असर पड़ता है । जब शास्त्री जी की मृत्य हुई "वायस ऑफ अमरीका" ने कुछ ही घंटों में उनके

[श्री हेम बरुआ]

बारे में एक रूपक तैयार कर लिया था जबकि हम ऐसा नहीं कर पाये। इसी प्रकार हाल के भारत पाकिस्तान संघर्ष के दौरान आकाशवाणी युद्ध-क्षेत्र का वास्तविक रिकार्ड तुरंत प्राप्त नहीं कर पाई थी और डोगराई और बर्की के बारे में रूपक एक महीने बाद तैयार किया गया था।

आकाशवाणी तथा टेलीविजन दोनों को एक निगम के अधीन रखा जाये और उनमें वाणिज्यिक कार्यक्रम भी रखे जायं ताकि राष्ट्र-निर्माण के लिये धन अर्जित किया जा सके।

चलचित्रों को प्रमाणपत्र देने के सम्बन्ध में मंत्रालय की कोई दृढ़ नीति नहीं है।

संगीत तथा नाटक विभाग (सांग एण्ड ड्रामा डिविजन) में प्रादेशिक नृत्य, प्रादेशिक संगीत आदि के लिये एक पृथक अनुभाग होना चाहिये। यह विभाग अच्छा काम कर रहा है। पाकिस्तानी आक्रमण के दौरान इस विभाग ने बड़ा सराहनीय कार्य किया है। मुझे आशा है कि नये नेतृत्व के अधीन आकाशवाणी के कार्य में काफी सुधार होगा।

Shri D. S. Chaudhuri (Mathura) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I support the damands for grants of the Ministry of Information and Broadcasting. It is good that the number of radio sets have increased from 37 lakhs in 1963 to 43 lakhs in 1964. That shows that public is taking increased interest in the programmes of A.I.R. The A.I.R. is connected with all fields of music, literature, art, trade, industry, politics, history, peace, war, education, science etc. This ministry is comparatively more important.

The language of folders and posters should be simple and they should reach to village societies so that poeople residing in villages can get benefit from that.

The area speaking Brajbhasha is very important so far as its culture is concerned. It gives inspiration to the whole country. The Hon. Minister should ensure that a radio station is set up in that area. Secondly.....

Mr. Deputy Speaker : He may continue on Monday.

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

बयासीवां प्रतिवेदन
Eighty-Second Report

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बयासीव प्रतिवेदन से, जो 23 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के बयासीव प्रतिवेदन से, जो 23 मार्च, 1966 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The Motion was adopted.*

देश में खाद्यान्नों के निर्बाध रूप से लाने-ले जाने के बारे में संकल्प—(जारी)

RESOLUTION RE : FREE MOVEMENT OF FOODGRAINS IN THE COUNTRY—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब 11 मार्च, 1966 को श्री तन सिंह द्वारा प्रस्तुत किये गय निम्न-लिखित संकल्प पर आगे चर्चा करेगी :

"इस सभा की राय है कि अनिवार्य एकाधिकार वसूली पद्धति और देश भर में खाद्यान्नो के निर्बाध रूप से लाने-ले जाने के मार्ग में समस्त क्षेत्रीय तथा अन्य प्रतिबन्धों को तत्काल समाप्त किया जाय।"

श्री विश्वनाथ राय अपना भाषण जारी रखें।

Shri Bishwanath Roy (Deoria) : We have adopted a system of planned economy and democratic socialism. The abolition of monopoly procurement would prove detrimental to the interests of farmers. For example, in U.P. there was record production of Potatoes this year and the tradesmen reduced its price so much that the Government was compelled to intervene. Therefore, in a socialist state complete abolition of monopoly procurement would be very unwise and suicidal step.

[श्री सोनावणे पीठासीन हुए।
SHRI SONAVANE *in the Chair.*]

We have to import foodgrains from America and other countries because we have many mouths to feed. By abolishing monoboly procurement by the state we will be concentrating this business in the hands of few businessmen. Then, it would be very difficult for us to keep up our international trade. It would be absolutely unwise to accept such a resolution.

Government has to procure foodgrains from the surplus states though at a bit cheaper rates than the price prevalent there as it has to supply the same to the deficit areas at reasonable prices. This we cannot expect from business-men. They will try to make capital out of it. The people in the surplus areas may be able to sell their produce to private tradesmen on comparatively better terms, but those tradesmen will sell the same at exorbitant rates in the deficit areas. Monopoly procurement by the state is therefore absolutely necessary for our economy, especially when we have accepted socialism as our goal.

Food zones and other barriers cannot be done away with completely. Government has to resort to these things in the interest of the whole country. Government goes on revising its policy in the context of changed circumstances. The question of abolition of food zones is under the active consideration of the Government.

I cannot support this resolution which aims at abolition of monopoly procure-ment by the state and abolition of food zones because it would do more harm than good to the poor farmers of our country who constitute 80 per cent of our popu-lation.

श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा (जम्मू तथा काश्मीर) : समूचे देश में यह मांग जोर पकड़ती जा रही है कि क्षेत्रीय प्रतिबन्धों को हटाया जाये। सरकार को इस बारे में दलेरी से काम लेना चाहिये और सर्व प्रथम उन्हे गेहूं तथा मोटे अनाजों पर से सभी वर्तमान क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटा देने चाहिये।

[श्री इंद्रजीत लाल मल्होत्रा]

देश में अनाज की कमी अभी दूर नहीं हुई है। मैं मंत्री महोदय के इस आश्वासन पर कि पांच वर्ष के पश्चात् भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो जायेगा एक मिनट के लिये भी विश्वास नहीं कर सकता। यह समस्या तब तक बनी रहेगी जब तक कि जन संख्या वृद्धि को रोकने तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाने हेतु अधिक प्रोत्साहन देने के लिये कोई कठोर उपाय नहीं किये जायेंगे।

ऐसी स्थिति में सरकार के लिये यह संभव नहीं है कि वह अनाज के व्यापार को निजी व्यापारियों के हाथों में छोड़ कर उन्हें मनमानी करने दे। इस लिये अनाज के व्यापार को पूर्णतया निर्बाध छोड़ना देश के हित में नहीं होगा।

जब सरकार बाहर से अनाज मंगाना अपनी जिम्मेदारी समझती है तो उसे इस बारे में अधिक सावधान रहना चाहिये कि देश में जो भी अनाज पैदा किया जाता है उसकी उचित प्रकार से वसूली की जाये और उसे अच्छी तरह से जमा करके रखा जाये ताकि यह कमी प्रति वर्ष कम ही होती जाये और वह बढ़ने न पाये।

अनाज के व्यापार के मामले में सरकार को एक निश्चित नीति अपनानी चाहिये। यदि वह अनाज की वसूली का काम पूर्ण रूप से अपने हाथ में लेना चाहती है तो इस बारे में एक कार्यक्रम बनाया जाये और प्रत्येक राज्य को उस पर अमल करने के लिये कहा जाये।

यदि सरकार इस कार्यक्रम की अभी आवश्यकता महसूस नहीं करती है तो सहकारी समितियों, राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं को अनाज की वसूली करने दी जाये।

Shri Bade (Khargone) : The restrictions on the movements of foodgrains from one state to another and from one district to another and so on are mainly responsible for the present difficulties. As a result of these restrictions, people in some areas are starving whereas foodgrains are rotting in certain other areas. Corruption and black marketing has also increased in the wake of these restrictions. The traders bribe the border police heavily in order to carry on these inter-state movements illegally. Despite the persistent demand throughout the contry these restrictions are not being removed.

A large number of petty traders have been thrown out of their vocation because of this monopoly procurement by the State. The peasants are also experiencing great difficulty because they have now to come to tehsils to sell their produce which they could previously sell to some trader on the spot. People are dying o starvation because of the adamant attitude of the Congress Government. The people in the villages have to stand in long queues to get food stuffs.

The Government should at least remove the restrictions on coarse grains like maize, jowar, bajra etc. which are consumed by the poor people.

The lifting of these controls will help in relieving unemployment and starvation now prevalent in the country.

श्री राने (बुलडाना) : खाद्य क्षेत्र पद्धति 1964 में बढ़ती हुई कीमतों को रोकने के उद्देश्य से लागू की गई थी। परन्तु अनुभव से यह सिद्ध हो गया है कि यह पद्धति सर्वथा असफल रही है। खाद्य क्षेत्र बनाए जाने से खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई है। कीमतों तथा वितरण में बहुत अधिक असमानता का कारण भी यही है।

महाराष्ट्र सरकार तथा महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी आरम्भ से ही क्षेत्रीय पद्धति के समाप्त किये जाने की मांग करती रही है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के प्रजा समाजवादी दल ने भी खाद्य नीति पर पुनर्विचार किये जाने तथा क्षेत्रीय पद्धति के तत्काल समाप्त किये जाने की मांग की थी। मेरा

निवेदन है कि इस प्रश्न पर विचार करने का यह उपयुक्त समय है क्योंकि अमरीका हमें 1 करोड़ टन गेहूं देने जा रहा है। कम से कम गेहूं, ज्वार तथा बाजरे पर से क्षेत्रीय प्रतिबन्ध हटाने के प्रश्न पर तत्काल विचार किया जाना चाहिये।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha): Government should lose no time to consider the question of abolition of food zones. Restrictions on the movement of coarse grains should be lifted as early as possible. Because of these restrictions, the prices of those foodgrains are high in the areas where they are not produced.

The Food Corporation should also purchase foodgrains from the agriculturists just as the private traders are doing. This will ensure competitive prices to the agriculturists and will also help the Government in forming a buffer stock. Therefore these Corporations should be formed in the states where these have not been set up so far.

Strict measures should be taken to prevent blackmarketing, but at the same time restrictions on inter-State movements of foodgrains should be removed. These restrictions are even coming in the way of national integration.

The Government should shed away all the fears that they entertain in case the food zones are abolished. Prices would not rise abnormally as a result of the abolition of these zones, because in a competitive market, prices will ultimately come to a reasonable level.

श्री रंगा (चित्तूर) : यह संकल्प मिश्रित अर्थव्यवस्था के विरुद्ध नहीं है। हमारा दल भी मिश्रित अर्थव्यवस्था के पक्ष में है परन्तु हम इस बात पर अधिक जोर देते हैं कि इसे स्वतंत्र रखा जाये।

हम चाहते है कि अनाजों तथा दालों के न्यूनतम मूल्य निर्धारित किये जायें। परन्तु सरकार अपना यह उत्तरदायित्व ठीक तरह से नहीं निभा रही है जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री मल्होत्रा और श्री तिवारी के भाषण से भी स्पष्ट हो गया है।

अनाज तथा दालों को खरीदने का अधिकार केवल सरकार को ही नहीं होना चाहिये। सरकार को खाद्य निगम के माध्यम से अनाज दालों आदि की वसूली करने की स्वतंत्रता है। मैं यहां तक कहूंगा कि खाद्य निगम की पैसे से हर सम्भव सहायता की जाये ताकि वह सारे देश में अपना कार्य फैला सके। इससे व्यापारी लोग किसानों का शोषण नहीं कर सकेंगे। अतः हम चाहते हैं कि सरकार तथा व्यापारियों दोनों को ही किसानों से अनाज आदि खरीदने की स्वतंत्रता होनी चाहिये। ताकि सरकार अथवा व्यापारी वर्ग किसानों का शोषण न कर सके और किसान अच्छे दामों पर अपना अनाज बेच सके। इसके बावजूद भी कभी कभी अधिक उत्पादन होने से दाम बहुत अधिक गिर जाते हैं। इसीलिये हम चाहते हैं कि न्यूनतम दाम निर्धारित किये जाने चाहिये।

कांग्रेस के सदस्यों ने भी खाद्य जोनों को समाप्त किये जाने की मांग की है। इन नियंत्रणों से केवल भ्रष्ट अधिकारियों को फायदा पहूंचता है और प्रशासन व्यय बढ़ता है। यदि ये नियंत्रण नहीं होते तो केरल तथा पश्चिम बंगाल में ये घटनाएं न घटी होतीं। जब राजाजी मद्रास के मुख्य मंत्री बने उन्होंने श्री रफी अहमद किदवाई की सहायता से सब नियंत्रण हटा दिये थे और कीमतें बढ़ने की बजाय कम हो गई थी और उचित स्तर पर बनी रहीं थीं। जिससे न ही किसानों को हानि हुई और नहीं उपभोक्ताओं को कोई हानि हुई।

अनाजों को लाने-ले जाने के बारे में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिये और उन्हें देश के एक भाग से दूसरे भाग में लाने-ले जाने पर जो भी प्रतिबन्ध लगे हुए हैं वे सब हटा दिये जाने चाहिये।

[श्री रंगा]

यह संकल्प अधिकांश सदस्यों की मनोभावना का प्रतीक है। हो सकता है कि कुछ साम्यवादी इससे सहमत न हों। परन्तु यह एक तथ्य है कि एकमात्र सरकार द्वारा अनाज की वसूली किये जाने के अच्छे परिणाम नहीं निकले हैं और न ही उस प्रकार के अन्य नियंत्रणों से कोई लाभ हुआ है अपितु स्थिति और अधिक खराब हो गई है।

अतः सरकार को मिश्रित अर्थव्यवस्था की अपनी नीति पर कायम रहना चाहिये और खाद्य निगमों के साथ साथ व्यापारियों आदि को भी अनाज के मामले में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति होनी चाहिये। कृषकों को संरक्षण देने हेतु न्यूनतम दाम भी निर्धारित किये जाने चाहियें।

श्री मुथिया (तिरुनेलवेली) : यह प्रस्ताव देखने में तो अच्छा प्रतीत होता है। मैं वैसे स्वयं क्षेत्रीय प्रतिबन्धों के विरुद्ध हूं। अनिवार्य वसूली तथा क्षेत्रीय प्रतिबन्ध को हटाना देखने में अच्छा दिखाई देता है परन्तु जब इसे कार्यान्वित किया जायेगा तो कठिनाई होगी।

इस बात पर प्रत्येक सदस्य को ठंडे दिमाग से जोर देना चाहिये। यदि भारत में खाद्यान्न की उपज मांग के अनुसार होती है तो सरकार के पास सदा ही अधिक सामान मिलता है और व्यापारी लोग भी जनता की ओर अधिक ध्यान देते हैं। ऐसा करना ठीक है परन्तु आजकल की परिस्थितियां ही वैसी नहीं। अब तो देश की पैदावार यहां की मांग से कम है।

1965 में बहुत से राज्यों में वर्षा कम होने के कारण पैदावार कम हुई और ऐसा सूखा बहुत से वर्षों से देखा नहीं गई थी। सरकार की यह जिम्मेवारी है कि खाद्यान्न का ठीक प्रकार से वितरण हो और सब को अनाज मिलना चाहिये। इस मामले को निजी व्यापारियों के हाथ नहीं छोड़ना चाहिये। उनमें से अधिक तर तो लाभ कमाना ही अपना उद्देश्य समझते हैं। क्षेत्रीय पाबन्दियों को ध्येय यह था कि निजी व्यापारी कमी की स्थिति का लाभ न उठा सके। साथ ही यह भी कि फालतू अनाज वाले राज्यों में सरकारी वसूली में सहायता करना। राज्यों के सक्रिय और पूर्ण सहयोग के बिना केन्द्रीय सरकार निर्धन लोगों के लिये अनाज की व्यवस्था तथा वसूली और राशन की दुकानों से खाद्यान्न के वितरण की महान जिम्मेवारी नहीं निभा सकते।

क्या सरकार इस समय जो क्षेत्रीय पाबन्दियां है उन्हें समाप्त करके अपनी स्वयं की मशीनरी कायम कर सकती है। यह ऐसी समस्या है जिस से केन्द्रीय सरकार को चिन्ता है। सरकार ने एक विशेषज्ञों की समिति भी गठित की है ताकि वह बतावे कि क्षेत्रीय पाबन्दियों के स्थान पर क्या किया जावे। सरकार इस दिशा में सोच रही है कि वही करे जो जन साधारण के लिये ठीक हो।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : आज के हालात को देखते हुए इस प्रस्ताव से सहमत नही हो सकते। अब खाद्यान्न की स्थिति बहुत संकटमय है और उत्पादन में कमी हो रही है। हम अन्य देशों से खाद्यान्नों का आयात कर रहे हैं। इस लिये ऐसी परिस्थितियों में खाद्यान्न के यातायात, वितरण, विक्रय, मूल्य तथा वसूली आदि पर नियंत्रण हटाना देश के हित के लिये घातक होगा। यह विशेषकर उन लोगों के लिये जिनपर इसका प्रभाव आसानी से पड़ सकता है। इस लिये देश में खाद्यान्न की कमी के कारण कुछ नियंत्रण तथा प्रतिबन्ध आवश्यक हैं। इस प्रश्न पर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस लिये इस प्रस्ताव को वापिस लिया जाना चाहिये। सरकार ने इस मामले की जांच के लिये एक समिति पहले ही नियुक्त कर दी है। जब उसकी रिपोर्ट आवेगी तो यह सदन उस पर विचार कर सकता है। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

Shri Yamuna Prasad Mandal (Jainager) : Mr. Speaker, I oppose the resolution of Shri Tan Singh. He has asked for the immediate abolition of zones and to me it sounds unscientific. One may agree with the spirit behind the resolution but the aggressive way which the mover wants is to be implemented cannot be supported.

The people want the Zonal restrictions to go. It is also desirable that Government should make a beginning to loosen control on coarse grain. The Government should itself decide about the proper time and method to do so. Shri Ranga referred to Mr. Kidwai. But now conditions have changed. The Food Minister should continuously study the situation.

Shri Onker Lal Berwa (Kotah) : Mr. Speaker, I oppose those Congress members who have opposed this resolution. This resolution should be supported whole heartedly. People are feeling much inconvenience due to inter-district and inter-state restrictions. In Rajasthan people are starving due to paucity of foodgrains. This is all due to inter-district restrictions. There have been reports of starvation in Tonk district. Huge amount of foodgrains was collected by Collectors, Tehsildars in Rajasthan but the Government could not lay anything for their movement. Nor has the Government other things to stock the foodgrains. Even then the Government pronounces about stocking of foodgrains. This is a shameful thing.

The Government should remove restrictions so that the peasant may also get adequate price for its produce.

The gram was bought at the rate of Rs. 40.00 was sold in Gujarat at the rate of Rs. 89.00.

The Government is itself indulging in black market by creating these Zonal restrictions. The peasant is in great difficulty. It is akin to the plight of goldsmiths who suffered due to Gold control order.

Government should remove Zonal restriction and make provisions for sending of foodgrains to places where the same are in paucity and thus remove black marketing and bribery. Only then the country can make progress.

श्री मं० रं० कृष्ण (पेद्दापल्लि) : मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं। सरकार ने जो कारोबार चलाये हैं वे अधिकतर असफल हुए । इसका कारण सरकार के कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें ठीक प्रकार से न चलाना है ।

एकाधिकार वसूली तब तक ठीक नहीं जब तक कि भूमि सुधार के कार्य ठीक न हों । तब तक काफी तादाद में उत्पादन भी नहीं होगा । एकाधिकार की वसूली छोटे किसानों के लिये हानिकारक होगी । साथ ही यह बात भी सच है कि सरकारी कर्मचारी इसे पूरी तरह अमल में भी नहीं ला सकती ।

सरकार कुछ व्यक्तियों को भूमि बाट देती है । वह ऐसे व्यक्तियों को भूमि बांटती है जो उन्हें दी गई भूमि के दसवें भाग पर भी खेती नहीं कर सकते ।

कृषकों को पानी के पम्प देने चाहियें । साथ ही यह भी कहा जाता है कि चुहे बहुत अन्न खा जाते हैं । कहते हैं कि संसार में 500 करोड़ चुहे हैं । जब तक हम इन चीज़ों पर काबू नहीं पावेंगे हमारे लिये लोगों को खाना देना कठिन हो जावेगा ।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra) : Mr. Speaker, as has already been stated by some members there is a serious situation of food stuffs in the country. The Government does not have a food policy. This appears to be the main reason behind the food crisis. The Government does not have any control over the traders not does it have it on officers. Nobody knows what turn the situation

[Shri Sarjoo Pandey]

may take if the Zonal restrictions are done away with. The Zonal restriction policy cannot succeed unless and until the foodgrain trade is taken over by the Government. The Government is neither taking its trade into its hands nor is leaving it. Therefore the best course for the Government is to take over the food trade.

Some members say that there is no famine in this country alone but it exists in the whole of Asia. They begin giving example of Russia and China. The Government indulges in talk but does not do work. Therefore I say that either you remove Zonal restriction or else the Government employees will become corrupt. You make a drastic change in your policy.

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गोविन्द मेनन) : जो विचार खाद्य समस्या के बारे में व्यक्त किये हैं मैं उनसे प्रभावित हुआ हूं। अभाव की एक ऐसी स्थिति में, जो आज हमारे सामने है, यह सुनिश्चित करना सरकार का कर्तव्य हो जाता है कि अनाज का वितरण ऐसे तरीके से हो जिस से ग़रीब लोगों को भी उनके हिस्से का अनाज मिल सके। साथ उन्हें बहुत मूल्य भी अधिक न देने पड़े। इस कार्य के लिये अनाज की वसूली आवश्यक है।

देश की खाद्यान्न की स्थिति को देखते हुए खाद्यान्न में स्वतन्त्र व्यापार की पद्धति को नहीं अपनाया जा सकता क्योंकि देश में अनाज की कमी है। यदि स्वतन्त्र व्यापार की पद्धति को अपनाया जाव तो लोगों को बहुत कठिनाई होगी।

प्रस्ताव में कहा गया है कि जबरी वसूली समाप्त हो। परन्तु क्या यह पता है कि जबरी वसूली कवल पश्चिमी बंगाल तथा महाराष्ट्र में दी है। कुछ हद तक यह केरला में भी है। केवल मात्र अनाज की वसूली करने से ही उदश्य पूरा नहीं हो जाता। इसका मतलब यह है कि प्रशासन द्वारा उचित रूप से तथा उचित मूल्य पर अनाज का वितरण किया जा सके। पश्चिमी बंगाल तथा महाराष्ट्र कमी वाले क्षेत्र हैं। इसी कारण वहां की सरकारों ने वसूली के इस ढंग को उचित समझा है। वहां लोगों को कठिनाई का सामना भी करना पड़ा। जब ऐसी स्थिति हो तो सरकार इस प्रस्ताव को कैसे स्वीकार कर सकती है।

सभा के कई वर्गों ने क्षेत्रीय प्रणाली का विरोध किया है। बात यह है कि केवल इसी प्रणाली से जिसको कार्यान्वित किया जा रहा है इसे खाद्यान्न की वसूली अधिक मात्रा में हो सकेगी। वैसे सरकार ने क्षत्रीय प्रणाली के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक समिति नियुक्त कर दी है। इस समिति के सदस्यों में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। यह समिति इस समस्या के सभी पहलूओं पर विचार करेगी और जब इसकी रिपोर्ट मिलेगी तो सभा इस पर विचार प्रकट कर सकती है। सरकार की अपनी कोई नीति इसमें निहित नहीं है। कुछ कहते हैं कि केन्द्रीय सरकार का नहीं तो राज्य सरकारों का इसमें हित निहित है। यह समिति इस प्रश्न पर भी विचार करेगी।

इस लिये सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि यह देखे कि बांटने का मामले में सब को ठीक प्रकार से मिले अन्यथा उन्हें अधिक दाम देने पड़ते। इस कारण वसूली को करना पड़ा।

ऐसे समय में जब कि देश में अनाज की कमी है, अनाज के सम्बन्ध में, जो लोगों के लिए आवश्यक वस्तु है, स्वतंत्र व्यापार की पद्धति को नही अपनाया जा सकता है। अनाज के बारे में स्वतंत्र व्यापार पद्धति अपनाने के फलस्वरुप ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जायेंगी जिनमें निर्धन लोगों को अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ेगा और लोग भूख से मरने लगेंगे।

यदि किसानों को उचित मूल्य देना है, तो उसके लिए एक समाहार योजना तैयार की जानी चाहिये। केवल अनाज की वसूली मात्र से ही उद्देश्य पूरा नहीं हो जाता। समाहार का अभिप्राय तो यह है कि प्रशासन द्वारा उचित रूप से तथा उचित मूल्य पर अनाज का वितरण किया जा सके। इसलिए

समाहार आवश्यक है। ऐसी स्थिति में इस आशय के एक व्यापक संकल्प को कि एकाधिकार समाहार, जो कुछ ही स्थानों में है, समाप्त किया जाये, प्रस्तुत रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता।

जहां तक क्षेत्रीय प्रणाली का सम्बन्ध है, इस सभा में तथा सभा के बाहर ऐसी राय अथवा मत व्यक्त किया गया है कि इस प्रणाली के परिणामस्वरूप लोगों को मुसीबत उठानी पड़ रही है और सभा के सभी दलों ने इस प्रणाली में परिवर्तन करने की मांग की थी इसलिए सरकार ने इस प्रश्न पर विचार करने के लिए देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों की एक समिति नियुक्त कर दी है जो इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन सरकार को देगी। अतः सरकार ऐसी स्थिति में इस संकल्प को स्वीकार नहीं कर सकती है।

Shri Tan Singh (Barmer) : Mr. Chairman, Sir, a number of Members have supported the object and spirit of this Resolution. But an Expert Committee should be appointed to go into the matter instead of accepting this Resolution in a hurry. Our experience of Expert Committees has not been happy. By force of public opinion Government is sometimes obliged to appoint Expert Committees but appointment of such Committees was only a dilatory tactic resorted to by Government.

Although the Government have claimed that procurement is intended to enable the administration to have equal and equitable distribution at prices which are moderate and the procurement was for distribution and not for sale as in the case of traders. Yet the Government is interested in making as much profit as traders try to make.

The system of monopoly procurement goes against the principles of democracy. It is wrong from the political, social and economic point of view. Monopoly fundamentally aims at exploitation ; it does not make any difference whether this exploitation is done by the traders, the Government or the cooperatives.

The Government claims that the system of compulsory monopoly procurement cannot be abolished since there is an acute shortage of food grains in the Country.

We have a uniform pattern of procurement for the whole country which does not take into account the actual production in a particular area. This pattern leads to a corruption.

The Zonal system is responsible for the rise in prices and the difficulties created to the people. The Government is pursuing a wrong policy and they have no logical argument in favour of its continuations. The Government have now made it a prestige issue and they do not abolish this system on grounds of prestige.

The present state of affairs serves as a discouragement to the farmers for increasing agricultural production. He will be interested in producing only those things which are out side the purview of monopoly procurement and the zonal system as it will fetch him more money.

There is no balance between the procurement prices fixed by the *ad hoc* Committee set up for the purpose and the market prices. Procurement prices should be fixed keeping in view the prevailing prices so that the farmer is not deprived of what he deserves.

समापति महोदय : अब मैं इस संकल्प को सभा में मतदान के लिए रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि इस सभा की राय है कि अनिवार्य एकाधिकार वसूली पद्धति और देश भर में खाद्यान्नों के निर्बाध रूप से लाने-ले जाने के मार्ग में समस्त क्षेत्रीय तथा अन्य प्रतिबन्धों को तत्काल समाप्त किया जाये ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।/*Lok Sabha was divided.*

श्री श्याम लाल सर्राफ : सभा में 50 से भी कम सदस्य उपस्थित हैं ।

समापति महोदय : इस पर अगले दिन फिर मतदान लिया जायेगा ।

इसके पश्चात् लोक सभा सोमवार, 28 मार्च, 1966/7, चैत्र, 1888 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

The Lok-Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 28, 1966/ *Chaitra* 7, 1888 (*Saka*).

5658

मा०स०मु०मा०—वि० 2—44 लोकसभा/66—27-7-67—600.